लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos.11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 9 जून, 1971/19 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 13, Wednesday, June 9, 1971/Jyaistha 19, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
362. पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	1—3
365. ब्रिटेन की मण्डी में भारतीय चाय के व्यापार में कमी	Drop in Indian Share of Tea Trade in British Market	3—6
368. डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना	Declaration of Birth Anniversary of Dr. Ambedkar as Public Holiday	6—8
369. मोटर गाड़ियों के पुर्जों के लिये निर्यात अभियान	Export drive for Automobile Ancillary ..	8—9
370. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य समाचार एजेंसियों का एक निगम में परिवर्तित किया जाना	Conversion of PTI and other News Agencies into a Corporation ..	9—11
371. विश्व की मण्डी में बड़े इंजीनियरिंग ठेके प्राप्त करने में भारतीय सार्थों की असफलता	Failure of Indian Concerns to get big Engineering contracts in World Market..	11—12

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

373. कलकत्ता में निर्यात किये जाने वाले सामान को तौलने और मापने के लिये एक सरकारी एजेंसी स्थापित करना	Setting up of Public Agency at Calcutta for Weighing and Measuring Export Cargo	12—13
376. कलकत्ता पोर्ट कमीशन के गोदामों में पड़ी चाय की पेटियां	Tea Chests lying in Warehouses of Calcutta Port Commission	13—14
378. चौथी योजना में राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय	Per Capita Development Expenditure in States during Fourth Plan	18—20
380. सरकार के प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तन	Changes in Administrative set up of Government	14—16
381. चण्डीगढ़ नगर प्रशासन के लिये लोकतन्त्रात्मक ढांचा	Democratic set up for Chandigarh Municipal Administration	17
382. दार्जिलिंग क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में चाय बागानों का बन्द होना	Closure of Tea Gardens in Darjeeling Area (West Bengal)	17—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

361. रूस को नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-रूस करार	Indo-Soviet Agreement for Exporting Coir Products to USSR ..	20—21
368. निर्यातकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये राज्यों में राज्य व्यापार निगम के एकक	STC Units in States for Liaison with Exporters	21
364. सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात व्यापार का अपने हाथ में लिया जाना	Taking over Import and Export Trade of various Commodities by Government ..	21
366. दिल्ली स्थित गुरुद्वारा सीसगंज में सशस्त्र व्यक्तियों का कथित प्रवेश	Alleged entry by Armed men in Gurdwara Sisganj, Delhi ..	21—22
367. सिगरेट उद्योग में संकट	Crisis in Cigarette Industry	22

अता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

372. अमरीका तथा पश्चिमी योरुप के देशों में भारत के सिले सिलाये वस्त्रों की मांग	Demand for Indian Ready-made Garments in USA and Western European Countries	22—23
374. समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के वारे में दरें निर्धारित करना	Fixation of Rates of Government Advertisements to Newspapers ..	23—24
375. कलकत्ता के समाचार पत्रों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Calcutta Newspapers ..	24—25
377. विहार सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वटेलियन की मांग	Demand by Bihar Government for C.R.P. Battalion ..	25
379. तेलंगाना के लिए एक अलग राज्य की स्थापना के लिए संसद सदस्यों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by M.P.'s for formation of a separate state for Telangana ..	25—26
383. पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्यों में टेलीविजन केन्द्र	T.V. for States bordering Pakistan	26
384. रेयन यार्न और ऊनी कपड़ों के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Prices of Rayon Yarn and Woollen Fabrics	26
385. उत्तर पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और उपराज्यपालों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers and Lieutenant Governors of North Eastern and Union Territories ..	27
386. पूर्व बंगाल से हाल में वड़ी संख्या में आये शरणार्थियों के वारे में टेलीविजन और वृत्त चित्र	T.V. and Documentary Films on Recent Influx of Refugees from East Bengal ..	27
387. दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये उपग्रह मार्ग	Satellite Channels to Strengthen Telecommunication net work ..	27—28
388. राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि	Increase in promoting quota of IAS Officers from State Civil Services	28—29
389. पश्चिम वंगाल का फिल्म उद्योग	Film Industry of West Bengal	29
390. भारत संयुक्त अरव गणराज्य का वार्षिक व्यापार याजना	Indo-UAR Annual Trade Plan	29—30

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	Pages
1627. मनीला में इकाफे सम्मेलन	ECAFE Conference at Manila ..	30—31
1628. गोआ को ऋण	Loan to Goa ..	31—32
1629. भूगतिक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय योजना	National Plan for Goa dynamics Projects ..	
1630. उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल जिले का विकास	Development of Pauri Garhwal District of U. P. ..	32—34
1631. काजू का निर्यात	Exports of Cashewnuts	34
1632. नैनीताल में लगाये जाने वाले उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर का अन्य स्थान पर लगाया जाना	Shifting of High Power Transmitter proposed for Nainital	34
1633. त्रिपुरा को दी गयी निधि का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of funds allocated to Tripura ..	35
1634. गृह मन्त्रालय के अधिकारियों को अन्दमान टिम्बर की सप्लाई	Supply of Andaman Timber to Official of Grih Mantralaya ..	35
1635. पटसन उद्योग पर सट्टाबाजी का प्रभाव	Effect of Speculative Activities on Jute Industry	36
1637. प्रतिभावान व्यक्तियों का अमरीका चले जाना	Brain Drain to USA	36—37
1638. पश्चिम बंगाल को अधिक केन्द्रीय सहायता	Increased Central Assistance to West Bengal	38—40
1639. भारतीय प्रशासनीय सेवा के उम्मीदवारों के चयन के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Allahabad University Employment Information and Guidance Bureau re : Selection of IAS Candidates ..	40—41
1640. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कार्य की धीमी प्रगति	Slow Progress of Work in CSIR	41

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1641. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का अवकाश यात्रा रियायत	Leave Travel Concession to Central Government Employees	41—43
1642. प्रतिव्यक्ति आय तथा व्यय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन	Per Capita Income and Expenditure and Gross National Product ..	43—44
1643. ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाली जनसंख्या में वृद्धि	Influx of Population from Rural to Urban Areas ..	44—45
1644. भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना	Grant of Indian Citizenship	45
1645. केरल के हथकरघा उद्योग को वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Handloom Industry in Kerala	45
1646. अल्जीयर्स मेले में भाग लेने के लिये निर्णय	Decision to participate in Algiers Fair ..	46—47
1647. मदन किशोर आयोग प्रतिवेदन	Report of Madan Kishore Commission	47—48
1648. लौह अयस्क के निर्यात के लिये भारत-जापान व्यापार करार की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of Indo-Japan Trade Agreement for Export of Iron Ores ..	48
1649. छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचार पत्र	Small and Medium Newspapers	48—50
1650. संघ राज्य क्षेत्रों में किये गये अपराध	Crimes committed in Union Territories	50
1651. कपास के व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned through Cotton Trade ..	51
1652. अमरीका द्वारा प्रायोगिक उपग्रह का दिया जाना	Supply of Experimental Satellite by USA ..	51
1653. विभिन्न राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in various States	51—52
1654. व्यापारिक विज्ञापनों से आय	Earnings from Commercial Advertisements	52—53

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1655. सूती की माल प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Steps to improve competitiveness of textile goods ..	53
1656. मद्रास में अणुशक्ति संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Plant in Madras	53–54
1658. इंजीनियरिंग माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	54—57
1659. भारत से गरीबी का उन्मूलन	Eradication of poverty in India	57—58
1660. सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से हुए आयात की प्रतिशतता	Percentage of Imports through Public Sector	58—59
1661. रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना देने में सरकार की असफलता पर संघ लोक सेवा आयोग टिप्पणियां	Remarks by UPSC on Government failure to intimate vacancies in Advance ..	60
1662. पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से चीन द्वारा बनाये गये हथियारों का बरामद किया जाना	Recovery of Chinese-made Arms from East Bengal ..	61
1663. 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों की पदोन्नति आदि में बाधाएं	Disabilities suffered by P & T Employees Participating in 1968 Strike	61
1664. प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे और कार्यकरण में परिवर्तन	Changes in Structure and Functioning of Administrative Machinery ..	61—62
1665. आकाशवाणी के हिन्दी समाचार सैक्शन	Hindi News Sections of AIR	62—63
1666. समाचार भारती में वित्तीय अनियमितताएं	Financial Irregularities in Samachar Bharti	63
1667. प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों को वक्तव्यों, समाचार आदि के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण दिया जाना	Supply of English and Hindi Version of Handouts to Newspapers by PIB	63—64
1668. हरियाणा में आकाशवाणी	Radio Station in Haryana ..	64

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1669. संघ राज्य क्षेत्र कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों की संख्या	IAS Posts in Union Territory Cadre	64—65
1670. भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में शो रूम/बिक्री डिपो	Show rooms/Sales Depots in Foreign Countries to Popularise Indian Products	65—66
1671. आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनशन	Mass Fast by AIR Technical Employees ..	67—68
1672. हिप्पियों द्वारा पैदा किये गए खराब वातावरण के बारे में शिकायतें	Complaints re. Unhappy Atmosphere created by Hippies	68
1673. तेलंगाना के बारे में उच्च स्तरीय पुर्नविलोकन समिति की बैठक	Meeting of High Power Review Committee on Telangana ..	68
1674. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Use of Regional Languages as Media for UPSC Examinations	69
1675. पाकिस्तान कच्चे पटसन की वसूली	Procurement of Pakistani Raw Jute ..	69—70
1676. भारतीय पटसन के निर्यात को बढ़ाना	Boosting Indian Jute Exports	70
1677. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	MMTC Officers' visits abroad	70—71
1678. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से छोटे उद्यमकर्ताओं और निजी व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्यात	Export sales of Small entrepreneurs and self-employed through STC	71—72
1679. हल्दिया पत्तन वाले क्षेत्र में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free trade zone in Haldia Port Area ..	72

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1680. रबड़ के भंडार के लिये वातानुकूलित गोदाम	Airconditioned warehouses for Rubber Stocks	72
1681. त्रिपुरा में नये डाकघर खोला जाना	Setting up of New Post Offices in Tripura	72—73
1682. त्रिपुरा के लिये डाक तथा तार विभाग का पृथक सर्किल बनाया जाना	Separate P & T Circle for Tripura	73
1683. त्रिपुरा में टेलीफोन धारकों से लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि	Increase in charges for Telephone Holders in Tripura ..	73—74
1684. उपग्रह के द्वारा विदेशों के साथ टेलीफोन से सम्पर्क	Telephone service with Foreign Countries via Satellite ..	74
1685. संघ लोक सेवा आयोग की अपने सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तों के बारे में सिफारिशें	Recommendations by UPSC re. Emoluments and Service conditions of its Members	74—76
1686. हावड़ा के रेलवे पुलिस के उपअधीक्षक पर गोली चलाने की घटना	Firing on Deputy Superintendent of Railway Police, Howrah	76
1687. ईसाई बनाया जाना	Conversions to Christianity ..	76
1688. नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Enquiry Commission ..	76—77
1689. आयातकर्ताओं को कोटा लाइसेंस देने की अधिकतम सीमा	Ceiling on Quota Licences to Importers ..	77
1690. राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा की गई विदेशों की यात्रा	Foreign trips by Chairman of STC ..	77—78
1691. गलत व्यक्तियों को मनीआर्डर का दिया जाना	Wrong Delivery of Money Orders ..	78

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1692. पोस्टकार्ड पर राजसहायता देने से हानि	Losses due to subsidy on Post Cards	78
1693. उत्तर प्रदेश में वैध पार-पत्र लेकर आये पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की यात्रा	Visit by Pak. Nationals to Uttar Pradesh on valid Pass ports ..	78—79
1694. महाजन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति	Disturbances in Mysore over Implementation of Mahajan Commission Report ..	79
1695. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का अपहरण करने के बारे में खुफिया रिपोर्ट	Intelligence Report about Hijacking of IAC Plane	79—80
1696. खली के निर्यात में कमी	Decline in Export of Oilcake	80
1697. पति और पत्नी की एक ही नगर में नियुक्ति	Posting of Husband and Wife at one Station	80
1698. विदेशों में खोली गई चाय बोर्ड की शाखाएं	Branches of Tea Board opened Abroad	80—81
1699. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी नामों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना	Popularising use of Hindi names by Government Departments ..	82
1700. मारीशस को प्रसारण सुविधायें और फिल्म उद्योग की सहायता	Aid to Mauritius for Broadcasting Facilities and Film Industry ..	82
1701. विश्व बाजार के लिये चाय की मात्रा के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक	FAO Meeting on Quantum of Tea for World Market	83
1702. श्रीगंगानगर में रेलवे डाक सेवा का कार्यालय	RMS office at Sriganganagar	83
1703. श्रीगंगानगर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना	Opening of AIR Station at Sriganganagar	83—84
1704. पी० एण्ड टी० कालोनी पटना में स्कूल भवन के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of School Building in P & T Colony, Patna ..	84

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1705.	बड़े व्यापारियों द्वारा पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग	Misutilisation of post cards by big Business men	84—85
1706.	दौसा और गंगापुर (राजस्थान) में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing system between Dausa and Gangapur (Rajasthan)	85
1707.	जयपुर और सवाई माधोपुर में नये टेलीफोन केन्द्र और डाक घर	New Telephone Exchanges and Post Offices in Jaipur and Sawai Madhopur ..	85—86
1709.	आस्ट्रेलिया के चाय के निर्यात में कमी	Decline in export of Tea to Australia	86
1710.	घटिया किस्म के सामान का निर्यात	Export of inferior quality goods	86
1711.	भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को एक और अवसर	Another chance to Officers of Central and State Governments to compete in IAS Examination ..	87
1712.	रुई निगम के निदेशक मण्डल के सदस्यों में परिवर्तन	Changes in composition of Board of Directors of Cotton Corporation	87
1713.	मैसूर में स्वचालित डायलिंग व्यवस्था	Automatic Dialing system in Mysore	87—88
1714	मैसूर के आकाशवाणी के कार्य-क्रमों में बाधा उपस्थित होना	Interrupted programmes over All India Radio, Mysore	88
1715.	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से युववाणी कार्य-क्रम	Yuvabani Programme over All India Radio, Calcutta	88—89
1716.	आकाशवाणी से कार्यक्रमों के प्रसारण के मध्य होने वाले विराम से प्रसारण समय का व्यर्थ जाना	Wastage of broadcasting time due to long silence between programmes broadcast over AIR ..	89
1717.	चमड़ा, खाल और परिष्कृत चमड़ा निर्यात करने के लिए निगम की स्थापना	Setting up of Corporation for Hides, Skins and Leather exports ..	89—90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1718. तमिलनाडू में काफी बागान का विकास	Development of Coffee Plantation in Tamil Nadu ..	90—91
1719. काफी के निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज	Exploring New Avenues for Coffee Export ..	91—92
1720. चमड़ा और खालों के निर्यातकों को निर्यात राज सहायता	Export subsidies for Hides and Skins Exporters ..	92—93
1721. ट्रंक कालों के मीटर खराब होने के कारण दिल्ली और बम्बई के बीच हुई टेलीफोन कालों के बढ़े हुए बिलों का दिया जाना	Inflated Telephone Bills for Trunk Calls between Delhi and Bombay due to faulty Meters	93
1722. कलकत्ता में टेलिविजन केन्द्र की स्थापना	Location of Calcutta T. V. Station	93
1723. इण्डियन काउन्सिल आफ इंस्टिट्यूशन आफ रबर (लन्दन) की कलकत्ता में हुई बैठक	Meeting of Indian Council of Institution of Rubber (London) held in Calcutta ..	93—94
1724. टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेन्टल रिसर्च बंबई के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अनुसंधान	Research made by Scientists of Tata Institute of Fundamental Research, Bombay ..	94
1725. पंजाब को वित्तीय सहायता	Financial Asstistance to Punjab	95
1726. सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं	Special Facilities for Central Government Employees working in Border Areas ..	95
1727. दिल्ली में डकैती और हत्या के मामले	Cases of Dacoity and Murder in Delhi	96
1728. तमिलनाडु में स्वचालित केन्द्र	Automatic Exchanges in Tamil Nadu	96—97
1729. तमिलनाडु में काजू कारखानों को कच्चे काजू की कमी	Shortage of raw cashew faced by Cashew Factories in Tamil Nadu ..	97
1730. डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था से दिल्ली को मद्रास से जोड़ना	Connection of Delhi with Madras by STD System	97

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1731. सेलम (तमिलनाडु) में टेलेक्स सेवा का आरम्भ	Introduction of Telex in Salem (Tamil Nadu)	98
1732. बम्बई से बाहर की गई अन्य नगरों के लिये टेलीफोन कालों में असाधारण समय लगना	Inordinate time taken for outgoing Telephone Calls from Bombay ..	98
1733. बम्बई और दिल्ली के बीच स्थाई रूप से डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था चालू किया जाना	Commissioning of Bombay-Delhi direct dialling system on Permanent basis	99
1734. मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी गुप्तचर	Pak spies arrested in Madhya Pradesh	99
1735. मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station in Madhya Pradesh	99—100
1736. मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगरों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था	Provision of Automatic Exchanges in Industrial Cities of Madhya Pradesh ..	100—101
1737. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर	New Post Offices in rural areas of Madhya Pradesh ..	101—102
1738. भोपाल और देवास के बीच सीधी ट्रंक लाइन	Direct Trunk Lines between Bhopal and Dewas ..	103
1739. समाचार सेवा के लिये सरकार द्वारा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को भुगतान	Payment by Government to PTA for News Service	103
1740. राज्यों को ऋण देने की कसौटी	Criteria for Granting loans to States ..	103—104
1741. नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भवन की दीवारों पर माओं समर्थक नारे लिखना	Writing of pro-Mao slogans on walls of Supreme Court Building, New Delhi	104
1742. डाक बीमा वस्तु	Postal Insured articles ..	104—105
1743. मिश्री लाल जैन द्वारा जापान को क्रोम अयस्क का निर्यात	Export of Chrome ores to Japan by Misrilal Jain	105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1744. डाक घरों के निरीक्षकों की कार्य की शर्तों के बारे में कार्य अध्ययन दल	Work study group on working conditions of Inspectors of Post Offices	105
1745. उड़ीसा सर्किल के डाक घरों के निरीक्षकों को क्वार्टर तथा कार्यालय के लिये स्थान	Office Accommodation and Residential quarters for Inspectors of Post Offices in Orissa Circle	106
1746. कृषि उत्पादों का निर्यात	Export of Agricultural Commodities	106
1747. हथ करघे लगाने के लिए मध्य प्रदेश के हथ करघे बुनकरों को नकद बेकारी अनुदान देना	Cash Dolesh to Handloom Weavers of Madhya Pradesh for setting up power looms ..	106—107
1748. मध्य प्रदेश का विकास	Development of Madhya Pradesh	107
1749. मध्य प्रदेश में पाये गये यूरेनियम निक्षेप	Uranium deposits found in Madhya Pradesh	107
1750. भारत की जनसंख्या	Population of India	107—109
1751. सूती धागे के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of cotton yarn	109
1752. नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की दैनिक मजूरी पर नियुक्तियां	Telephone Test Operators Engaged in New Delhi on Daily Wages	110
1753. दरभंगा में डाक सेवा प्रशिक्षण संस्थान	Postal Training Institute at Darbhanga ..	110
1754. बिहार में सूक्ष्म तरंग टेलीफोन सेवा	Micro-wave Telephone service in Bihar ..	111
1755. पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग	Boundary Commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	111—112
1756. पश्चिम बंगाल में सेना नियुक्त करना	Development of Army in West Bengal	112
1757. केरल में नये डाक तथा तार घर खोले जाना	New Posts and Telegraphs offices in Kerala	112—114

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1758. बुरहानपुर तापती मिल्स लिमिटेड के बेरोजगार श्रमिक	Unemployed workers of Burhanpur Tapti Mills Ltd. ..	115
1759. योजना कार्यक्रम का पुनर्विलोकन	Review of Planning Programme	115
1760. रबड़ बोर्ड के श्रमिकों द्वारा बोनस के लिये अभ्यावेदन	Representation from Rubber Board Workers for Bonus	115
1761. अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारियों और अमरीकी दूतावास के कनिष्ठ राजनयिकों की गतिविधियां	Activities of American peace Corps. Workers and Junior Diplomats of American Embassy	116
1762. योजना आयोग का पुनर्गठन	Overhauling of Planning Commission	116
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	117—118
दिल्ली से दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने का अवैध धंधा करने वाले लोगों के एक गिरोह का पता लगने का समाचार	Reported unearthing of a long distance call racket in Delhi ..	117—118
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	117
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	117
बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये राहत सामग्री के बारे में	Re: Relief Material for Bangla Desh Refugees	119
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	119—121
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	121
सामान्य बजट 1971-72, सामान्य चर्चा	General Budget, 1971-72—General Discussion ..	121—142
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Shivpujan Shastri ..	121—122
श्री एस० एस० महापात्र	Shri S. S. Mohapatra	122
श्री गंगा चरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	123

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	123—124
श्रीमती सहोदराबाई राव	Shrimati Sahodara Bai Rao	124
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	125
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 125—127
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	127
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	127—129
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	.. 129—132
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	132—133
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Ventatasubbaiah	.. 133—134
श्री दुर्गादास भाटिया	Shri D. D. Bhatia	134
श्री चपल भट्टाचार्य	Shri C. Bhattacharyya	135
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	136
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	.. 136—138
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	.. 138—139
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	.. 139—140
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	140
डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma	.. 140—142
श्री सतीश चन्द्र	Shri Satish Chandra	142
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	142
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Second Report—presented	142

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 **जून,** 1971/19 **ज्येष्ठ,** 1893 **(शक)**
Wednesday, June 9, 1971/Jyaistha 19, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

*362. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात अब तक के निर्यात में सबसे कम था ;

(ख) निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात का लक्ष्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) निर्यातों को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में निम्नोक्त शामिल हैं :

(1) खेंती के अन्तर्गत क्षेत्र तथा कच्ची पटसन और मेस्टा की उपज का बढ़ाना

(2) पटसन से बनी वस्तुओं के उत्पादन को 90,000 टन के मासिक औसत उत्पादन से 110,000 टन तक बढ़ाना।

(3) टाट के स्वदेशी उपभोग को कम करना

(4) उत्पादों का विकास तथा विविधीकरण

(5) निर्यात संवर्धनात्मक उपाय तथा

(6) हैसियन में सट्टे की रोकथाम ।

(ग) निर्यात लक्ष्य बढ़ाकर 7.4 में० टन कर दिया गया है जिसका मूल्य लगभग 250 करोड़ रु० है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि वर्ष 1970 के दौरान न्यूनतम निर्यात हुआ । बंगला देश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में हमें अपने निर्यात में काफी तेजी लानी चाहिये । पटसन कारखानों के बन्द होने से कई लोग बेरोजगार हो गये हैं । जून की पहली तारीख को मंत्री महोदय ने बताया था कि गरीब कर्मचारियों की सहायतार्थ कारखानों को खोलने का प्रयत्न किया जायेगा । 2 जून को 6 अन्य कारखानें बन्द हो गये । क्या मैं जान सकता हूं कि बन्द पड़े कारखानों को खोलने के लिये वे क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत से पटसन के कारखानें हैं जो पुराने हैं तथा काम करने योग्य नहीं हैं । यदि ये कारखाने खुल जावें तथा मजदूरों को रोजगार मिल जावे तो हमें खुशी होगी लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्य समस्या पटसन कारखानों का आधुनिकीकरण है । इसके लिये मुझे पटसन कारखानों के मालिकों से प्रत्याशित सहयोग नहीं मिल रहा है । यद्यपि आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गयी है और कुछ राशि का उपयोग भी किया जा चुका है, फिर भी उन्होंने कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिये सराहनीय कदम नहीं उठाये हैं । इस प्रश्न में उल्लिखित हर कारखाने पर मैं विचार करके देखूंगा कि क्या किया जा सकता है । यदि धन आवश्यक होगा तो हम औद्योगिक वित्त आयोग को सहायता प्रदान करने के लिये कहेंगे । लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्य समस्या यह है कि पटसन कारखानें बहुत पुराने हैं ।

श्री नरेन्द्रकुमार सांधी : क्या मंत्री महोदय मंत्रालय के उन लोगों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे जिन्होंने थाईलैंन्ड से कच्ची पटसन खरीदने के लिये कार्यवाही की थी जिसके फलस्वरूप देश को काफी हानि हुई है ? क्या वे इस बात का सुनिश्चय भी करेंगे कि नये पटसन के कारखाने बंगाल में निर्यात क्षमता के कारण वहीं पर खोले जावें, उसके बाहर नहीं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : अपनी पैदावार में 7 से 8 लाख टन की कमी के कारण थाईलैन्ड से पटसन खरीदने का हमारा विचार था । लेकिन थाईलैन्ड के महंगे मूल्य के कारण यह सौदा आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं था । हमने राज्य व्यवहार निगम को यह खरीद करने के लिये कहा भी था लेकिन हमने खरीद नहीं की । बंगाल के कारखानों के बारे में इस सदन में दो दिन पहले चर्चा हुई थी और कुछ सदस्यों ने उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये कहा था । अतः राज्यों के प्रति न्याय करने हेतु नये उद्योग तथा कारखाने बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा आन्ध्र सरीखे पिछड़े राज्यों में खोले जाने चाहिए । अतः मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि नये कारखाने नहीं खोले जावेंगे अथवा बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में खोले जावेंगे ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I want to know whether the Government has estimates of the number of refugees from East Bengal who can work in Jute mills ?

Mr. Speaker : How can it be known so early ?

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या हम विदेशों से जूट का तैयार माल खरीदते हैं और यदि हां, तो कितना ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक मेरी जानकारी है हम कोई तैयार माल नहीं खरीदते। संभव है कोई छोटी-मोटी नगण्य खरीदारी होती है।

Shri Ram Sahai Pandey : The hon. Minister has just now stated that the condition of jute mills is very bad, the machinery is very old and that is why they are closed. I want to know whether in view of a strong competition between India and Pakistan in regard to exports, what steps are proposed to be taken in regard to the mills having obsolete machinery so that the exports could be augmented.

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि अगला वर्ष निर्यात के लिये एक उत्तम वर्ष होगा। कम से कम हमें तो यही आशा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष देशीय जूट का उत्पादन अधिक होगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं तो यही कहूंगा कि हम अमरीकी मंडी पर पुनः अधिकार जमा लेंगे जोकि हम पाकिस्तान के प्रतियोगिता होने के कारण पहले खो चुके थे क्योंकि पाकिस्तान के मिल अति आधुनिक हैं। उनके जूट की किस्म भी बड़ी अच्छी थी और हम दो विश्व मंडी को अपने हाथ से खोने ही वाले थे। परन्तु अब समय आगया है जब कि हम स्थिति का लाभ उठायें और विश्व मंडी पर पुनः कब्जा कर लें, विशेषतया जबकि जूट के मामले में विश्व मंडी में सुधार के चिन्ह नजर आ रहे हैं।

Shri M. Ram Gopal Reddy : I want to know whether whole of the available raw jute is being utilised or it is lying unutilised because of the closure of the mills ?

Shri L. N. Mishra : I think it is being utilised. It is not that the jute is lying unused. Here also there is enough consumption of indigenous jute.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य में कहा गया है कि निर्यात बढ़ाने का एक उपाय यह भी किया गया है कि कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में वृद्धि की जाये। क्या सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि कच्चे जूट उत्पादकों को अपनी खेती में 25 प्रतिशत वृद्धि करने को कहा जाये, और यदि हां, तो यह देखते हुए कि इस वर्ष जूट की फसल बहुत अच्छी होगी, तो सरकार जूट दी बहुतायत के कारण मूल्यों में गिरावट तथा इसके फलस्वरूप कृषकों के हितों को हानि पहुंचने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : अब तक तो हमने देखा है कि जूट की कमी ही रही है। विश्व जूट मंडी के रुख से भी पता चलता है विश्व मंडी में जूट की भरमार नहीं होगी। वस्तुतः हमें मंडी से भी अधिक जूट की आवश्यकता होगी। हम यह ध्यान रखेंगे कि जूट की भरमार न हो और उत्पादकों को हानि न हो। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि हमने जूट निगम की स्थापना कर रखी है और जूट की खरीद करना जूट निगम का प्रथम कर्त्तव्य है। अतः अब भी जूट के मूल्यों में गिरावट आयेगी, निगम मंडी में आ जायेगा और जूट उत्पादकों से जूट खरीद लेगा।

ब्रिटेन की मण्डी में भारतीय चाय के व्यापार में कमी

*365. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 30 वर्षों में ब्रिटेन की मण्डी में भारतीय चाय के व्यापार में 16 प्रतिशत कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन्हीं परिस्थितियों में अफ्रीका के देशों के चाय व्यापार में 3.8 से 21.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है,

विवरण

(क) ब्रिटेन के बाजार में चाय के भारत के अंश में गिरावट श्रीलंका, अफ्रीका तथा अन्य देशों की चाय वहां पर पहुंच जाने के कारण हुई ।

(ख) ब्रिटेन के बाजार में अफ्रीकी चाय का अंश 1940 में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 1970 में 21.3 प्रतिशत हो गया है ।

(ग) (1) अफ्रीकी देशों का नए चाय उत्पादक देशों के हित में प्रकट होना और उनका भारत की तुलना में उत्पादन की कम लागत पर, उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करना ।

(2) अफ्रीकी चाय भारतीय चाय की तुलना में अपेक्षतः सस्ती है ।

(3) पूर्वी अफ्रीकी देशों में आन्तरिक खपत कम होने के कारण वे मूल्य पर बिना किसी अधिक विचार किए हुए अधिक चाय निर्यात कर सकते हैं । दूसरी ओर भारत में आन्तरिक खपत अधिक है जिसमें कुल फसल का 50 प्रतिशत खप जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय चाय महंगी रहती है ।

(4) भारत में उत्पादन का ढांचा मौसमी है जब कि पूर्वी अफ्रीका में उत्पादन सारे वर्ष होता रहता है जोकि अपेक्षत; अधिक लाभकर है ।

श्री सरोज मुखर्जी : मंत्री महोदय वास्तविक प्रश्न को टाल गये हैं । उन्होंने स्वीकार किया है कि ब्रिटिश मार्केट में भारतीय चाय का अश घट गया है परन्तु प्रतिशत का कोई जिक्र उन्होने नहीं किया । मेरा प्रश्न था कि क्या गत कुछ वर्षों में ब्रिटिश मंडी में भारतीय चाय के अंश में 16 प्रतिशत की कमी हुई है, और उन्होंने केवल इतना कहकर कि हां कमी हुई है—प्रश्न को टाल दिया । उन्होंने अपने उत्तर में यह भी नहीं बताया है कि क्या वह इस स्थिति में सुधार करने हेतु कोई कार्यवाही कर रहे हैं । उन्होंने केवल श्रीलंका, अफ्रीकी देशों तथा अन्य देशों की चाय के आगमन का वर्णन किया है । विश्व में हमारी चाय के लिये बहुत अच्छा बाजार उपलब्ध हुआ करता था और हम इससे काफी वड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाया करते थे जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के गठन के लिये वड़ी आवश्यक है । परन्तु अब यह मंत्रालय विश्व चाय-मण्डी में अन्य देशों का मुकाबला करने के लिये अपेक्षित उपाय नहीं कर रहा है । इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछें ।

श्री सरोज मुखर्जी : विश्व चाय मण्डी में अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिये इस मंत्रालय ने कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किये ताकि हमारे अंश में होने वाली कमी को रोका जा सके ? ऐसा तो नहीं है कि इस समस्या का कोई हल ही न हो ? उपाय तो हैं परन्तु सरकार ने उन्हें किया ही नहीं । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने देश में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या

उपाय किये हैं ? उन्होंने कहा है कि देश में चाय की खपत बढ़ गई है। परन्तु चाय के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह प्रश्न विशेष रूप से ब्रिटेन को चाय के निर्यात में कमी होने से संबंधित है। हमने बताया है कि हमारी अफ्रीकी देशों की चाय से बड़ी कड़ी प्रतियोगिता है, जहां उत्पादन-लागत बहुत कम है तथा आन्तरिक खपतें भी कम हैं, अतः वे निर्यात करने की अच्छी स्थिति में हैं। इसका मुकाबला करने का केवल यही उपाय है कि हम अपनी चाय की उत्पादन-लागत में कमी करें तथा संवर्द्धन कार्यक्रम बनायें। संवर्द्धन कार्यक्रमों के बारे में वस्तुतः ही हम प्रगति कर रहे हैं और साथ ही उत्पादन लागत कम करने के लिये हम पुनः चाय बाग लगाने तथा उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिये मुक्त रूप से अनुदान दे रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : कल उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश कार्यवाहियों के कारण हमारे कपड़े के निर्यात में कमी हो रही है। और आज फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश कार्यवाही के कारण ही हमारी चाय का निर्यात भी कम होता जा रहा है। लोग तो यही समझेंगे कि इस मंत्रालय ने विदेश व्यापार का दीवाला निकालने का काम हाथ में लिया है। हमें विदेशी मुद्रा को तो इस कद्र आवश्यकता है और कपड़ा चाय आदि सभी चीजों के निर्यात में हम पीछे पड़ते जा रहे हैं। अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिये यह मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं कहूंगा कि विदेश व्यापार मंत्रालय का कार्य इस वर्ष डाक रिकार्ड कार्य रहा है। हमने अपने निर्यात में निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक वृद्धि की है; अर्थात्, 7 प्रतिशत के स्थान पर हमने $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचे। अतः यह कहना उचित नहीं कि हम विदेश व्यापार का दीवाला निकाल रहे हैं।

चाय के संबंध में माननीय सदस्य अपने कागजात का अध्ययन करें। पिछले से पिछला वर्ष चाय के लिये बहुत ही बुरा था। गत वर्ष कहीं अच्छा था। आप जानते हैं कि डाक संगठन है—खाद्य तथा कृषि संगठन—जो कि चाय के अन्तर्राष्ट्रीय करारों की जांच करता है, बेशक ब्रिटिश मंडी में हमारा प्रतिशत कुछ कम हो गया है। परन्तु, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है यह अफ्रीकी देशों तथा श्रीलंका से सस्ते किस्म की चाय के मंडी में आजाने के कारण है। परन्तु, इस वर्ष हमारे देश से चाय के निर्यात की स्थिति बेहतर रही है। यह कहना हर प्रकार से न्यायसंगत है कि इस संबंध में हमारा कार्य सर्वथा संतोषजनक रहा है।

श्री एस० एम० कृष्ण : ब्रिटेन एक छोटा सा देश है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि सरकार अन्य देशों को भी अपनी चाय का निर्यात करने की संभावना के बारे में विचार करे, तो वहां अफ्रीकी तथा अन्य चाय-उत्पादक देशों के साथ शायद कम प्रतियोगिता होगी। क्या सरकार ने ब्रिटेन से इतर अन्य देशों को चाय के निर्यात की संभाव्यता का पता लगाने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : आज हम अमरीका को अच्छी मात्रा में चाय का निर्यात करते हैं। हाल ही में एक नई व्यापार संघ के अनुसार सोवियत संघ को भी चाय का निर्यात करने की व्यवस्था है। हम अनेक देश को चाय का निर्यात कर रहे हैं। हां, यह निश्चय ही है कि ब्रिटेन हमारी चाय का प्रमुख खरीदार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल ब्रिटिश मंडी से संबंधित है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह देखते हुए कि अफ्रीकी देश तथा श्रीलंका हमारे देश के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्या सरकार चाय उत्पादक देशों का एक संगठन बनाने के उद्देश्य से इन देशों के साथ विचार विमर्श आरम्भ कर सकती है ताकि वे एक दूसरे की काट न करें तथा व्यापार को हानि न पहुंचाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही आगे की बात है।

श्री पीलू मोदी : वे तो एकाधिकार स्थापित करना चाहते है।

श्री एल० एन० मिश्र : खाद्य तथा कृषि निगम ने डाक समिति बना रखी है जो प्रत्येक देश को निर्यात तथा निर्यात की मात्रा का निश्चय करती है। हाल ही में, हमने भारत में इस समिति से वात चीत की थी तथा कुछ निर्णय किये थे। जैसा कि आप जानते हैं, दो वर्ष पहले विश्व मंडी में चाय की भरमार हो जाने के कारण 900 लाख पौंड चाय को मंडी से वापस लेने का निर्णय किया गया था। इस वर्ष इसका आवंटन हमारे हितों के प्रतिकूल नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it a fact that the tea trade in British Market is centred in a few hands and it is auctioned in such a way that India does not get her due share? Have the Ministry looked into it?

Shri L. N. Mishra: It is a fact and the history of this fact goes 110 years back. It was handed over to a few persons in England. Recently we have decided to package the tea ourselves. You are aware that tea is exported in bulk from here, and is packed and sold in London. This results in heavy loss to us. We have contemptated to form a corporation and we ourselves will do the packaging work. This will result in scrapping the monopoly of those people in British Market who deal with this work.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कार्य आप कब करेंगे ? हम दो वर्ष से यह बात सुनते आ रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं दो वर्ष से तो इस पद पर नहीं हूं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि निर्यात की गई चाय की किस्म के बारे में लगातार शिकायतें मिलती रही हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : चाय की किस्म के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हम जहाज से भेजने से पूर्व माल की जांच करते हैं और हमने निरीक्षक संगठन को सुदृढ़ किया है। जहां तक हमारी चाय की किस्म का संबंध है हमें इंगलैंड से कभी कोई शिकायत नहीं मिली।

डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना

*368. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक संगठनों ने मांग की है कि स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेदकर के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसे सार्वजनिक छुट्टी घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): हमारे राष्ट्रीय पुनः जागरण तथा स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में राजनीति, कला, साहित्य, धर्म

इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में कई गौरवशाली पुरुषों तथा स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। डाक्टर बी० आर० अम्बेदकर उनमें से एक थे। सरकार यह अनुभव करती है कि इन महान पुरुषों तथा स्त्रियों की स्मृति में सम्मान देने का सृजनात्मक तथा रचनात्मक दृष्टिकोण से पता लगाया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसे अवसरों में छुट्टियां घोषित की जायं। हमारे देश में ऐसी छुट्टियां पहले से ही अधिक हैं, हालाँकि, वर्ष 1960 से द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या को 23 से घटाकर 16 कर दिया गया था। सरकार यह भी अनुभव करती है कि, जब हमारे देश को वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने तथा विकास के लिए हर सम्भव उपाय करने चाहिए, सार्वजनिक छुट्टियों को बढ़ाना, प्राचीन महान् व्यक्तियों को सम्मान देने अथवा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : अपना प्रश्न पूछने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न सदैव ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में नहीं होते हैं। माननीय मंत्री का विचार है कि मैं सदैव केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में प्रश्न पूछता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों का सम्बन्ध सभी कर्मचारियों से होता है भले ही वे सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हों अथवा निजी क्षेत्र में। वेतन आयोग का निजी क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं है, यह स्पष्ट है।

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से रिपब्लिकन पार्टी, तथा जो लोग डा० अम्बेदकर का सम्मान करते हैं उनके द्वारा—क्योंकि वे न केवल हरिजनों के कार्यों के लिये अग्रणी थे अपितु संसदीय प्रजातन्त्र के लिये भी अग्रणी थे—दो मांगें रखी गई थीं। दो मांगे यह थीं कि संसद् के केन्द्रीय कक्ष में डा० अम्बेदकर की प्रतिमा लगाई जाये तथा उनके जन्म दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाये। सार्वजनिक छुट्टी का अभिप्राय है किसी के प्रति वास्तव में सम्मान प्रकट करना जिससे कि उनके रचनात्मक कार्यों का जन साधारण में प्रचार हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनमें से किसी भी मांग को क्यों नहीं स्वीकार किया है?

श्री राम निवास मिर्धा : डा० अम्बेदकर की संविधानिक प्रसिद्धि एवं उनके इस देश के महापुरुष होने में कोई संदेह नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना ही वास्तव में डा० अम्बेदकर जैसे महापुरुष को सम्मानित करने का उचित तरीका नहीं है। समय-समय पर विभिन्न संगठनों से डा० अम्बेदकर के जन्म-दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। परन्तु उत्तर में विस्तार से बताए गये कारणों से उक्त प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका। सच तो यह है कि महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्र-नेता के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि व्यापक राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक छुट्टी न घोषित करने के अतिरिक्त उनका देश में उचित स्मारक स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रश्न विशेषतः छुट्टी घोषित करने के बारे में है। जहां तक डा० अम्बेदकर को सम्मान देने का प्रश्न है, देश भर में उनकी कई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और कई संस्थाएं उनके नाम पर खोली गई हैं। उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन में योगदान को सरकार सदा महत्व देती रही है।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का निवेदन किया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में अन्य संगठनों द्वारा समर्पित अध्यावेदन भेजा है ।

श्री संजीवी राव : हमारे देश में बहुत अधिक सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं । क्या सरकार उन्हें कम करने की सोच रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने बताया, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर हमने 1960 में सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या 23 से घटा कर 16 कर दी थी । हम तीसरे वेतन आयोग जोकि अभी कार्य कर रहा है, की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो भी सिफारिशें आयोग द्वारा की जाती हैं, उनपर विचार करेंगे ।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों के लिए निर्यात अभियान

*369. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर गाड़ियों के पुर्जों के सम्बन्ध में 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक गतिशील निर्यात अभियान चलाने का कार्यक्रम बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां । मोटर गाड़ियों के पुर्जों के 1970-71 के 7 करोड़ रु० के निर्यातों को बढ़ाकर 10 करोड़ रु० तक करने का विचार है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्तमान निर्यात सहायता, जिसमें पेशगी तथा प्रतिपूर्ति लाइसेंस, प्रतिपूरक सहायता, शुल्क वापसी, सीमाशुल्क बॉडिंग, भाड़ा कटौती आदि शामिल हैं, के अलावा हाल में स्थापित व्यापार विकास प्राधिकरण को भी मोटर गाड़ियों के पुर्जों का उत्पादन तथा निर्यात विकसित करने का कार्य सौंपा गया है । विदेशी व्यापार प्राधिकरण निम्नोक्त कार्य कर रहा है :—

(क) अपेक्षतया लाभप्रद मोटरगाडी पुर्जों की विशिष्ट मदों का पता लगाना तथा मूल उपस्कर तथा पुर्जों के बाजारों, दोनों में निर्यात बढ़ाना ;

(ख) मोटरगाड़ी के मूल उपस्कर तथा पुर्जों दोनों के रूप में सहसाधनों के अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालिक ग्राहकों का पता लगाना और समर्थ भारतीय निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू कराने तथा संविदाएं कराने हेतु उनका सम्पर्क स्थापित कराना ;

(ग) क्षमता बाधाओं के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाना और निर्यात उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करने अथवा बढ़ाने की प्रस्थापनाओं पर कार्यवाही करना ।

तब से अब तक इस दिशा में काफी कार्य हो चुका है और विभिन्न प्रकार के पुर्जों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से प्राप्त कुछ पूछताछ कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

श्री पी० गंगादेव : विवरण में दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किन देशों द्वारा पूछताछ की गई है और उसमें कितना समय लगेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : इन पुर्जों का निर्यात हम मुख्यत: विकासशील देशों को करते हैं। हाल ही में इस बारे में हमसे जापान, पश्चिमी यूरोप तथा ब्रिटेन ने भी पूछताछ की थी। क्रयादेशों पर कार्य किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों के उद्योग उनकी मांगों की पूर्ती कर पाएंगे।

श्री पी० गंगादेव : इन क्रयादेशों सम्बन्धी कार्य पर कुल कितना समय लगता है ?

श्री एल० एन० मिश्र : कुछ समय पहले तक कई शिकायतें प्राप्त होती थीं कि हम निर्यात लाइसेंस देने का निर्णय करने में बहुत समय लगाते हैं। गत आयात-निर्यात लाइसेंस नीति में सरकार ने समय निर्धारित कर दिया है। मेरा आयात-निर्यात मुख्य नियन्त्रक से सुझाव है कि लाइसेंस जारी करने का अथवा न करने का निर्णय लेने में तीन महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। मैं समझता हूं कि तीन महीने में हम उस पर कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह के पुर्जों की अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मांग है ?

श्री एल० एन० मिश्र : निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में फ्यूअल इंजेक्शन उपकरण तथा पुर्जे, स्पार्क प्लगों के लिए एलीमेंट, पिस्टन एसेम्ब्लीज तथा पुर्जे, रेडियेटर, ब्रेक तथा क्लच लाइनिंग, शॉक-अब्जार्वर, लीफ स्प्रिंग, इंजन वाल्व, बसों के ढांचें तथा मोटर गाड़ियों के बिजली के उपकरण शामिल हैं।

Conversion of P.T.I. and other News Agencies into a Corporation

*370. **Shri K. C. Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the All India Working Journalists' Union has urged upon Government to convert the News Agencies like the Press Trust of India, United News of India, Hindustan Samachar and Samachar Bharati into a Corporation ; and

(b) if so, by what time the proposed Corporation is expected to be formed ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Government have received a copy of the Resolution adopted at the 15th annual session of the Indian Federation of Working Journalists requesting the Union Government to take steps to transfer the management of PTI and UNI to Statutory Corporations. There is no specific suggestion in regard to the news agencies Hindustan Samachar and Samachar Bharati.

(b) The matter is under consideration.

Shri K. C. Pandey : This question has been raised in the House several times. It is well known that the Managers of "Samachar Bharati" and other news agencies harass the working journalists. They retrench the journalists whenever they like and no attention is paid to their problems. In the circumstances, I would like to know by when the rule would be framed.

Shrimati Nandini Satpathy : The hon. Member has asked questions about "Samachar Bharati" and "Hindustan Samachar". But the question pertains to P.T.I. and U.N.I. All these news agencies are independent bodies and the Government has no control over them.

Mr. Speaker : Are you not interested in another question?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Probably he does not know that.

Shri Ram Surat Prasad : The hon. Minister has stated that the question is under consideration. May I know when a final decision in the matter would be taken for general benefit ?

Shrimati Nandini Satpathy : The question raised does not arise out of the main question. So far as the question of making a corporation of P. T. I. and U. N. I. is concerned, I have said that it is under consideration and we shall try to do something in the matter soon.

Shri K. C. Pandey : May I know when this would be finished. Every time such assurances are given. There should be some limit to it.

श्री एस० एम० बनर्जी : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि सरकार ने पी० टी०-आई० तथा अन्य समाचार एजेंसियों को कार्पोरेशन में बदलने का निर्णय अभी नहीं लिया है। क्या कई अनियमितताओं, कदाचारों तथा अन्य आरोपों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ?

ये प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रबन्धक और समाचार भारती के प्रबन्धक के विरुद्ध लगाये गये हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। यदि हां, तो इस निर्णय को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार ने इन आरोपो की जांच करवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस समय मेरे पास प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इन समाचार एजेंसियों के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गये हैं। हम यह देखने के लिए निश्चित ही इस मामले की जांच कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने यह प्रश्न इसी सभा में किया था जब श्री गुजराल इस मंत्रालय के मन्त्री थे। हमने कतिपय आरोपों का उल्लेख किया था और संसद् में इस पर वाद-विवाद हुआ था। क्या उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? हमें कहा गया है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रबन्धक के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, परन्तु मन्त्री महोदया कहती हैं कि उन्हें ये प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैंने यह नहीं कहा है कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि मेरे पास जानकारी नहीं है परन्तु यदि निश्चित ही कोई आरोप हैं तो हम उनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या यह सच नहीं है कि ये स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि इन एजेंसियों का नियंत्रण समाचार सम्पादकों द्वारा होता है जो कि बड़े उद्योगपतियों के अधीन हैं।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हां, हम जानते हैं कि कतिपय बड़े समाचार पत्र इन समाचार एजेंसियों में शेयरधारी और निदेशक हैं।

श्री अनन्त राव पाटिल : क्या यह सच है कि निदेशक बोर्ड के सदस्य अधिकांशतः समाचार-पत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो कि केवल उनके समाचारपत्रों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और क्या यह सच है कि छोटे और मझौले समाचारपत्र प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया में अपना चन्दा नहीं दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं दूसरा भाग नहीं समझ सकी हूं।

श्री अनन्तराव पाटिल : मैंने पूछा था कि क्या छोटे और मझौले समाचारपत्र प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को चन्दा नहीं दे सकते हैं।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे पास अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि छोटे और मझौले समाचारपत्र कितना चन्दा दे सकते हैं।

श्री आर० के० सिन्हा : प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया का समाचार देने में एकाधिकार है और वे सही समाचार नहीं देते हैं। इससे देश के लोगों के सही विचार नहीं बनते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम उनको स्वतंत्र निगम में बदलने के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जिसका नियंत्रण प्रमुख संवाददाता आदि करें ताकि जनता को निष्पक्ष, विश्वसनीय और सही समाचार दिया जा सके।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उनको सांविधिक निगम में बदलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यही मैंने आरम्भ में कहा था। इस पर विचार करते समय हम निश्चित ही माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

Failure of Indian concerns to get big Engineering Contracts in World Market

*371. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Engineering Export Development Council has stated in a report that in most of the cases the Indian commercial concerns do not find themselves in a position to secure big engineering contracts in the face of world competition ;

(b) whether the said Council has also stated that coordination between big engineering organisations, the consulting experts and the State Trading Corporation is required to compete for Engineering contracts in the world market ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. Indian Export Houses have been successful in securing a number of large value contracts and turn-key projects by bidding against global tenders in the face of world competition.

(b) and (c) : Coordination between the Export House and a number of organisations such as manufacturers, suppliers, engineering consultants, financial institutions both in public and private sectors is a pre-requisite for participation in large value contracts and projects and this being so, each proposal of large value contract is being considered expeditiously and necessary facilities made available.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the Hon. Minister has gone through the report of the Engineering Export Development Council in which it is stated that we got chance to open Sugar Mills at Philippines and Sudan but we missed it ? There are more similar facts mentioned in the report. Has not the Hon. Minister looked into the report ? If so, then what does "No Sir" mentioned in part (a) of the Statement refer to ?

Shri L. N. Mishra : This "No Sir" has no relation with the report. The Hon. Member has asked whether in many cases Indian Commercial firms are not in a position to get Engineering contracts because of world competition. This 'No' refers to this. The export of engineering goods is increasing and the Government is providing all facilities. If there are some difficulties then we will look into the same to find out the Specific reasons. The Hon. Member will be glad to know that previously our export of engineering goods was worth of Rs. 41 crores but now it has increased to Rs 115 crores. He will also be glad to know that our engineering goods have entered in Japan, Germany, England and America and other countries. Apart from this we are participating in joint ventures under which we want to put up big industries in African countries and other countries in collaboration with them,

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Engineering Export Development Council has stated that Small Scale Industries cannot compete in the Global tender. So there must be a Consortium in which Small Scale Industries should have representation and which can stand the world competition. I want to know whether the government has considered this suggestion.

Shri L. N. Mishra : It is true that there is considerable competition particularly in technical know-how and designs and their is shortage of capital. We are looking into these three problems. We are consulting with Engineering Export Promotion Council to ensure what economic and technical assistance may be provided so that we may compete with other countries and sell our goods there.

कलकत्ता में निर्यात किये जाने वाले सामान को तौलने ओर मापने के लिये एक सरकारी एजेंसी स्थापित करना।

*373. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता लाइसेंस प्राप्त मापक संगठन, जो चाय और टाट जैसी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने का कार्य करता है, हाल ही में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको बन्द किए जाने के क्या कारण हैं, और क्या इसके लिये सरकार से पूर्व अनुमति ले ली गई थी ;

(ग) क्या देश के विदेश व्यापार के हितों के लिये मापने और तौलने की ये कार्यवाही अनिवार्य है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य को करने के लिए कोई उपयुक्त सरकारी एजेंसी स्थापित की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ग) : जी हाँ।

(ख) और (घ) : निम्नोक्त कारणों से हुई आवर्ती हानियों के परिणामस्वरूप :—

(1) जहाजी कम्पनियों द्वारा पटसन कालीन अस्तर मापने की कार्यवाही समाप्त करना।

(2) माल के तीव्र लदान को सुविधाजनक बनाने हेतु स्टीवेडोर। स्टीमर एजेंटों द्वारा फार्म की सेवाओं का बार-बार रद्द किया जाना।

मई 1971 में श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा की गई त्रिपक्षीय बैठक में उद्योग

विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत संगठन द्वारा फिर से कार्य पुनः चालू करना तय हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ अमले सहित पुनर्गठन शामिल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर 'हाँ' में दिया गया है जिससे मैं समझता हूँ कि देश के विदेश व्यापार के हित में तौलने और मापने का कार्य अत्यावश्यक है। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की है कि हमारे देश के सभी बड़े बंदरगाहों में विशेषकर सरकारी क्षेत्र में ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में तौलने और मापने का कार्य सुनिश्चित हो सके न कि इस कार्य को कलकत्ता के समान किसी गैर सरकारी एजेंसी पर छोड़ा जाय ?

श्री एल० एन० मिश्र : गैर सरकारी एजेंसियां धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं और कलकत्ता में भी ये नहीं रहेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहूँगा कि क्या कलकत्ता लाइसेंस नाप संगठन दो वाणिज्यिक मंडल---बंगाल वाणिज्यिक मंडल और भारतीय वाणिज्यिक मंडल---के एजेंटों के रूप में कार्य कर रहा है और सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि निर्यातक अपना माल तुलवाने और नपवाने के लिए किसी भी रूप में बाध्य नहीं हैं जिसके परिणाम-स्वरूप बीजक में कम और अधिक मात्रा दिखाई जा रही है ? सरकार इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन बंदर-गाहों में तौलने और मापने का कार्य सरकारी संगठन करें ?

श्री एल० एन० मिश्र : बीजक में कम दिखाना या अधिक दिखाने का कार्य वित्त मंत्रालय से संबंधित है। जहाँ तक विदेशी व्यापार के माल को अपने अधिकार में लेने का संबंध है, इसके लिए एक संगठन है, परन्तु यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था। हम उस संगठन को कलकत्ता सहित सभी बंदरगाहों में सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, इस समय यह गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ में है और उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं।

श्री इराज्मुद सेकैरा : इन में से बहुत से निर्यात ठेकों में निर्धारित है कि अंतिम भुगतान न केवल भारतीय बंदरगाहों से बल्कि लक्षित बंदरगाह से भी माल पहुंचने की रिपोर्ट मिलने पर किया जायेगा। अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार माल चढ़ाये जाने वाले हमारे बंदरगाहों पर व्यापक जांच पड़ताल कराना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या जिस बंदर-गाह पर माल उतारा जाता है वहाँ भी वजन करने वाले भारतीय संगठन द्वारा अधीक्षण किये जाने के कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस समय हम केवल जहाज पर माल चढ़ाने से पहले निरीक्षण करते हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सुझाव है और यदि ऐसा आवश्यक समझा गया तो हम इस मामले की जांच करेंगे।

कलकत्ता पोर्ट कमीशन के गोदामों में पड़ी चाय की पेटियां

*376. **श्री दशरथ देव :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात हैं कि लगभग 12 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय की लगभग 35,000 पेटियां जनवरी, 1971 से कलकत्ता पोर्ट कमीशन के सार्वजनिक गोदामों में पड़ी हैं ;

(ख) क्या कलकत्ता के सभी निजी गोदामों को अपने अधिकार में लेने की सरकार की कोई योजना है ;

(ग) क्या सरकारी गोदामों के लिए पेटियों का न्यूनतम कोटा सुनिश्चित करने हेतु सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 19 जनवरी 1971 को मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी द्वारा कलकत्ता में सार्वजनिक चाय गोदामों के बंद करने की घोषणा के परिणामस्वरूप लगभग 13.5 करोड़ रु० मूल्य की कुल 3.80 लाख चाय पेटियां ताले में बंद कर दी गई थीं । तथापि यह गोदामों की बंदी 30 अप्रैल 1971 को समाप्त कर दी गई थी। अब सार्वजनिक गोदामों में चाय के वर्तमान स्टाक की लगभग 2.3 लाख चाय-पेटियां हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दशरथ देव : फरवरी के प्रारंभ में विदेश व्यापार मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने स्वयं यह कहा था कि मुझे स्थिति के बारे में जानकारी है । किन्तु इस के क्या कारण हैं कि चार मास के पश्चात् भी समस्या को हल नहीं किया जा सका । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : बामर लारी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने चाय गोदामों को बन्द करने का निर्णय किया है और हम उन्हें अपने अधिकार में लेना चाहते हैं तथा हम परिवहन मंत्रालय से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार कर रहे हैं । वास्तविक समस्या उन सभी कर्मचारियों को लेने की है जो इस मापडागार संगठन में कार्य कर रहे थे । हम परिवहन मंत्रालय से इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संगठन में कार्य कर रहे थे उनको सेवा से न निकाला जाये वरन् उनको रोजगार दिया जाये क्यों कि उन्हें इस कार्य का अनुभव है और कलकत्ता में इस कार्य के लिये अनुभवी व्यक्तियों का प्राप्त करना कठिन है ।

सरकार के प्राशासकीय ढांचे में परिवर्तन

*380. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मामलों को शीघ्रता से निपटाने और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने, प्राशासन को जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक क्रियाशील बनाने तथा भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदनों के अनुसरण में क्या कार्यवाई की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सरकार आशा करती है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के प्रगामी कार्यान्वियन से लोक प्रशासन में सुधार होगा, जिनमें मामलों का शीघ्र निपटान, लोक शिकायतों का निवारण और लौकिक आवश्यकताओं के प्रति क्रियाशीलता महत्वपूर्ण पहलू है । लोक शिकायतों के निवारण और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में केन्द्र में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने के लिए संसद में एक विधेयक

को पुनःस्थापित करना एक मुख्य कदम था। यह विधेयक नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर आधारित था।

श्री डी० डी० देसाई : क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दोनों वर्षों में योजना लक्ष्यों की क्रियान्विति में कमी हुई है ? ऐसा सरकार द्वारा देरी किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ है। कार्यों को शीघ्रता से करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? योजना लक्ष्यों तथा योजना परिव्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चालू कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने योजना व्यय में जिस कमी का उल्लेख किया है उसके विभिन्न कारण हैं। जहां तक सरकारी निर्णयों में देरी होने का प्रश्न है इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि निर्णय यथासम्भव शीघ्र किये जा सकें। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न सिफारिशें, जो उनके प्रतिवेदनों में की गई हैं, प्रशासन को अधिक कार्यकुशल बनाएंगी तथा उनके परिणामस्वरूप मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जायेगा।

उन सभी विशिष्ट योजनाओं का उल्लेख करना कठिन है जिनसे मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। वास्तव में सरकार की समस्त प्रक्रिया, कार्य करने का ढंग, शक्तियों का प्रत्या-योजन आदि सभी ऐसे मामले हैं जिन पर सततरूप से विचार करना पड़ता है। विभिन्न आदेशों और प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे प्रयत्न किये जाते हैं कि मामलों का और विशेषकर नीति संबंधी निर्णयों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके।

श्री डी० डी० देसाई : चूंकि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि बजट में खर्च में कमी की जाये तो क्या सरकार कार्य को ये निर्धारित समय से आधे समय में अथवा निर्धारित समय से कुछ कम समय में पूरा करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसी बात है ? क्या सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित करके, चाहे वह तीन दिन की हो अथवा एक सप्ताह की अथवा 15 दिन की हो, निर्णय के लिये शेष बचे मामलों को कम समय में निपटाने के लिये विचार किया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसी प्रक्रियाएं हैं। चाहे मामला लाइसेंस की मंजूरी देने से सम्बद्ध हो अथवा सचिवालय में किसी विशिष्ट स्तर पर निपटान किये जाने से सम्बद्ध हो, कुछ प्रक्रियाओं में समय-सीमा की भी व्यवस्था होती है। अतः जहाँ तक सम्भव हो कुछ न कुछ समय-सीमा सदा निर्धारित की जाती है तथा यह भी प्रयत्न किया जाता है कि मामलों का शीघ्र निपटान किया जाये। तथापि जिन मामलों में विभिन्न मंत्रालयों को परस्पर विचार-विमर्श करना पड़ता है उनके निपटान में कुछ अधिक समय लगना तो स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति के लिये भी अन्तमंत्रालय समिति की स्थापना की गई है जिसमें महत्वपूर्ण मामलों पर मिलकर विचार-विमर्श किया जाता है और प्रयत्न किया जाता है कि फाइल को इधर से उधर घुमाने और उन पर लम्बे-चौड़े नोट चढ़ाने की बजाय मामलों को शीघ्र निपटाया जाये। मेरे कहने का आशय यह है कि सरकार द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रश्न पर लगातार विचार किया जाता है तथा सरकार के समक्ष सदा यह प्रश्न रहता है कि इससे सम्बन्धित प्रक्रिया में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।

श्री नवल किशोर सिंह : माननीय मंत्री ने लोक पाल और लोक आयुक्त की संस्थाओं का उल्लेख किया है। राज्यों में स्थित इन संस्थाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है क्योंकि हमारी अधिकतर योजनाओं की क्रियान्विति राज्यों में होती है ? मेरा विचार है कि इस संबंध में अधिक प्रगति नहीं हुई हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि किन राज्यों ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है। किन्तु जहां तक हमारे लोक पाल और लोक आयुक्त विधेयक का प्रश्न है, उस विधेयक को लोक-सभा ने पारित कर दिया था और राज्य-सभा में अनिर्णीत पड़ा था किन्तु लोक-सभा के भंग हो जाने पर वह विधेयक व्ययगत हो गया। सरकार का विचार उस विधेयक को उचित अवसर आने पर पुनः पुरःस्थापित करने का है।

Shri Achal Singh : May I know from the Hon. Minister whether it has been decided to reduce the expenditure ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The problem of reducing the expenditure always remains before the Government. Every effort is made to reduce the expenditure incurred unnecessarily or exorbitantly. However, in view of the increased activities and function of the Government, it does not seem possible to have any reduction in the expenditure.

Shri R. V. Bade : May I know whether any steps have been taken to put an end to red-tapism, as the Administrative Reforms Commission has recommended to penalise such persons as have done nothing but to attach red or green flags on the files ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not clear as to which recommendation of the Commission has been referred to by the hon. Member,

Shri R. V. Bade : Red-tapism.

Shri Ram Niwas Mirdha : The problem of red-tapism cannot be solved by making a recommendation or passing any order. It involves the whole procedure and the methods of working of the Government and attempts are made constantly to improve this procedure.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सामान्य प्रशासनिक देरी के अतिरिक्त जनता की कठिनाइयों को दूर करने में देरी होने के कारण निर्णयों का उत्तरदायित्व लेने में देरी करना भी है। क्या सरकार ने सचिव स्तर पर अथवा किसी अन्य स्तर पर निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई निर्णय किया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सम्भवतः वह यह पूछना चाहते हैं कि आयोग की सिफारिशों को अथवा निर्णयों को किस स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जी नहीं, निर्णयों को लागू करने के लिये सम्बद्ध अधिकारी पर उत्तर-दायित्व निर्धारित करने के बारे में।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकारी ढांचे में मामले का निपटान विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। बहुत से मामले सचिव के पास जाते ही नहीं है। मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह गलत धारणायें है कि सभी मामले सचिव अथवा मंत्री के पास जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सचिवालयों में होने वाले कार्यों के संबंध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को शक्ति दे दी जाती है और वही उनका निपटारा करते हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि देरी के लिये कौन उत्तरदायी है। तथापि यदि किसी स्तर पर देरी होती है जिसके निपटान के लिये वह अधिकारी उत्तरदायी है उसे अवश्य उत्तरदायी ठहराया जाता है।

चण्डीगढ़ नगर प्रशासन के लिए लोकतन्त्रात्मक ढांचा

*381. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ में लोकतंत्रीय व्यवस्था के आधार पर नगर प्रशासन आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़ नगर प्रशासन में कम से कम कुछ लोकतंत्रीय तत्व सन्निविष्ट करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : इस स्थिति में यह उपयुक्त नहीं समझा गया है कि एक निर्वाचित निकाय की व्यवस्था चण्डीगढ़ में नागरिक प्रशासन की देखभाल के लिये की जाय ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मन्त्री महोदय ने कोई कारण नहीं बताया है । क्या चण्डीगढ़ में रहने वाले अनेक शिक्षित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को चण्डीगढ़ नगर के प्रशासन में सम्मिलित करने से इन्कार करने के बजाय उनकी बात सुनना उपयुक्त नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : चण्डीगढ़ में नगर निकाय की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसका एक कारण यह है कि चण्डीगढ़ की संघ-शासित क्षेत्र के रूप में स्थिति ही स्वतः अन्तरिम व्यवस्था है । सदन को इस बात का पता ही है कि चण्डीगढ़ के भविष्य के बारे में कुछ निर्णय किये गये हैं । इसका सम्पूर्ण खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाती है जो लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है । यदि यहां नगर निकाय की व्यवस्था की जाए तो वहां नगर-कर लगाने पड़ेंगे अन्यथा ऐसा निकाय बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है जबकि सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है । तत्कालीन पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि नगर का तेजी से विकास करने के लिए वहां 25 वर्ष तक किसी प्रकार के नगर-कर नहीं लगाये जायेंगे । यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें यह निर्णय लेना पड़ा है ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या मन्त्री महोदय यह महसूस करते हैं कि सम्पूर्ण स्थिति पर पुनः विचार करने और नगर प्रशासन के मामले को ध्यान में रखते हुए चण्डीगढ़ की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने का अब उपयुक्त समय आ गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह मामला ही, तीन बार गृह मन्त्रालय की मन्त्रणा समिति में और एक बार मुख्य आयुक्त की मंत्रणा समिति में जा चुका है । सब बार यही निर्णय किया गया है कि इस सम्बन्ध में कोई विचार ही नहीं किया जाए ।

दार्जिलिंग क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में चाय बागानों का बंद होना

*382. **श्री गदाधर साहा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में अनेक चाय बागान बंद कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार चाय बागान मालिकों को चाय बागान पुनः खोलने के लिए अल्पावधि ऋण दे रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) बंद चाय बाग को फिर से खोलने के लिए अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

(क) तथा (ख): 1969 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में तीन चाय बागान बन्द हो गये थे । एक चाय बागान अलाभकर कार्य चालन के कारण बंद हो गया था, दूसरे चाय बाग का रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण किया गया था और तीसरे बाग, जो अलाभकर कार्य-चालन के कारण बंद कर दिया गया था, संपदा अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिर से अपने अधिकार में ले लिया गया है ।

श्री गदाधर साहा : क्या यह सच है कि दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में अनेक चाय बागान बन्द कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, उनके बन्द करने के क्या कारण हैं, और उनको फिर से खोलने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है, तीन चाय बागान बन्द किए गये हैं । दो बागानों को बन्द करने का कारण है उनका अलाभकर कार्यचालन और तीसरा चाय बागान रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत किया गया था । इन चाय बागानों में से किसी को खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौथी योजना में राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय

*378. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में कितना अन्तर होगा ; और

(ख) गत योजनाओं की अवधियों में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है जिसमें चौथी योजना अवधि के लिए निर्धारित प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय तथा इसके पूर्व की अवधियों के तुलनीय आंकड़े दिखाये गये हैं ।

विवरण

राज्यों का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय/व्यय

(रुपयों में)

राज्य	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	वार्षिक योजना 1966-67	वार्षिक योजना 1967-68	वार्षिक योजना 1968-69	चौथी योजना 1970-74
1—आन्ध्र प्रदेश	33	52	91	23	16	18	94
2—आसाम	29	57	103	19	22	19	161
3—बिहार	25	40	67	14	13	12	89
4—गुजरात	58	76	108	25	27	32	165
5—हरियाणा	—	—	—	25	29	36	214
6—जम्मू और काश्मीर	39	77	166	45	52	55	386
7—केरल	31	49	101	23	25	25	117
8—मध्य प्रदेश	34	48	84	15	14	15	93
9—महाराष्ट्र	37	57	103	26	26	31	174
10—मैसूर	46	62	100	21	23	25	116
11—नागालैंड	—	—	280	130	136	132	903
12—उड़ीसा	56	54	120	22	22	17	99
13—पंजाब	104	87	126	24	34	32	191
14—राजस्थान	39	53	97	21	16	19	111
15—तामिलनाडु	12	57	98	22	24	24	129
16—उत्तर प्रदेश	25	32	72	18	18	17	103
17—पश्चिम बंगाल	54	48	80	13	12	13	69
सभी राज्यों का औसत	39	51	91	20	20	21	119

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अपेक्षाकृत निर्बल राज्यों को सहायता देने हेतु योजना आयोग द्वारा पहले से की गई कुछ कार्यवाही के उपरान्त क्या इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य प्रस्ताव भी हैं ? पहले यह निर्णय किया गया था कि राज्यों के लिए उपलब्ध होने वाले कुल धन का 10 प्रतिशत अपेक्षाकृत निर्बल राज्यों के लिए होगा । अब इसकी क्या स्थिति है ? क्या योजना आयोग इस दिशा में आगे कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

श्री मोहन धारिया : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस मामले पर विचार किया है । 1968 में किये गए निर्णय के अनुसार चौथी योजना से आसाम, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैण्ड की आवश्यकताओं के लिये "पूल" की व्यवस्था की गई थी । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा कसौटी निर्धारित की गई है । 60 प्रतिशत धन जन संख्या के आधार पर जाता है, 10 प्रतिशत कर प्रयास के आधार पर जाता है, 10 प्रतिशत उन राज्यों के लिए होता है जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत से कम होती है ; और 10 प्रतिशत पिछली योजनाओं के कार्य को चालू रखने के लिए दिया जाता है । इस बात का ध्यान रखा गया है । यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने ही संसाधनों को अपने ही क्षेत्रों में संचालित करने का प्रयास करें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या बिहार सरकार ने विशेष रूप से यह अनुरोध किया है कि उसे विशिष्ट प्रकार की सहायता दी जाये ?

श्री मोहन धारिया : समस्त राज्यों से प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, यहां तक कि उन राज्यों से भी जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है । विभिन्न राज्यों की अनेक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न यह उठता है कि केन्द्रीय पूल से कितने धन का नियतन किया जाय । इस प्रयोजन के लिए समस्त मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात् एक कसौटी अपनाई गई है । देश के वर्तमान ढांचे को ध्यान में रखकर केवल यही निर्णय किया गया है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूस को नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-रूस करार

*361. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के लिये भारत और रूस में हाल में कोई करार हुआ है ;

(ख) उपर्युक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रूस को नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) तथा (ख) : सोवियत संघ को, विशिष्ट रूप से कयर उत्पादों के निर्यात हेतु, भारत सरकार तथा सोवियत संघ सरकार के बीच ऐसा कोई

करार नहीं किया गया है। परन्तु दोनों सरकारों के बीच दिसम्बर, 1970 में हस्ताक्षरित दीर्घकालिक व्यापार करार में "कयर का माल" भारत से सोवियत संघ को किये जाने वाले निर्यातों की मदों में शामिल हैं।

(ग) सोवियत संघ को कयर के माल के निर्यातों में संतोष जनक प्रगति हो रही है और सोवियत संघ को इस माल के निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

निर्यातकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये राज्यों में राज्य व्यापार निगम के एकक

*368. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने राज्यों के निर्यातकर्ताओं से सम्पर्क बनाये रखने के लिए राज्यों में एकक स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब कार्यरूप दिया जायेगा ; और

(ग) प्रति वर्ष राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये जाने वाले निर्यात में विभिन्न राज्यों का हिस्सा कितना होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई हिस्सा तय नहीं किया गया है।

Taking over Import and Export Trade of various Commodities by Government.

*364. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of items whose import and export trade has at present been taken over by Government ; and

(b) the names of the items whose import and export trade is proposed to be taken over by Government during 1971-72 ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) A list of items whose import and export has been canalised through State agencies is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See** Nos L.T. 359/71**]**.

(b) Decisions regarding canalisation of new items are generally taken and announced along with the Import Trade Control Policy for each year.

दिल्ली स्थित गुरुद्वारा सीसगंज में सशस्त्र व्यक्तियों का कथित प्रवेश

*366. **श्री के० लकप्पा :**

श्री बी० एन० पी० सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1971 को 35 सशस्त्र व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा सीसगंज के

द्वार पर नियुक्त सशस्त्र सेवादार पर काबू पाकर गुरुद्वारे में जबरदस्ती प्रवेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार कुछ महिलाओं और एक बच्चे सहित 41 व्यक्तियों ने 6 मई, 1971 को गुरुद्वारे से सेवादारों को बलपूर्वक निकालने के पश्चात् स्वयं को गुरुद्वारा सीसगंज में बन्द कर भीतर से ताला लगा दिया । दिल्ली की तत्कालीन गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के मंत्री की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने कानून के उचित उपबन्धों के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया । पुलिस ने 20 मई, 1971 को उन्हें गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया । कानून के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

सिगरेट उद्योग में संकट

*367. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण ब्रिटेन के तम्बाकू आयातकर्ता विशेष रूप से लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विदेशी तम्बाकू आयातकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से लाभ उठाये जाने के कारण भारतीय सिगरेट उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका तथा पश्चिमी योरुप के देशों में भारत के सिले-सिलाये वस्त्रों की मांग

*372. **श्री एन० शिवप्पा : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सिले-सिलाये वस्त्र अमरीका तथा पश्चिमी योरोप के देशों में बहुत लोकप्रिय हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) इन वस्त्रों को अधिक देशों में लोकप्रिय बनाने और इस उद्योग के प्रसार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) हमारे सिले-सिलाये वस्त्र अमरीका तथा पश्चिमी योरोप के बाजारों में लोकप्रिय हो रहे हैं ।

(ख) 187.4 लाख रु० ।

(ग) विदेशों में प्रदर्शनियां, मेले तथा फैशन प्रदर्शनों की व्यवस्था की जा रही है और निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रचार किया जा रहा है। सिले-सिलाये वस्त्रों के बनाने वाले एकक अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र में हैं । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से किराया-खरीद आधार पर मशीनों के आयात की व्यवस्था की जा रही है । उद्योग को, निर्यातों के लिए सिले-सिलाये वस्त्र बनाने मे प्रयोग में आने वाले विशिष्ट किस्मों के कपड़े के आयात करने की अनुमति दी गई है। निर्यातों के लिए बौंड में विनिर्माण की व्यवस्था से निर्यात उत्पादन का विस्तार करने में सुविधा हो जायेगी ।

समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के बारे में दरें निर्धारित करना

*374. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के बारे में किस नीति का पालन किया जाता है ;

(ख) इस संबंध में दरें निर्धारित करने के लिये क्या कसौटी रखी गई है; और

(ग) समय-समय पर दरों का पुनर्विलोकन कौन करता है और दरों को बढ़ाने सम्बन्धी आवेदनों को निपटाने के लिए उसे किस सीमा तक विवेकाधिकार दिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) समाचार-पत्र / पत्रिकाएं अपने विज्ञापनों की दरें निर्धारित करने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं, किन्तु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचार-पत्र / पत्रिकाओं का उपयोग करता है जिनकी दरें प्रचार आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य पाई जाती हैं ।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन की दरों में समय-समय पर, प्रकाशक के अनुरोध पर या अन्यथा वास्तविक सर्कुलेशन में पर्याप्त परिवर्तन के आधार पर संशोधन किया जा सकता है ।

विवरण

समाचार पत्रों को विज्ञापन देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि विज्ञापन उपलब्ध सीमित धन राशि के अन्दर-अन्दर अधिक से अधिक लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंच जाएं । इसके लिए ऐसे समाचार-पत्र और पत्रिकाएं चुनी जाती हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन उन लोगों तक, जिनके लिए वे अपेक्षित होते हैं, तथा विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंच जाएं । इस सामान्य विचार के अधीन रहते हुए सरकार की यह नीति है कि सरकारी विज्ञापनों के लिए अधिक से अधिक मझौले तथा छोटे दर्जे के समाचार-पत्रों का उपयोग किया जाए ।

2. सरकारी विज्ञापनों के लिये समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

(1) वास्तविक खपत (सामान्यतः 1000 से कम बिक्री वाले समाचार पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता) ;

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है) ;

(3) पाठकों की श्रेणी ;

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन ;

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं ; और

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकार्य समझी जाएं ।

3. विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को नहीं दिए जाते जो आदतन साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों या सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के सामाजिक तौर से स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हों। तथापि, विज्ञापन देने में समाचार-पत्र के राजनैतिक सम्बन्ध को ध्यान में नहीं रखा जाता ।

कलकत्ता के समाचार-पत्रों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

*375. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को छपाई और कम्पोज करने की मशीनों के आयात के लिए अलग-अलग अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई ; और

(ख) क्या एकाधिकार प्राप्त समाचार-पत्रों के विदेशी मुद्रा के व्यय में कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जिसमें छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन दिया जा सके और वे बड़े समाचार-पत्रों से प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) विदेशों से उपकरण आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा समान स्वामित्व वाली बड़ी यूनिटों से सम्बन्ध रखने वाले समाचार-पत्रों समेत बड़े समाचार-पत्रों को केवल घिसी हुई मशीनों को बदलने के लिए तथा बदली जाने वाली मशीनों को केवल चालू रखने के लिए मंजूर की जाती है, उनकी निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं । छोटे तथा मझौले दर्जे के सभी समाचार-पत्रों की विदेशी मुद्रा की मांगें प्रति वर्ष पूर्ण रूप से पूरी की गई हैं ।

विवरण

1968-69, 1969-70 तथा 1970,71 के दौरान छपाई तथा कम्पोज करने की मशीनों के आयात के लिए कलकत्ता के समाचार-पत्रों को श्रेणीवार जारी किए गए विदेशी मुद्रा के आयात लाइसेंस

वर्ष	कुल मूल्य (रुपए)	बड़े समाचार-पत्र		मझोले समाचार-पत्र		छोटे समाचार-पत्र	
		मूल्य (रु०)	प्रतिशतता	मूल्य (रु०)	प्रतिशतता	मूल्य (रु०)	प्रतिशतता
1968-69	39,80,897	35,05,880	88,07	3,39,517	8.53	1,35,500	3.40
1969-70	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1970-71	10,44,970	2,80,463	26.84	शून्य	शून्य	7,64,507	73.16

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बटेलियनों की मांग

*377. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अप्रैल, 1971 में केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की और अधिक बटेलियनें भेजने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) तथा (ख): जी नहीं, श्रीमान। किन्तु अप्रैल, 1971 में बिहार सरकार ने अपनी सशस्त्र पुलिस को, उसकी व्यवसायिक कार्य क्षमता को उन्नत करने के लिए, पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दो अतिरिक्त बटालियनों के लिये कहा है।

राज्य सरकार ने सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों की प्रतिनियुक्ति के लिए समय-समय पर केन्द्र से मांग की है और जहां तक सम्भव हुआ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध किया गया है।

तेलंगाना के लिए अलग राज्य की स्थापना के लिए संसद् सदस्यों द्वारा ज्ञापन

*379. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना प्रजा समिति के संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन दिया है

जिससे उनसे तेलंगाना के लिए एक अलग राज्य बनाने हेतु तत्काल निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) : जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्यों में टेलीविजन केन्द्र

*383. **श्री पी० के० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा टेलीविजन पर किये जा रहे निन्दात्मक प्रचार का प्रतिकार करने की दृष्टि से सरकार का विचार सीमावर्ती राज्यों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) से (ग): पाकिस्तान के टेलीविजन केन्द्रों में से जिस केन्द्र के कार्यक्रम भारत में देखे जा सकते हैं, वह लाहौर में स्थित है । इस केन्द्र के कार्यक्रम पंजाब के कुछ क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं । पंजाब में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

रेयन यार्न और ऊनी कपड़ों के मूल्यों का पुनरीक्षण

*384. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन यार्न और ऊनी कपड़े के मूल्यों का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो नये मूल्यों के संबंध में इस उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या उद्योग से प्रतिनिधियों ने इस बारे में सरकार से बातचीत की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) रेयन यार्न और ऊनी कपड़े की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । अतः सरकार द्वारा मूल्यों के पुनरीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों और उप राज्यपालों का सम्मेलन

*385. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सुरक्षा-प्रबन्धों और विकास-कार्यक्रम में समन्वय हेतु प्रभावी उपायों पर विचार करने के लिए हाल ही में उक्त राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों और उपराज्यपालों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख): ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। किन्तु प्रधान मंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को राज्य दर्जा देने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए आसाम व नागालैण्ड के राज्यपाल तथा मणिपुर व त्रिपुरा के उपराज्यपालों से 22 नवम्बर, 1970 को बात-चीत की थी।

पूर्व बंगाल से हाल में बड़ी संख्या में आये शरणार्थियों के बारे में टेलीविजन और वृत चित्र

*386. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ होने के बाद पूर्व बंगाल से आ रहे शरणार्थियों के टेली-विजन और वृत्त चित्र बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां। इस विषय पर टेलीविजन समाचार फिल्में दिल्ली टेलीविजन केन्द्र द्वारा ली गई थी। टेलीविजन फिल्में कलकत्ता स्थित अंशकालिक कैमरामेन तथा विसन्यूज सर्विस से भी प्राप्त की गई थी।

9 अप्रैल, 1971 से फिल्म प्रभाग द्वारा रिलीज किए जाने वाले इंडियन न्यूज रिव्यू के साप्ताहिक संस्करणों में समाचार चित्रों को मुख्य विषयों के रूप में शामिल किया जा रहा है। फिल्म प्रभाग अब इस विषय पर एक वृत्त चित्र बना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपग्रह मार्ग

*387. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत 1971 में 77 उपग्रह मार्ग स्थापित करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): परियात पूर्वानुमानों के आधार पर 1971-72 के दौरान कुल 77 उपग्रह सरणियों की आवश्यकता होगी। फिर भी, उपलब्ध तथा स्थापित उपस्करों को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि 1971-72 के अन्त तक लगभग 50 सरणियां काम कर रही होंगी। 50 से अधिक सरणियों को मुहैया कराने के लिए जिन अतिरिक्त उपस्करों की आवश्यकता हो सकती है उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2. 26 फरवरी, 1971 से आर्वी के भूमि उपग्रह केन्द्र के द्वारा प्रचालनों के आरंभ होने के समय से 26 उपग्रह सरणियां स्थापित की जा चुकी हैं और ये निम्नलिखित देशों के साथ कार्य कर रही हैं :—

आस्ट्रेलिया	—	1
बहरीन	—	1
जापान	—	2
केनिया	—	1
कुवैत	—	1
मलयेशिया	—	1
सिंगापुर	—	1
स्विट्जरलैण्ड	—	1
ब्रिटेन	—	12
संयुक्त राज्य अमेरिका	—	4
पश्चिम जर्मनी	—	1

उपग्रह दूरसंचार जाल द्वारा मुहैया की गई दूरसंचार सेवाएं, खास तौर से टेलीफोन सेवा, ऊंचे स्तर की हैं और मौजूदा दरों पर ही चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।

राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि

*388. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति कोटे में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में प्रतिभावान अधिकारियों को

जो अभी तक श्रेणी 1 में नहीं है, आगे बढ़ाने हेतु अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिए श्रेणी 1 में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कोटे में 40 प्रतिशत तक की अधिकतम वृद्धि करने की सिफारिश की है । इस सिफारिश के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा भी आती है । यह सिफारिश विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल का फिल्म उद्योग

*389. **श्री पी० आर० दास मुन्शी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग की दशा तेजी से बिगड़ती जा रही है और फिल्म निर्माण एककों की संख्या भी घटती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) स्वतन्त्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग की दशा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि देश के विभाजन से कलकत्ता स्थित फिल्म उद्योग पूर्वी पाकिस्तान की पर्याप्त मार्केट से वंचित हो गया । परन्तु 1969-70 से फिल्म निर्माण एककों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग की बिगड़ती हुई हालत पर काबू पाने के हेतु उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकार ने 1962 में न्यायाधीश के० सी० सेन के अधीन एक फिल्म जांच समिति तथा 1966 में श्री सी० आर० गुप्त के नेतृत्व में एक अन्य तदर्थ समिति नियुक्त की थी । इन दोनों समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकार ने जून, 1969 में श्री बी० एन० सरकार की अध्यक्षता में राज्य फिल्म सलाहकार समिति गठित की थी । "सरकार" समिति ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग की दशा में सुधार के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं । यह रिपोर्ट अब राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य की वार्षिक व्यापार योजना

*390. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1971 को समाप्त होने वाली वार्षिक व्यापार योजना के अन्तर्गत भारत में संयुक्त अरब गणराज्य से किन-किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ;

(ख) क्या संयुक्त अरब गणराज्य यह मांग कर रहा है कि वहां से वस्तुओं को आयात करने में विविधता लाई जाये ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) विद्यमान भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत-संयुक्त अरब गणराज्य से मुख्यतः कच्ची रुई, चावल तथा राक फास्फेट का आयात करता है।

(ख) जी हां।

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार टेलिविजन सेटों, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों आदि का, जिनके आयात पर रोक है, संयुक्त अरब गणराज्य से भारत में सीधा आयात करने का सुझाव देता रहा है। उन्होंने क्रूड आयल के लिए भी प्रस्ताव रखा है परन्तु वे उसका निर्यात 1972 के पश्चात् ही कर सकेंगे।

मनीला में "इकाफे" सम्मेलन

1627. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अप्रैल, 1971 को मनीला में हुए एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों के लिये आर्थिक आयोग के सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) क्या भारत द्वारा सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव रखे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये ; और

(घ) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया गया तथा क्या-क्या निर्णय किये गये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (इकाफे) का 27 वां अधिवेशन 20 से 30 अप्रैल, 1971 तक मनीला (फिलीपीन) में हुआ था। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश व्यापार मंत्री ने किया था। अधिवेशन में स्वीकृत कार्यसूची की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 360/71]**

2. मंत्री-परिषद् के निदेशों के अनुसरण में, जो काबुल घोषणा में निर्दिष्ट हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिये योजनाओं, और विशेषतः उन योजनाओं को, जो एशियाई समाशोधन संघ तथा व्यापार प्रसार कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं पर कार्यवाही हेतु उचित समय सारिणी को अंगीकार करके, आगे बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया। अन्य सहायक क्षेत्रों, विशेषतः निर्यात संवर्धन औद्योगिकीकरण और परिवहन तथा संचार में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास भी किये गये।

3. वे मुख्य विषय जिन पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जोर दिया निम्नलिखित हैं :

(1) आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ मिलाने की अत्यावश्यकता।

(2) अतः क्षेत्रीय व्यापार में गिरावट की पद्धति को रोकने तथा काबुल घोषणा के अनुसार व्यापार प्रसार के लिये पारस्परिक लाभकर कार्यक्रम को, अन्य सुविधाकारक उपायों सहित शीघ्र स्वीकार करके इकाफे के विकासशील देशों के बीच व्यापार प्रसार में वृद्धि करने की आवश्यकता।

(3) एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना के लिये प्राथमिक समिति की सिफारिशों पर सत्वर अनुवर्ती कार्यवाही।

(4) एशियाई विकास बैंक के सक्रिय सहयोग से निर्यात ऋण पुनर्बीमा और निर्यात ऋण पुनर्वित्त-व्यवस्था के लिये बहुराष्ट्रीय योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता।

(5) इकाफे व्यापार संवर्धन केन्द्र के कार्यक्षेत्र का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करना ताकि वह निम्नोक्त रूप में कार्य कर सकें। (क) सतत आधार पर वाणिज्यिक सूचना के संकलन तथा प्रसार के लिये एक समन्वय एकक के रूप में तथा (ख) इकाफे के विकासशील देशों के निर्यात प्रयासों में सहायता तथा सम्पूर्ति के लिये एक प्रभावी संवर्धनात्मक अभिकरण के रूप में विशेषतः, यह अनुरोध किया गया कि केन्द्र को, अधिमानों की व्यापक योजना का पूरा लाभ उठाने, बन्धन मुक्त सहायता से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाने, और अतः क्षेत्रीय व्यापार विस्तार की किसी योजना में भाग लेने हेतु तैयार करने के लिये विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए।

(6) बढ़ते हुए भाड़े लागत की समस्याओं पर ध्यान देने, और इस सम्बन्ध में, 1971 में जहाजरानी और समुद्री भाड़ा दरों के कार्य दल की बैठक बुलाने की आवश्यकता।

(7) वस्तु समस्याओं और विशेषतः उपयुक्त वस्तु प्रबन्धों की व्यवस्था करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

4. भारतीय प्रतिनिधिमंल के इन सुझावों का आयोग के प्रतिवेदन में पूर्णतः आभास मिलता है। अधिवेशन में लिये गये निर्णयों का आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये संकल्प में समाविष्ट किया गया है। मनीला अधिवेशन में स्वीकृत संकल्पों की प्रतियों का एक सेट संसद् लाइब्रेरी में रख दिया गया है।

5. मनीला में इस अधिवेशन काल में, एक काली मिर्च समुदाय की स्थापना के लिये एक करार पर भी भारत, इंडोनेशिया तथा मलयेशिया द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

भूगतिक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय योजना

1629. **श्री सामिनाथन् :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूगतिक परियोजनाओं सम्बन्धी उस राष्ट्रीय योजना की मुख्य बातें क्या हैं जिस पर अप्रैल 1971 में नई दिल्ली में हुए वैज्ञानिकों के हाल के दो दिवसीय सम्मेलन में चर्चा की गयी थी ; और

(ख) भूमि के अन्दर होने वाली हलचल का अध्ययन करने के लिए चुने गये क्षेत्र कौन से हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्राह्मण्यम) : (क) से (घ): अन्तर्राष्ट्रीय भूमापक (ज्यामिति) तथा भूभौतिकी संघ के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति ने 2 और 3 अप्रैल, 1971 को अंतर्राष्ट्रीय भूमापन परियोजना पर, जोकि दृढ धरती के अध्ययन के लिये व्यवस्थित की जा रही है, चर्चा की थी। परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के लिये निम्न कार्यकारी दलों की स्थापना की गई थी :

विषय	समन्वयक
1. भूकम्प विज्ञान	डा० ए० एन० टंडन
2. भौतिक तत्वों पर प्रयोगशाला अध्ययन	डा० एस० बालकृष्ण
3. पैलियोमैंगनेटिज्म	डा० आर० के० वर्मा
4. पैट्रोलोजी, खनिज विज्ञान और भूकाल क्रम	डा० ए० पी० सुब्रह्मण्यम
5. सर्वेक्षण	श्री जे० चटर्जी

Loan to Goa

1628. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of loans provided by the Central Government to Goa during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ;

(b) the total amount of interest accrued thereon during the said period ;

(c) the amount of loans sought by the State Government for the financial year 1971-72 ; and

(d) the rate of interest to be charged thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Loans granted were as follows :—

1968-69	Rs. 6,27,06,700
1969-70	Rs. 5,08,58,500
1970-71	Rs. 6,67,75,000

(b) The total amount of interest accrued on the loans sanctioned during 1968-69 and 1969-70 is Rs. 92,54,276. No interest has become due so far on the loan sanctioned during 1970-71.

(c) Rs. 7,37,72,000.

(d) 5½% per annum with a rebate of ¼% for timely repayment of principal and interest.

Development of Pauri Garhwal District of U. P.

1630. **Shri Pratap Singh Negi :** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6255 on the 14th April, 1970 regarding declaring of

Garhwal District as backward area and imposition of prohibition and state the action taken by the Central Government for the development of Pauri Garhwal District of Uttar Pradesh which is among the most backward hilly districts of the State ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Action taken by the Central Government for the development of Pauri Garhwal district of Uttar Pradesh is as follows :

(i) Pauri Garhwal district is one of the 8 hill districts which have been recognised as relatively backward for purposes of accelerated development. Considering the need for continued effort for the development of these hill areas Central assistance on a liberal pattern 50% grant and 50% loan as against the normal pattern of 30% grant and 70% loan—is being given during the Fourth Plan period within the overall Central assistance agreed to for the State's Five Year Plan. Further, the outlay on the hill area Plan is under the Annual Plan of each year and therefore will not be divertable.

The State's Fourth Plan includes a provision of Rs. 65.05 crores for the hill region of which the share of Pauri Garhwal district is Rs. 6.94 crores. The breakup of this outlay by major heads of development and the progress of expenditure in the first two years 1969-71 of the Fourth Plan is shown below :

Outlay and expenditure in Pauri Garhwal

(Rs. in lakhs)

Head of development	Fourth Plan outlay	1969-70 Expenditure	1970-71 Anticipated Expenditure
1. Agriculture & Allied Programmes	254.340	27.350	32.432
2. Coop. & C. D.	24.810	6.283	5.126
3. Irrigation & Power	66.710	16.020	50.680
4. Industry & Mining	17.790	1.421	1.500
5, Transport & Communications	178.040	33.296	50,954
6. Social Services	151.970	38.910	27.110
7. Miscellaneous	0.480	0.018	0.064
Total	694.140	123.298	167.866

(ii) The District will also benefit from the Centrally sponsored schemes which are being implemented during the Fourth Five Year Plan for the Welfare of Backward Classes.

(iii) Pauri Garhwal District has been selected as an industrially backward district for concessional finance for new medium and small industries from financial and credit institutions.

(iv) The State Government is being advised to prepare a District Plan for Pauri Garhwal for the conservation and development of natural resources and creation of infrastructural facilities. For this purpose, an intensive survey is being considered under the auspices of a Committee of Direction with a Member of the Planning Commission as Chairman and State Secretaries of Planning and Finance and State Agricultural Commissioners, Adviser (I&M) and the concerned Adviser (Programme Administration) of the Planning Commission as members.

(v) The district will also benefit from a crash programme for Rural Unemployment which has been launched with a provision of Rs. 50 crores per annum all over the country.

(vi) A Rural Electrification Corporation has been set up recently and is giving finance on concessional terms to State Electricity Boards for Rural Electrification Programmes in backward areas such as Pauri Garhwal District.

काजू का निर्यात

1631. **श्री के० लकप्पा : क्या विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू का निर्यात बढ़ाने में सरकार ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) काजू के निर्यात से पिछले तीन वर्षों में वर्षवार, कितनी विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ ; और

(ग) काजू का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) : काजू की गिरियों के निर्यात के लिये हम अधिकांशतः आयातित नटों पर निर्भर हैं। अतः दीर्घकालिक उपाय के तौर पर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय कर रहा है। इसके साथ ही हम नये बाजारों का पता लगाने में प्रयत्नशील हैं जिसके लिये विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किये जा रहे हैं यथा, व्यापार मेलों में भाग लेना, प्रतिनिधिमंडल भेजना और विशेष संवर्धनात्मक उपाय करना। काजुओं के निर्यात, विशेषतः अपरम्परागत बाजारों को, बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम को भी कहा गया है।

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में काजुओं के निर्यात, क्रमशः लगभग 60.92 करोड़ रु०, 57.42 करोड़ रु० तथा 52.03 करोड़ रु० के रहे जिससे विदेशी मुद्रा की निवल आय 1968-69 में 29.54 करोड़ रु०, 1969-70 में 29.82 करोड़ रु० तथा 1970-71 में 22.78 करोड़ रु० की रही।

Shifting of High Power Transmitter proposed for Nainital

1632. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the high power transmitter, previously proposed to be installed in the vicinity of Nainital, is now being installed at some other place ; and

(b) if so, the location thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b): This transmitter will now be located at Najibabad. Two studios will, however, be established at Almora and Pauri. The consideration for selecting Najibabad for locating the transmitter was its suitability for effectivtity covering the largest possible area of Kumaon-Garhwal-region.

त्रिपुरा को दी गयी निधि का उपयोग न किया जाना

1633. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 1970-71 के लिये विकास के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत नियत राशि का उपयोग नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बचत के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) त्रिपुरा सरकार ने सूचना दी है कि विकास के अनेक शीर्षों के अन्तर्गत 1970-71 के लिये योजना व्यय की राशि पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकी।

(ख) त्रिपुरा सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गृह मन्त्रालय के अधिकारियों को अन्दमान टिम्बर की सप्लाई

1634. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन ने गृह मन्त्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों को कुछ अच्छी किस्म की इमारती लकड़ी सप्लाई की थी ;

(ख) क्या यह लकड़ी एक अध्यापक द्वारा रेलगाड़ी से दिल्ली लाई गई थी जो वर्ष 1970 में दिल्ली में युवक मेले के लिये स्कूल के बच्चों के साथ अनुरक्षक के रूप में आया था ;

(ग) क्या यह लकड़ी अधिकारियों को उपहार स्वरूप दी गई थी अथवा उसका मूल्य दिया गया था ;

(घ) क्या अन्दमान में इस प्रकार की लकड़ी उसी दर पर सामान्य जनता को उपलब्ध है जिस पर उपर्युक्त अधिकारियों को दी गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ): अण्डमान में आम लोगों को उपलब्ध होने वाली दरों पर गृह मन्त्रालय के दो अधिकारियों को मूल्यों के भुगतान पर थोड़ी लकड़ी बेची गई थी। एक मामले में 48.05 रु० के मूल्य की 0.066 घन मीटर लकड़ी थी। दूसरे मामले में बेची गई लकड़ी की मात्रा 0.083 घन मीटर और 0.032 घन मीटर थी जिसका कुल मूल्य 108.55 रु० था। लकड़ी अक्तूबर 1969 में बेची गई थी। इन अधिकारियों ने भुगतान चेक द्वारा किया था और सरकारी खाते में इस राशि का समायोजन किया गया था। लकड़ी कुछ अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली लाई गई जो यहां आ रहे थे। इस कारण न तो इन अधिकारियों को और न ही सरकार को कोई क्षति या खर्च उठाना पड़ा था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन उद्योग पर सट्टाबाजी का प्रभाव

1635. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च, 1971 से पूर्वी पाकिस्तान की विगड़ी परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप वहां से पटसन के निर्यात में कमी के कारण कच्चे पटसन के बाजार में सट्टाबाजी में अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि भारत में पटसन उद्योग के हितों पर सट्टावाजी का कोइ कुप्रभाव न पड़े सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । कच्चे पटसन की कीमतों का उतार-चढ़ाव आता रहा है । सामान्यतः आसाम बाटम के नाम से विख्यात किस्म के पटसन की कीमत 25 मार्च को 148.70 रु० प्रति क्विंटल थी जो बढ़कर 17 अप्रैल को 166.11 रु० प्रति क्विटल हो गयी । उसके पश्चात् कीमतों में गिरावट आ गई और ये 151.38 रु० से 162.0 रु० प्रति क्विटल के बीच चलती रहीं ।

(ख) वर्ष 1971-72 में पटसन तथा मेस्टा की बहुत अच्छी फसल होने की आशा है । आगामी फसल मौसम में अधिक प्राप्यता के कारण पटसन की कीमतों में तीव्र वृद्धि की आशंका नहीं है । कीमतों पर लगातार निगाह रखी जा रही है और समय समय पर यथावश्यक उपाय किये जायेंगे ।

प्रतिभावान् व्यक्तियों का अमरीका चले जाना

1637. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की नेशनल साइन्स फाउन्डेशन ने हाल में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया है कि विकासशील देशों से अमरीका आने वाले प्रतिभावान् कुल व्यक्तियों में 22 प्रतिशत व्यक्ति भारतीय हैं ;

(ख) क्या प्रतिभावान् व्यक्तियों को विदेश जाने से रोकने के विचार से सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही असफल सिद्ध हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ ।

(ख) वैज्ञानिकों की पूल योजना से 3,000 से अधिक व्यक्तियों को वापिस आने और

भारत में बसाने के लिए पहले ही सहायता मिल चुकी है। लेकिन हाल के वर्षों में अमरीका जाने वाले भारतीयों के प्रतिशत में वृद्धि का मुख्य कारण 'अमरीका का नया आव्रजन कानून' प्रतीत होता है।

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों इत्यादि को भारत वापिस आने की सुविधा प्रदान करने के लिये जो उपाय पहले ही किये जा चुके हैं, उनका एक विवरण साथ में संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों को, देश में रोजगार की कमी के कारण विदेशों में जाने से रोकने के लिए, भारत में नौकरियां प्रदान करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिकसंख्यक पदोंका निर्माण जिनके लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलजिस्टों को जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तित्व सम्पर्क' के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिये भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थायें भी कर ली हैं।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए तथा उनके नामों को सभी मन्त्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा वृहत् प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

(ख) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नौकरी की सुविधा में सुधार लाने के लिए जो कुछ उपाय किये गए, वे नीचे दिये गये हैं:

(1) वैज्ञानिकों को योग्यता पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर तक (700 से 1250 रु०) अगले ऊँचे पद के लिए पाँच वर्षों में एक बार वैज्ञानिकों की योग्यता आंकी जाती है ।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों तथा विश्व-विद्यालयों के बाहर भी शिक्षावृत्तियाँ दी जाती हैं ।

(4) वैज्ञानिकों को अनुसन्धान के लिये सहायता-अनुदान देना ।

पश्चिमी बंगाल को अधिक केन्द्रीय सहायता

1638. **श्री बी० के० मोडक :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय और केन्द्रीय सहायता भारत के समस्त राज्यों में सबसे कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की बढ़ती हुई बेरोजगारी और अन्य आर्थिक समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार पश्चिम बंगाल के लिए अधिक नियतन करने का विचार कर रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पश्चिमी बंगाल का प्रति व्यक्ति परिव्यय चौथी योजना के लिए सब से कम है । तथापि इसकी प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता देश में न्यूनतम नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्थापित की गई मुख्य मन्त्रियों की समिति द्वारा स्वीकृत पद्धति के अनुसार पूर्व-निर्धारित है अतः राज्य योजना के आकार में वृद्धि अधिकतर राज्य के योजना कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था हेतु अपने स्वयं के साधनों को जुटाने के प्रयत्नों पर ही निर्भर करेगी । चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुमान 221 करोड़ रुपये का था जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :—

	(रु० करोड़ों में)
(1) 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर	159.21
(2) राज्य की आय (10 प्रतिशत)	कुछ नहीं
(3) कराधान (10 प्रतिशत)	19.50
(4) सिंचाई तथा बिजली (10 प्रतिशत)	6.44
(5) विशेष समस्याएं (10 प्रतिशत)	35.85
	221.00

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल को उपर्युक्त मापदण्ड (2) के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिली थी क्योंकि पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत (रु० 422 के मुकाबले 498 रु०) से अधिक थी ।

क्योंकि योजना परिव्यय में वृद्धि राज्य सरकार की अपने साधनों को बढ़ाने की क्षमता पर निर्भर करेगी, अतएव राज्य सरकार को 73 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई जिससे कि यह चौथी योजना के दौरान विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अपने अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए पूर्व-प्राक्कलित गैर-योजना अन्तरालों को भर सके। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि तीसरी योजना में राज्य के अपने संसाधन 145 करोड़ रुपये के थे जबकि चौथी योजना में राज्य के संसाधन केवल 101.5 करोड़ रुपये ही आंके गये हैं। यदि राज्य संसाधनों को और बढ़ाने के प्रयत्न किये जायें तो यह संभव हो सकता है कि चौथी योजना में राज्य के योजना परिव्यय में और वृद्धि की जा सके। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल के तीव्र विकास हेतु इन स्कीमों के लिए योजना के अलावा विशेष सहायता प्रदान की है :—

(1) कलकत्ता महानगर जिला विकास कार्यक्रम	8 करोड़ रु०
(2) सिंचाई परियोजनाएं (कांसबटी 2 करोड़ रु० तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं 1.70 करोड़ रुपये)	370 करोड़ रुपये

जैसाकि राज्य का विकास काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष समय में कुल कितना व्यय हुआ है अतएव यह उल्लेखनीय है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर किया गया व्यय अनुमानतः 112.2 करोड़ रुपये है। गत 18 वर्षों में (1951 से 1969) में राज्य में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर 466 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में किया गया प्रति व्यक्ति व्यय 128 रुपये है जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 57 रुपये है।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित विशेष परियोजनाएं, जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्णरूपेण केन्द्र द्वारा ही की जानी है, पहले से ही आरम्भ की जा चुकी है जो कि बेरोजगारी की अवस्था पर अनुकूल प्रभाव डालेगी।

(1) **लघु-कृषक विकास अभिकरण**

उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत दार्जिलिंग, हुगली तथा पश्चिम दिनाजपुर को चुन लिया गया है। इनमें से प्रत्येक जिले के लिए योजना अवधि के दौरान 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(2) **ग्राम निर्माण कार्यक्रम**

योजना अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ दो परियोजनाओं को चुना गया है; पहली परियोजना जो कि पुरुलिया जिले को अन्तर्विष्ट करती है तथा दूसरी परियोजना बांकुड़ा और मिदनापुर दो जिलों के कुछ क्षेत्रों को अपने में अन्तर्विष्ट करती है।

(3) **नाममात्र के कृषक और भूमिहीन श्रमिक**

प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ पुरुलिया तथा बांकुड़ा जिलों को चुना गया है।

(4) वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्त का प्रावधान

नये उद्योगों को शुरू करने तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किये जाने वाले रियायती वित्त की स्कीम के लिए पुरुलिया, दार्जिलिंग तथा बांकुड़ा जिलों को चुन लिया गया है। पुरुलिया जिले को प्रत्येक एकक पर 50 लाख रुपये से अधिक लागत न आने वाले औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु 10 प्रतिशत अनुदान देने की स्कीम के अन्तर्गत चुना गया है।

(5) ग्रामीण बेरोजगारी के लिए तूफानी कार्यक्रम

राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी को हल करने के लिए तूफानी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है जो कि सभी जिलों को अपने में अन्तर्विष्ट करता है। इसमें प्रत्येक जिले पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये व्यय होंगे।

भारतीय प्रशासनीय सेवा के उम्मीदवारों के चयन के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरों द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1639. **श्रीमती बिभा घोष :**
श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरों के उस सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय प्रशासकीय सेवा के लिए चयन किए गए सभी अधिकारियों ने सामान्य ज्ञान में बहुत कम अंक प्राप्त किए थे ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग): सरकार का ध्यान 1969-70 में भारतीय प्रशासकीय सेवा सफलता निर्धारक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोजगार, सूचना तथा मार्ग दर्शन द्वारा ली गई थी। तथ्यों का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण चालू किया गया जो कि भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक का कार्य कर सकता है। ब्यूरों ने वर्ष 1968 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली भारतीय प्रशासकीय सेवा की परीक्षाओं के आधार पर 92 अधिकारियों को नियुक्ति के लिए बुलाया जिसमें से 60 अधिकारियों से जवाब प्राप्त हुए। इस प्रकार सफलता प्राप्त उम्मीदवारों के पारिवारिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि का पता लगाते हुए, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के निर्धारक और इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा का योगदान सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप सामान्य ज्ञान का इस परीक्षा के सम्बन्ध में बहुत कम महत्व है, किन्तु इसके बारे में कोई बाधा नहीं है।

सरकार का यह मत है कि उपर्युक्त ब्यूरों से प्राप्त सीमित सामग्री के आधार पर केवल एक वर्ष की परीक्षा में, कुछ सफल उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कोई सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचना उचित नहीं है और इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जायेगा ताकि मान्य निष्कर्ष प्राप्त हो सके ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में कार्य की धीमी प्रगति

1640. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर एक मन्त्रालय के आधिपत्य से दूसरे मन्त्रालय के आधिपत्य में आते रहने के कारण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य की गति बहुत धीमी हो गयी है ;

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय या विभिन्न प्रयोग-शालाओं के निदेशकों की बैठक कब से नहीं हुई है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) जी नहीं । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) एक स्वायत्त संगठन की तरह कार्य करती है और इसका प्रशासनिक मंत्रालय के साथ सम्बन्ध केवल नाममात्र का है ।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशकों का सम्मेलन 4 से 5 जुलाई, 1970 को हुआ था और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा की गत बैठक दिनांक 24 जुलाई, 1970 को हुई थी । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा की अगली बैठक बुलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । शासी सभा की बैठक से पूर्व निदेशकों का सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत

1641. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ अवकाश यात्रा रियायत योजना लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इन उद्देश्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ अवकाश यात्रा रियायत योजना, 11 अक्तूबर, 1956 को आरम्भ की गई थी और इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) सभी नियमित कर्मचारी, जिन्हें सेवा में एक वर्ष पूरा हो गया हो, 1956-57 से आरम्भ होने वाले दो कलैन्डर वर्षों में एक वार अपने मूल निवास-स्थान जाने और वहां से वापस आने के लिए अवकाश यात्रा रियायत प्राप्त करने के हकदार हैं ;

(ख) यह रियायत न केवल सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्य है, बल्कि उनकी स्त्रियां, उनके साथ रह रहे और उन पर पूर्ण रूप से आश्रित औरत और सौतेले बच्चों को भी प्राप्य है, किन्तु उनके माता-पिता, बहनों, भाइयों आदि को प्राप्य नहीं है ;

(ग) यह रियायत केवल उस समय दी जाती है, जब सरकारी कर्मचारी कम से कम 15 दिन के लिए नियमित अवकाश पर जाता है और यह रियायत रेलवे कर्मचारियों, सुरक्षा सेवा के सदस्यों एवं उन्हें जो किसी अन्य प्रकार की यात्रा रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं, के लिए स्वीकार्य नहीं है ।

(घ) वहिर्यात्रा और वापसी यात्रा के प्रथम 400 किलोमीटर का पूरा किराया सरकारी कर्मचारी को वहन करना पड़ता है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा के दोनों ओर से प्रथम 160 किलोमीटर का पूरा किराया वहन करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी शेष दूरी के लिए अधिकृत श्रेणी के वास्तविक किराये की सरकार से प्रतिपूर्ति करता है ;

(ङ) नियमित अवकाश के पात्र औद्योगिक एवं वर्क-चार्ज्ड स्टाफ भी 1960-61 से दो कलैन्डर वर्षों में एक बार इस रियायत के पात्र हैं ;

(च) यह रियायत उन स्थानों के मध्य यात्रायें करने के लिए भी स्वीकार्य की गई है, जो स्थान रेल द्वारा संयोजित हों । आंशिक रूप से रेल द्वारा संयोजित हों और आंशिक रूप से सड़क (रोड)/स्टीमर द्वारा संयोजित हों और रेल द्वारा संयोजित न हों जो स्थान रेल से संयोजित नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी स्टीमर/वायुयान द्वारा यात्रा कर सकता है जहां यात्रा का अन्य वैकल्पिक साधन या तो उपलब्ध नहीं है या अधिक व्ययी है । इस प्रकार के मामलों में, उसे भाड़े का वही अनुपात वहन करना होगा, जैसा कि रेल से यात्रा करने पर वहन करना पड़ता और प्रतिपूर्ति की राशि वही होगी जो, उसे हकदार श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा करने पर स्वीकार्य होती या वास्तविक व्यय का 100 प्रतिशत, इन दोनों में से कम हो। यही मानदण्ड, प्राईवेट कार द्वारा यात्रा करने पर लागू होता है (कार चाहे सरकारी कर्मचारी की हो या नहीं) जबकि चालन-व्यय सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है ;

(छ) उस दिशा में, जबकि कोई सरकारी कर्मचारी किसी ब्लाक विशेष में अवकाश यात्रा रियायत उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अग्रनीत किये जाने के लिए उसे अनुमति है और वह उसे दूसरे ब्लाक के प्रथम कलैन्डर वर्ष में प्राप्त कर सकता है ;

(ज) यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार मूल निवास-स्थान पर रहता है, तो सरकारी कर्मचारी वर्ष में एक बार अकेले ही अवकाश यात्रा रियायत प्राप्त करने का पात्र है ;

(झ) जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मूल निवास 160 किलोमीटर और अन्य जिनके मूल निवास स्थान 400 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत हैं, इस रियायत को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

वर्तमान अवकाश यात्रा रियायत का मुख्य उद्देश्य दूर से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल निवास-स्थान के साथ घरेलू और सामाजिक सम्बन्ध बनाये रखने एवं केन्द्रीय सेवाओं को अखिल भारतीय रूप देने हेतु, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता पहुंचना है। सच है कि देश के प्रत्येक भाग के लोग केन्द्रीय सेवाओं में आते हैं, जिन पर अखिल भारतीय स्थानांतरण जिम्मेवारी है और यही कारण है कि वे ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो अपने जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं, इस रियायत को प्राप्त करते हैं। इससे पता चलता है कि योजना ने पर्याप्त सीमा तक अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

प्रति व्यक्ति आय तथा व्यय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन

1642. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 और 1970 में प्रति व्यक्ति आय और व्यय तथा भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के क्या आंकड़े हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रगति दृष्टिगत हुई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पादन सम्बन्धी वर्ष 1948 और वर्ष 1970 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्थिर (1960-61) कीमतों के आधार पर संशोधित अंकमाला के अनुसार तैयार किए गए वर्ष 1954-55 और वर्ष 1969-70 सम्बन्धी अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1948 और 1970 के प्रतिव्यक्ति व्यय के अनुमान भी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (रा० न० सर्वे०) के वर्ष 1954-55 (रा० न० सर्वे०) के 8वें दौर) और वर्ष 1964-65 (रा० न० सर्वे० के 19वें दौर) के अनुसार परिवारों के औसत प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1954-55 की तुलना में वर्ष 1969-70 में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय में स्थिर (1960-61) कीमतों के आधार पर 24 प्रतिशत वृद्धि थी। प्रतिव्यक्ति व्यय में वृद्धि का अनुमान

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के आंकड़ों से नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे प्रचलित कीमतों पर आधृत हैं ।

विवरण

प्रतिव्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और औसत प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय का विवरण

1. स्थिर (1960-61) कीमतों* के आधार पर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय

1954-55 (रुपये)	1969-70 (रुपये)	1954-55 की तुलना में 1969-70 में हुई प्रतिशत वृद्धि
274.7	339.4	24

2. स्थिर (1960-61) कीमतों के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन

1954-55 (रुपये करोड़)	1969-70 (रुपये करोड़)
11,107	19,173

3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधृत प्रचलित कीमतों के आधार पर परिवारों का प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय

	1954-55 (रुपये)	1964-65 (रुपये)
ग्रामीण	182.01	323.89
नगरीय	300.40	441.37

* ये अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय उत्पादन की संशोधित अंकमाला और तत्सम्बन्धी पूर्णयोगों से सम्बन्धित हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाली जनसंख्या में वृद्धि

1643. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम जनगणना से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाली जनता की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के अवांछित आगमन को रोकने के लिए नगर को प्राप्त सुविधाओं वाले अधिकाधिक बाजार वाले नगर/बाजार वाले क्षेत्रों का निर्माण करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) 1971 की जनगणना के आंकड़े अभी पूरी तरह तैयार किये जाने हैं। अतः प्रवसन संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना

1644. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान कितने व्यक्तियों (विदेशियों) को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई ; और

(ख) उसी अवधि में कितने भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता का त्याग करके विदेशों में बस गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में 2448 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

(ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीय नागरिक को सरकार को सूचित करने की अपेक्षा हो। अतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

केरल के हथकरघा उद्योग को वित्तीय सहायता

1645. **श्री चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में हथकरघा उद्योग में स्थिरता लाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) केरल के हथकरघा उद्योग के विकास के लिये वित्तीय सहायता, राज्य सरकार को राज्य की वार्षिक आयोजनाओं के लिये दिये गये ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के अंश के रूप में दी जा रही है। केरल हथकरघा वित्त निगम को पुनर्वित्त सुविधाएं देने के लिये भी राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु उसे स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

अल्जीयर्स मेले में भाग लेने के लिये निर्णय

1646. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1971 में होने वाले अल्जीयर्स मेले में भाग लेने का भारत ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मेले में किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना खर्चा आयेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरी माल, हर प्रकार के वस्त्र, रासायनिक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ, चमड़े से बना माल, हस्तशिल्प तथा हथकरघे की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, कयर से बनी वस्तुएं आदि प्रकार का माल प्रदर्शित किया जायेगा । महत्वपूर्ण मदों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इसमें होने वाला अनुमानित व्यय 4.60 लाख रु० है, जिस में 3.80 लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ।

विवरण

27 अगस्त से 12 सितम्बर, 1971 तक, अल्जीरिया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शन के लिये प्राप्त की जा रही वस्तुओं की सूची ।

(1) हर प्रकार के डीजल इंजन ।
(2) कृषि सम्बन्धी मशीनें तथा पम्प सेट ।
(3) सिलाई मशीनें तथा पंखे ।
(4) टाइपराइटर ।
(5) रैफरीजिरेटर ।
(6) एयर-कंडीशनर ।
(7) रेडियो, ट्रांसजिस्टर, ध्वनि-उपस्कर ।
(8) दूर संचार उपस्कर ।
(9) आटोमोबाइल सम्बन्धी सहायक सामान ।
(10) घड़ी तथा दीवार घड़ियां ।
(11) विद्युतीय सामान तथा साधित्र ।
(12) पटसन उत्पाद ।
(13) लोहे का सामान ।

(14) प्लास्टिक का सामान।

(15) इस्पात की नलियां।

(16) अविकारी इस्पात का माल।

(17) शल्य चिकित्सा सम्बन्धी यंत्र।

(18) उपभोक्ता माल।

(19) रासायनिक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ।

(20) कयर से बना माल।

(21) सभी प्रकार के वस्त्र।

(22) हौजरी सम्बन्धी सामान।

(23) सिले-सिलाये परिधान।

(24) हथकरघा उत्पाद।

(25) चमड़े का सामान।

(26) तम्बाकू से बना माल।

(27) मसाले।

(28) अगरबत्तियां तथा धूप-बत्तियां।

(29) हरना पाउडर।

(30) हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि।

मदन किशोर आयोग प्रतिवेदन

1647. **श्री कृष्ण हालदार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक और तार विभाग में नियुक्त अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कठिनाइयों की जांच के बारे में मदन किशोर नामक आयोग की नियुक्ति की थी ;

(ख) क्या उक्त आयोग ने सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचा ; और

(घ) ऊपर भाग (ख) का उत्तर यदि नकारात्मक है, तो आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। अक्तूबर 1970 में डाक-तार बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य श्री मदन किशोर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। इसने अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं के लिए उन्हें पारिश्रमिक देने के आधार की भी जांच करनी है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समिति को इसके गठन की तारीख के एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ऐसी स्थिति में अक्तूबर 1971 में रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है।

लौह अयस्क के निर्यात के लिये भारत-जापान व्यापार करार की अवधि का बढ़ाया जाना

1648. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकोनोमिक टाइम्स बम्बई के 27 अप्रैल, 1971 के अंक में "लौह अयस्क का निर्यात—खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बहुत अधिक हानियों का सामना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ आठ वर्षीय करार की अवधि के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4896 के उत्तर में 16 दिसम्बर, 1970 को उल्लेख किया जा चुका है, लौह अयस्क के निर्यातों की लाभप्रदता को कु-प्रभावित करने वाला मुख्य उपादान समुद्र पत्तनों से सुदूर स्थित अयस्क क्षेत्रों से अयस्क प्राप्त करने में आने वाली परिवहन लागत है।

(ग) तथा (घ): जिस विशेष दीर्घावधि संविदा का उल्लेख किया गया है उसमें विशाखापत्तनम के पत्तन के मार्ग से बेलाडिला के ढेलेदार लौह अयस्क के निर्यात शामिल हैं। वर्ष 1970-71 में इस संविदा के आधार पर हुई सुपुर्दगियां खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये लगभग 120 लाख मे० टन लौह अयस्क के कुल निर्यातों का लगभग एक-चौथाई ही रही। यह संविदा अप्रैल, 1980 तक चलेगी अतः इस अवस्था में इसके विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचारपत्र

1649. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार के संबंध में 1 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में गति लाने के विचार से सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कार्रवाई की ; और

(ख) अब तक की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख): छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में गति लाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा अब तक जो कदम उठाए गए हैं, उनको दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार समाचार-पत्र उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रण, जिससे विचारों का एकमार्गीकरण हो सकता है, के खतरे से पूरी तरह सजग है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को यथासम्भव रोकने के लिए उत्सुक है । इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) प्रेस रजिस्ट्रार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व का हर साल पुर्नविलोकन करता है तथा समान स्वामित्व वाली यूनिटों के विकास का अध्ययन करता है और उन्हें 'प्रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक में प्रकाशित करता है, ताकि समाचारपत्रों के स्वामित्व से संबंधित तथ्यों से जनता परिचित हो सके ।

(2) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत बनाई गई समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के अधीन समाचारपत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर वर्ष फरवरी मास के अन्तिम दिन के बाद के अपने पहले अंक में, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्र के मालिकों और कुल शेयर पंजी के एक प्रतिशत से अधिक के शेयर रखने वाले शेयर होल्डरों या पार्टनरों से सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित करें । इसका उल्लंघन करना "प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867" के अन्तर्गत एक अपराध है जिसके लिए दण्ड स्वरूप 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है ।

(3) अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति के अन्तर्गत, समाचारपत्र समूह को नया पत्र निकालने के लिए अतिरिक्त अखबारी कागज नहीं दिया जाता ।

(4) दिवाकर समिति की सिफारिश पर, मुद्रण एवं कम्पोजिंग यंत्रों के लिए हर वर्ष उपलब्ध की जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में से 50% राशि छोटे समाचारपत्रों (15,000 तक परिचालन संख्या वाले), 35 प्रतिशत मझोले समाचारपत्रों (15,000 से 50,000 तक परिचालन संख्या वाले) और केवल 15 प्रतिशत राशि बड़े समाचार-पत्रों (50,000 से अधिक परिचालन संख्या वाले) को अलाट की जाती है ।

(5) सरकारी विज्ञापनों को देने की नीति यह है कि विज्ञापन समाचारपत्रों को बारी-बारी से दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये जा सकें और ज्यादा परिचालन संख्या वाले समाचारपत्रों को ही सरकारी विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा न मिले । सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ।

(6) बड़े समाचारपत्रों द्वारा छोटे समाचारपत्रों को दबाने, निर्बल करने और समाप्त करने के लिये, जिसके संबंध में प्रायः शिकायत रहती है, अपनाई गई अनुचित प्रतियोगिता

और/या निर्बन्धात्मक तरीकों, यदि कोई हों, के बारे में प्रथम तथा सविस्तार तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेस परिषद् द्वारा स्थापित एक उप समिति ने सभी भाषाओं के उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को, जिनकी परिचालन संख्या 5,000 प्रतियां या इससे अधिक थी, एक पत्र भेज कर उनसे विशिष्ट सूचना और उदाहरण मांगे। उत्तर में केवल दस दैनिकों तथा चार साप्ताहिकों ने ऐसे विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया जो उनके विचार में बड़े समाचारपत्रों द्वारा अपनाए गए निर्बन्धात्मक तरीके थे। इस समय परिषद् निर्बन्धात्मक तरीकों के उदाहरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्र करके जांच कर रही है।

(7) छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के स्वस्थ विकास के लिए सरकार इन्हें, न कि बड़े समाचारपत्रों को, आर्थिक सहायता देने के लिए समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(8) (क) सरकार का यह विचार है कि सरकार अब तक जो कदम उठाये हैं, यदि वे उठाये नहीं गए होते, तो श्रृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि कहीं अधिक होती। तथापि, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम कितने प्रभावकारी हुए हैं। सरकार का यह विश्वास है कि श्रृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए जो अच्छे आधार पर चलाए जाते हैं और जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ सम्पादकीय नीति अपनाते हैं। सरकार को यह विश्वास है कि इस मामले में पहले ही उठाए गए तथा आगे उठाए जाने वाले कदम छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में अत्यन्त सहायक होंगे और इस प्रकार श्रृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोका जा सकेगा।

(8) (ख) लघु समाचारपत्र सम्बन्धी दिवाकर समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने आकाशवाणी से धीमी गति वाले एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण आरम्भ किया है जिसमें महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, विशेषकर उन छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचार-पत्रों के लिए जो आर्थिक कारणों से समाचार एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।

समाचारपत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का विभागीय अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों में किये गये अपराध

1650. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 से 1970-71 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्षवार किये गये प्रत्येक अपराध के आंकड़े क्या थे ; और

(ख) 1968-69 से 1970-71 के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में वर्षवार किये कुल अपराधों में राजनीतिक हत्याओं और अन्य हत्याओं की संख्या कितनी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख): विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कपास के व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

1651. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 तक समाप्त होने वाले वर्ष में कपास के व्यापार द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : रुई वर्ष सितम्बर, 1969 अगस्त, 1970 में 1654 लाख रु० मूल्य की रुई के निर्यात हुए, जिसमें नरम तथा सख्त रद्दी-रुई भी शामिल है। सितम्बर, 1970 में 136.19 लाख रु० मूल्य की रुई के निर्यात हुए ।

अमरीका द्वारा 66 प्रायोगिक उपग्रह का दिया जाना

1652. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रमों हेतु "प्रायोगिक उपग्रह" (एटी एस-एफ) देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) इस संबंध में पहले परीक्षण पर कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : भारत तथा अमरीका के बीच एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत 1974 के लगभग एक वर्ष की अवधि के लिये भारत नासा के ए० टी० एस-एफ उपग्रह का उपयोग कर सकेगा।

विभिन्न राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगे

1653. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार ऐसे स्थान कौन से हैं जहां पर वर्ष 1970-71 के दौरान साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): जनवरी, 1970 से मई, 1971 तक की अवधि के लिए सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य के नाम	स्थान का नाम
आसाम	(क) लखीमपुर (जिला गोआलपाड़ा)
	(ख) बदरपुर (जिला काछाड़)

गुजरात	(क) घोल्का (जिला अहमदाबाद)	
	(ख) अहमदाबाद शहर	
	(ग) बड़ौदा	
	(घ) तलाला (जिला जूनागढ़)	
	(ङ) पेटलाद (जिला कैड़ा)	
	(च) गोधरा (जिला पंचमहल)	
मैसूर	(क) चामराजानगर (जिला मैसूर)	
	(ख) अक्की-अलूर (जिला धारवाड़)	
बिहार	(क) चांईबासा	)
	(ख) पत्रातू	)
	(ग) खिर्मा-पठेरा (जिला दरभंगा)	)
केरल	पालघाट	)
मध्य प्रदेश	(क) भिलाई	) सूचना पूरी नहीं है ।
	(ख) बुरहानपुर	) पूरी सूचना राज्य
महाराष्ट्र	बम्बई	) सरकारों से आनी है ।
उत्तर प्रदेश	(क) अलीगढ़	)
	(ख) पीलीभीत	)
	(ग) मुरादाबाद	)
पश्चिम बंगाल	जैसल (जिला पश्चिम दिनाजपुर)	)

जम्मू व काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों तथा दिल्ली और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना आनी है । शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जनवरी, 1970 से मई, 1971 तक की अवधि में कोई दंगे नहीं हुए ।

व्यापारिक विज्ञापनों से आय

1654. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी को चालू वर्ष के दौरान अपनी व्यापारिक विज्ञापन सेवा से हुई आय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विज्ञापन सेवा के विस्तार करने की योजनाएं हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजना से कितनी अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह): (क) जनवरी से अप्रैल, 1971 तक की अवधि के दौरान हुई कुल आय 1,24,65,000 रुपए थी ।

(ख) तथा (ग) व्यापारिक विज्ञापन सेवा अब तक विविध भारती के 18 केन्द्रों से चालू की गई है। इसका शेष 10 केन्द्रों में विस्तार क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा । इस प्रयोजन

के लिए बाजार सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं है कि उन 10 केन्द्रों से कितना राजस्व प्राप्त होगा ।

सूती माल की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिये कार्यवाही

1655. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिस्पर्धा के एक ही क्षेत्र में भारतीय सूती माल का स्थान जापान और हांगकांग ले रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय सूती माल की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने में आई बाधाओं के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) भारतीय सूती माल की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : स्वदेशी रुई की अपर्याप्त प्राप्यता तथा उनकी कीमतों के साथ साथ वस्त्र उद्योग की अप्रचलित मशीनों के फलस्वरूप रुई से माल तैयार करनें में भारी लागत का विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति पर कुप्रभाव पड़ा है । इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) रुई की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिये भण्डार, ऋण नियंत्रण तथा अन्य व्यापारिक सुविधाओं का कठोरता-पूर्वक विनियमन करना ।

(2) विदेशी रुई के भारी परिमाण में आयात की व्यवस्था करना ।

(3) निर्यातक मिलों को विदेशी रुई का आवंटन ।

(4) आसान ऋणों की व्यवस्था करके तथा मशीनों के आयात की अनुमति देकर निर्यातक मिलों का आधुनिकीकरण ।

मद्रास में अणुशक्ति संयंत्र की स्थापना

1656. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में अणुशक्ति परियोजना की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है ;

(ख) विदेशी सामान तथा जानकारी के सम्बन्ध में यह संयन्त्र कहां तक स्वतन्त्र होगा ;

(ग) क्या सरकार का किसी ऐसे अणुशक्ति संयन्त्र की स्थापना करने का विचार है जो पूर्णतया स्वदेशी होगा ; और

(घ) अन्य राज्यों में इस प्रकार के संयन्त्रों की स्थापना का क्या कार्यक्रम है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास परमाणु बिजलीघर का सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है तथा इसमें 80 प्रतिशत स्वदेशी सामान का उपयोग किया जायेगा । इस बिजलीघर का निर्माण राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिये कनाडा से प्राप्त डिजायन तथा तकनीकी जानकारी के आधार पर किया जा रहा है ।

(ग) परमाणु बिजलीघरों के निर्माण में और अधिक मात्रा में स्वदेशी सामग्री काम में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) वर्तमान दशाब्दी में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम में यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्तमान निर्माणाधीन बिजलीघरों के अलावा सन् 1980 तक 1700 मैगावट बिजली की स्थापित क्षमता वाले नये बिजलीघर लगाये जायें । नये परमाणु बिजलीघर उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण भारत में लगाने की योजना है । नये बिजलीघरों की स्थापना के बारे में स्थानों का निर्णय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित साइट सेलैक्शन कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा ।

इंजीनियरिंग माल का निर्यात

1658. **श्री के० लकप्पा :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1971-72 में इंजीनियरिंग माल के निर्यात को बढ़ाने का है ?

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : 1970-71 के दौरान 115.20 करोड़ रु० के वास्तविक निर्यात की तुलना में 1971-72 में इंजीनियरिंग माल के निर्यात की वार्षिक योजना 165 करोड़ रु० निर्धारित की गई है, जिससे 50 करोड़ रु०की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है।

उत्पादन तथा विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिये निर्यातकों को सहायता देने के लिये सरकार की कई योजनाएं चालू हैं । ऐसी चालू योजनाओं में से कुछ का विवरण संलग्न है ।

विवरण

निर्यात उत्पादन तथा निर्यात क्षमता के निर्माण के लिए योजना

1. निर्यात उत्पादन बढ़ाने की योजना में निम्नोक्त शामिल हैं :—

(क) प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की व्यवस्था।

(ख) प्राथमिकता के आधार पर इस्पात तथा एल्यूमिनियम जैसे स्वदेशी कच्चे माल की पूर्ति।

(ग) पंजीबद्ध निर्माता-निर्यातकों को, जिनका अपरम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 में न्यूनतम निर्यात 10 लाख अथवा इससे अधिक का हो, 'खाते पर' आयात लाइसेंस की पद्धति। इस सुविधा के साथ निर्यात उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम तथा अग्रदाय लाइसेंस देने की सुविधाएं भी हैं।

(घ) क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेंस देने, वर्तमान क्षमता में सुधार करने तथा पसंद के स्रोतों से आयात करने के मामले में निर्यातोन्मुख एककों को अधिमान्य व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था।

(ङ) विशेष रूप से नियत की गई विदेशी मुद्रा पर उत्पादन सुविधाओं का विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण करने तथा साथ ही गवेषणा तथा विकाश हेतु अपेक्षित मशीनों के आयात के लिए निर्यातोन्मुख एककों को लाइसेंस देना।

(च) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा कतिपय कच्चे माल के विपुल आयातों की व्यवस्था करना। राज्य व्यापार निगम का औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र तथा विपुल परिमाण के आयातों के लिए नामित अन्य अभिकरणों के इस प्रकार के प्रकोष्ठ, पंजीकृत निर्यातकों को प्रतिपूर्ति लाइसेंस अभ्यर्पित करने पर यथावश्यक रूप से हाजिर पूर्ति उपलब्ध करायेंगे।

(छ) निर्यात अभिमुख एककों के मामले में विदेश सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान करारों में, जिनमें निर्यात अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था है, नवीकरण करते समय सम्यक् संशोधन किये जाने की संभावना है। व्यापारिक कार्यकलापों में विदेशी सहयोग, यदि ऐसे सहयोग निर्यात के लिए हों, भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(ज) निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन को सुकर बनाने के लिए योग्य व्यापारिक निर्यात सदनों, को आयात सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

(झ) लघु क्षेत्र के ऐसे एककों को, जो अपने उत्पादन के 25 प्रतिशत अथवा उस से अधिक का निर्यात करते हैं, अपनी आयात आवश्यकताओं के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा क्षेत्रों से निश्चिन माल प्राप्त करने के योग्य बना दिया गया है।

(ञ) हाल ही में स्थापित व्यापार विकास प्राधिकरण को आरम्भ में कतिपय चुनी हुई

वस्तुओं के निर्यात उत्पादन तथा विदेशों में विपणन के संवर्धन का कार्य सौंपा गया है। इस संगठन द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है ।

2. निर्यात विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए चालू महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नोक्त हैं :

(क) विपणन प्रतियोगिता के विकास तथा अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में अन्तर्निहित अलाभप्रद प्रवृतियों को समाप्त करने के लिए चुने हुए उत्पादों के निर्यात पर मुआवजा सहायता दी जाती है।

(ख) व्यापार करारों में अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिए व्यवस्था है।

(ग) विपणन विकास निधि से सहायता की एक योजना के अन्तर्गत निर्यातों को निर्यात कार्यों जैसे बाजार सर्वेक्षण, विक्रय दल, प्रचार, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता मान्यता-प्राप्त निर्यात सदनों तथा अन्य अनुमोदित संगठनों को दी जाती है।

(घ) विदेशों में प्रचार, विदेशों में विदेश कार्यालय (कार्यालयों), तकनीकी जानकारी तथा अन्य सेवाओं की पूर्ति जैसे निर्यातों से संबंधित व्यय पर कर-राहत तथा रियायतें दी जाती हैं।

(ङ) अनेक निर्यात योग्य उत्पादों पर सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी तथा रियायती रेल भाड़े की भी अनुमति दी जाती है।

(च) संविदाओं के पंजीकरण की योजना पंजीकृत निर्यातकों को उनकी संविदाओं की तारीखों के पश्चात् सहायता के पैटर्न में अलाभकारी परिवर्तन से बचाती हैं।

(छ) निर्यात वित्त 7 प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न निर्यात आवश्यकताओं के लिए निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम की सहायता उपलब्ध हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य अनुमोदित वाणिज्यिक बैंकों के साथ आस्थगित भुगतान सुविधाओं की व्यवस्था में भागीदारी करता है।

3. कई प्राथमिक उद्योगों को चुना गया है और उनके लिये निर्यातबाध्यता रख दी गयी है। कई एककों पर तदर्थ बाध्यता भी लागू कर दी गई है।

4. कई उद्योगों में निर्माण-अवस्था में क्वालिटी नियंत्रण लागू कर दिया गया है।

5. राज्य व्यापार निगम के पूर्ण स्वामित्व वाले ऐसे सहायक समवाय की स्थापना की गयी है। जो विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेकर निम्नोक्त क्षेत्र में बड़े उद्योगों तथा आद्योपात (टर्नकी) परियोजनाओं के निर्यातों में विशिष्टता प्राप्त करेगा।

(क) रेलवे प्रणाली से सम्बन्धित सामान डिब्बे आदि, रेल के इंजन, रेल-पथ तथा सिगनल उपस्कर ;

(ख) जन-सुविधाओं से सम्बन्धित माल ।

(ग) सम्पूर्ण औद्योगिक संयंत्र तथा परियोजनाएं ।

(घ) ढली तथा गढ़ी वस्तुएं, बड़े अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माता समवायों जैसे मोटर गाड़ी उद्योग आदि के लिए अनुषंगी उपस्कर ।

भारत से गरीबी का उन्मूलन

*659. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश की जनता में गरीबी बढ़ने के मूल कारणों का कोई अध्ययन किया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) देश में गरीबी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : सरकार देश की आर्थिक स्थितियों का लगातार अध्ययन करती रहती है । वर्ष 1966-67 से लेकर 1969-70 तक की चार वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक (1960-61100) 100.5 से बढ़कर 110.8 हो गया है । इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है । परन्तु सरकार यह स्वीकार करती है कि आय और सम्पत्ति की अत्यधिक असमानताओं के कारण बहुत से लोग विकास के लाभ में भागीदार नहीं हो पायें हैं । अतः सरकार का विचार है कि आय और सम्पत्ति की लगातार वृद्धि करके तथा और अधिक समानता लाकर दोनों प्रकार से जोरदार प्रयत्न करके गरीबी को दूर करना होगा ।

(ग) गरीबी का उन्मूलन करना निश्चय ही एक दीर्घकालीन समस्या है । उपयुक्त विकास नीति, संस्थात्मक परिवर्तन और आर्थिक व सामाजिक नीतियों के द्वारा सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि, को बढ़ावा देकर सरकार इस समस्या का समाधान खोज रही है । सामान्य नीतियों के अतिरिक्त विशेष रूप से गरीबों की स्थिति के सुधार के लिए हाल के वर्षों में कुछ उपाय आरम्भ किये गये हैं या सोचे गये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :

1. छोटे किसानों और नाम मात्र के किसानों व खेतिहर श्रमिकों के लिए विशेष सघन स्कीमें और उनकी आर्थिक स्थिति की पुष्टि के लिए पशुपालन कार्यक्रम ;

2. ग्रामीण रोजगार के लिए तूफानी कार्यक्रम ;

3. मध्यवर्त्तियों के अधिकारों की समाप्ति को पूरा करने, लगान कम करने, काश्तकारी की सुरक्षा की व्यवस्था करने, भूमि की अधिकतम सीमा कम करने, विमुक्तियों को नियन्त्रित करने और सीमा से अधिक भूमि के वितरण के उद्देश्य से भूमि सुधार के लिए शीघ्र कानून बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन ;

4. ग्रामीण आवासों में सुधार, भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए भूमि का आवंटन ; वासस्थान का अधिकार प्रदान करने और निवास योग्य घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की ओर ध्यान देना ;

5. कृषि की नयी प्रौद्योगिकी का बारानी खेती क्षेत्रों, अन्य नये क्षेत्रों और नयी फसलों में विस्तार करने की आवश्यकता पर बल देना ;

6. वन विकास की ऐसी स्कीमों की व्यवस्था करना जिनसे समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों, नव श्रमिकों और वन निवासियों को लाभ हो ;

7. पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के कल्याण और विकास पर अधिक जोर देना ;

8. बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नये वित्तीय संस्थानों, नई स्कीमों और पद्धतियों की संस्थापना तथा बैंक व्यवस्था व ऋणनीतियों का अभिनवीकरण जिससे उन वर्गों और क्षेत्रों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण सुविधायें दी जा सकें जिनकी भूतकाल में उपेक्षा होती रही है ;

9. गन्दी बस्तियों को हटाने और सुधारने के लिए और गन्दी बस्तियों के रहने वालों के पुनर्वास पर अधिक जोर देना ;

10. असमानताओं को कम करने के लिए पुनर्वितरक कर व्यवस्था और अन्य सामाजिक-आर्थिक उपाय ;

11. विकास क्षम आधार पर विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के पुनर्वास और विकास के दीर्घावधि कार्यक्रम ;

12. परिवार नियोजन को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाना ;

13. वर्ष 1971-72 के बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए व्यवस्था ;

14. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन ; और

15. शीघ्र ही किया जाने वाला चौथी योजना का पुर्नमूल्यांकन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निश्चय किया जायेगा कि गरीबों के हित के लिए और क्या उपाय किये जा सकते हैं।

सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से हुये आयात की प्रतिशतता

1660. **श्री बालतन्डायुतम :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से किये गए आयात की प्रतिशतता कितनी-कितनी थी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1967-68 से 1969-70 तक सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत मदों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विगत विभिन्न वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों के माध्यम से आयात हुए माल के सही

आंकड़ों की गणना में लगने वाला श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा ।

विवरण

1. 1967-68 के दौरान आयातों के लिए मार्गीकृत मदों की सूची :

1. कृत्रिम रेशम के धागे तथा सिलाई के धागे ।
2. पारा
3. राक फासफेट, मिनरल फासफेट
4. म्यूराइट आफ पोटाश (पोटेशियम क्लोराइड)
5. सल्फेट आफ अमोनिया

2. 1968-69 के दौरान आयातों के लिये मार्गीकृत नई मदों की सूची :

1. 35 मि० मी० का कच्चा स्टाक (ब्लैक एण्ड व्हाइट या रंगीन) साउंड नेगेटिव को छोड़कर ।
2. एक्स-रे-फिल्में
3. सोडियम नाइट्रेट (चिलीन नाइट्रेट)
4. सल्फेट आफ पोटाश
5. कच्चा ऊन तथा वूल हाप्स ऊन-झूट सहित, शोडी वूल तथा ऊनी नमदे (रैग्स)
6. पोलिस्टर रेशे सहित सभी संश्लिष्ट गैर-सैल्यूलोस रेशें

3. 1969-70 के दौरान आयातों के लिये मार्गीकृत अतिरिक्त मदों की सूची :

1. खोपरा
2. होप्स
3. भेड़-बकरी की चर्बी
4. सोयाबीन का तेल
5. ताड़ का तेल
6. उद्योगों में काम आने वाले नाइलन धागे को छोड़कर अन्य नाइलन धागे तथा सिलाई धागे
7. अमोनियम नाइट्रेट (तकनीकी ग्रेड)
8. क्रेसीलिक एसिड
9. असाधित मूल तत्वों वाला/अपरिष्कृत रिकवर्ड गंधक
10. टिटोनियम डाइ आक्साइड
11. कार्कवुड

रिक्त स्थानों के संबंध में अग्रिम सूचना देने में सरकार की असफलता पर संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणियां

1661. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही देरी को रोकने हेतु रिक्त स्थानों की वास्तविक संख्या की अग्रिम सूचना देने में असफलता पर आयोग ने सरकार की आलोचना की है ।

(ख) क्या इसमें कुछ अन्य चूकों का भी उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी 20वीं रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया है कि इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय के अनुदेशों, जिन्हें जुलाई, 1967, मार्च, 1969 और अक्तूबर, 1969 में दोहराया गया था, के बाद भी इस प्रकार के मामले होते रहे हैं जिनमें मन्त्रालय विभाग ने सम्बन्धित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए अधिसूचित करने की दृष्टि से अपनी आवश्यकताएं अथवा रिक्तियों की अनुमानित संख्या भी आयोग को सूचित नहीं की, और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष अवसरों में कुछ सम्बन्धित मन्त्रालयों विभागों से रिक्तियों की सही संख्या के सम्बन्ध में सूचना न मिलने के कारण परीक्षा की घोषणा करने में भी विलम्ब हो जाया करते थे ।

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग की 20वीं रिपोर्ट में कुछ अधिक महत्वपूर्ण निरूपण इस प्रकार हैं :-

(i) प्रतियोगी परीक्षायें नियमित रूप से ली जानी चाहिए क्योंकि इसकी असफलता के परिणामस्वरूप प्रशासन की कार्यकुशलता का उचित सन्धारण करने में न्यूनता आती है ।

(ii) सेवाओं/पदों में भर्ती के स्वरूप के लिये निर्धारित भर्ती नियमों की प्रक्रियाओं को ध्यान-पूर्वक अनूसरण किया जाना चाहिए । कुछ खास मामलों में सीधी भर्तियों में निम्न प्रतिनिधित्व रहा, इस प्रकार संवर्ग के चयन में असमानता आयी है । इंजीनियरी सेवाओं के संबंध में निम्न प्रतिनिधित्व होने के कारण इंजीनियर स्नातकों के लिए रोजगार अवसरों में भारी नुकसान में हुआ ।

(ग) जैसा कि, आयोग ने स्वयं निरूपण किया है, इस सम्वन्ध में समय समय पर अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । मन्त्रालयों विभागों का ध्यान आयोग के निरूपण की ओर फिर से केन्द्रित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति न हो सके ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से चीन द्वारा बनाये गये हथियारों का बरामद किया जाना

1662. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनसे चीन द्वारा बनाये गये हथियार और विशेषतया पिस्तौल आदि बरामद हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनका विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि ये चीनी हथियार अपराधी तत्वों के हाथ न लगें और देश में किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैल पाये ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी अथवा स्थानीय अवैध हथियार बेचने, प्राप्त करने और रखने पर सरकार द्वारा पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है ।

1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों की पदोन्नति आदि में बाधाएं

1663. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों को कुछ आदेशों के कारण पदोन्नति के मामले में अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कार्मिक विभाग द्वारा 3 मार्च, 1970 को जारी किए गए सामान्य आदेशों के अधीन हड़ताली कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया गया है । ये आदेश डाक-तार कर्मचारियों पर भी पूर्णतः लागू किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे और कार्यकरण में परिवर्तन

1664. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कान्फेडरेशन आफ आफीसर्स एसोसिएशन ने सरकार के उस प्रस्ताव

का स्वागत किया है और उसे तत्काल क्रियान्वित करने की मांग की है जिसमें शीघ्र निर्णय करने वाली शक्तियों और उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन और वित्तीय प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे और कार्यकरण में शीघ्र परिवर्तन लाने का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) सरकार की नीति जैसा कि राष्ट्रपति ने संसद में दिनांक 23 मार्च, 1971 को अपने अभिभाषण में घोषित किया था, प्रशानिक व्यवस्था और उसके कार्य संचालन में शीघ्र परिवर्तन करने, शीघ्र निर्णय करने, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजना को कारगर ढंग से सुनिश्चित करने और वित्तीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की है । इन उद्देश्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं ।

Hindi News Sections of A. I. R.

1665. **Shri K. C. Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Deputy Directors, Editors and Correspondents in the English and Hindi News Sections of A. I. R., respectively ; and

(b) the measures proposed to be taken by Government to bring the Hindi Section at par with the English Section ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Editorial Staff working in the Hindi Unit of News Services Divisin :

News Editors		8
Asstt. News Editors		8
Sub-editors		6
Newsreader-Translators (Scale : Rs. 235-530)	..	8
Translators (Scale : Rs. 425-770)	..	2
Translators (Scale : Rs. 235-530)	..	5
Correspondents (Headquarters)	..	2
Reporter (for Regional bulletin)	..	1

There is no English Unit as such. The Editorial Staff of the General News Room, as indicated below, handles the work relating to English and all other languages :

Chief News Editor		1
News Editors		15
Asstt. News Editors	..	34
Senior Correspondents (in Reporting Unit)	..	2
Correspondents (in Reporting Unit)	..	7
Sub-editors working in the General News Room	..	4

Note : There is no separate Deputy Director of any language because allocation of work at the planning and supervision level is on functional and not on language basis.

(b) As there is no English Unit as such, the question of bringing the Hindi Unit on par with it does not arise. The Editorial Staff in the Hindi Unit is adequate to handle all Hindi work.

Financial Irregularities in Samachar Bharati

1666. **Shri K. C. Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Samachar Bharati is a Government news agency and if so, whether Government are aware that some financial irregularities have been found in its working;

(b) if so, the main irregularities ;

(c) whether the All India Working Journalists' Union has demanded that an inquiry committee be set up to inquire into the irregularities committed in that news agency ; and

(d) if so the action being taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (d): Samachar Bharati Ltd. is a Government company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956, since the bulk of its shares are held by the (State) Governments but it is an independent news agency and Government have no control over its working. Government have received representations including one from the Indian Federation of Working Journalists alleging financial irregularities and requesting an enquiry into its affairs. The Department of Company Affairs (Company Law Board) recently caused an inspection to be made of the books of accounts of the company under Section 209 (4) of the Companies Act, 1956. Certain contraventions of the Companies Act and other irregularities have been noticed and the Registrar of Companies, Delhi, has been advised to take up the matter with the company.

Supply of English and Hindi versions of hand-outs to Newspapers by P. I. B.

1667. **Shri K. C. Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether 90 per cent of the hand-outs sent by the Press Information Bureau to the newspapers are in English and 10 per cent in Hindi ; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for sending Hindi as well as English versions of hand-outs simultaneously ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) No, Sir. About 90 per cent of all releases issued in English are issued in Hindi as well.

(b) Many of these releases are already being made available simultaneously, and efforts are constantly being made to increase the number.

हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र

1668. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना कब की जायेगी ; और

(ख) इसकी स्थापना में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) 1973-74 के दौरान।

(ख) लगभग 54 लाख 72 हजार रुपये।

संघ राज्य क्षेत्र केडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों की संख्या

1669. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संघ राज्य क्षेत्र केडर में विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त केडर में सिलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के यू० टी० केडर के सिलेक्शन ग्रेड में कितने स्थान रिक्त हैं और उन स्थानों पर अभी तक नियुक्तियां न भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन स्थानों को भरने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो इसका व्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ग्यारह।

(ग) तथा (घ): वर्तमान गणना के अनुसार दो रिक्तियां हैं और ये रिक्तियां अपेक्षित योग्यता तथा पर्याप्त वरिष्ठता वाले केडर अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर भरी जायेंगी।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के भारतीय प्रशासनिक सेवा केडर की स्वीकृत संख्या में सम्मिलित

विभिन्न वर्गों के पदों की संख्या इस प्रकार है :—

1	संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ पद	72
2	उपरोक्त 1 के 40 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण	29
3	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत उपरोक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत की दर से प्रोन्नति व चयन द्वारा भरे जाने वाले पद	25
4	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपरोक्त 1 और 2 के योग में से उपरोक्त 3 की संख्या घटाकर	76
5	उपरोक्त 4 के 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति आरक्षण	36
6	उपरोक्त 4 के 5 प्रतिशत की दर से अवकाश आरक्षण	4
7	उपरोक्त 4 के 20.6 प्रतिशत की दर से कनिष्ठ पद	16
8	उपरोक्त 4 के 10. 59 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण आरक्षण	8
	सीधी भर्ती वाले पद	140
	प्रोन्नत पद	25
	कुल स्वीकृत पद	165

*उपरोक्त 4 के 20 प्रतिशत के आधिक्य में 21 पद शामिल हैं ।

भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में शो—रूम/बिक्री डिपो

1070. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये अमरीका, कनाडा, इंगलैंड और जर्मनी में कोई शो—रूम/बिक्री डिपो खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब खोले गये थे और उनमें से प्रत्येक को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख): जहां तक प्रदर्शन कक्षों का सम्बन्ध है, एक प्रदर्शन कक्ष न्यूयार्क में जून, 1949 में खोला गया था जो 1-1-65 को बन्द कर दिया गया क्योंकि यह समझा गया कि इसके खोलने का आरम्भिक उद्देश्य पूरा हो गया है। चूंकि यह प्रदर्शन कक्ष विदेशों में दृश्य प्रचार व व्यापारिक जानकारी के माध्यम से हमारे उत्पादों के लिए दिलचस्पी पैदा करने हेतु खोला गया था और इस प्रदर्शन कक्ष के माध्यम से कोई खुदरा बिक्री करने की अनुमति नहीं थी अतः लाभ और हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक विक्री भण्डारों का सम्बन्ध है उनके लाभ और हानि के लेखे के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशों में बिक्री भण्डार

1. **संयुक्त राज्य अमरीका हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा**	**खोलने की तिथि**	**लाभ तथा हानि**
		(लाख रु०
(1) 'सोना' दुकान, न्युयार्क	जून, 1965	1965-66 (+) 0.63
		1966-67 (+) 3.29
		1967-68 (+) 4.53
		1968-69 (+) 8.92
		1969-70 (+) 1.65
		1970-71 (+) 4.09
(2) 'सोना' दुकान, बोस्टन	जुलाई, 1968	1968-69 (+) 1.32
		1969-70 (+) 0.61
		1970-71 (+) 0.40
2. **कनाडा राज्य व्यापार निगम द्वारा**		(कनाडा के डालर में)
	1965	
(1) बोन्डेड भण्डारण-सह विक्री भण्डार, मांट्रियल (इसे वाद में 13-4-66 से भारतीय राज्य व्यापार निगम (कनाडा) सीमित का नाम दे दिया गया। इसके खुदरा विक्री संबंधी कार्य-कलाप अप्रेल, 1970 में वन्द कर दिये गये और हस्तशिल्प तथा हथकरघा माल का थोक व्यापार भी दिसम्वर, 1970 में बन्द कर दिया गया)		1967-68 (+) 0.08 लाख 1968-69 (+) 0.24 ,, 1969-70 (+) 0.30 ..
3. **इंगलैंड**	नहीं	प्रश्न नहीं उठता प्रश्न नहीं उठता

4. **जर्मनी**

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा			निबल व्यय (रु०)
(1) कालीन भण्डारण डिपो हम्बर्ग ।	अप्रैल, 1965	1965-66	0.67 लाख
(यह कालीन भण्डारण डिपो पश्चिम जर्मनी के खरीदारों को कालीनों की बिक्री करने के लिए पश्चिम जर्मनी में अपने कालीनों को प्रदर्शित करने हेतु प्रमुख भारतीय कालीन निर्यातकों के एक सार्थ संघ को सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया था जिसके लिए सार्थ संघ के सदस्यों से कमीशन प्राप्त किया जाता है । इससे हुए निवल व्यय का ब्योरा दिया गया है ।)		1966-67	0.87 ,,
		1967-68	1.21 ,,
		1968-69	0.68 ,,
		1969-70	0.80 ,,
		1970-71	2.86 ,,

आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनशन

1671. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों ने सुधार समिति (बैटरमेंट कमेटी) की सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने की मांग को लेकर 29 दिसम्बर, 1970 को बड़े पैमाने पर अनशन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और]

(ग) इस बीच कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं और अन्य मांगों को अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उन्होंने भूतपूर्व राज्य मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन किया था ।

(ख) विभागीय समिति (जिसका बैटरमेंट कमेटी के रूप में उल्लेख किया गया है) की शिफारिशें मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(1) पदों के नाम फिर से रखना तथा भर्ती नियमों में संशोधन ;

(2) आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार ।

(ग) (1) कुछ तकनीकी पदों को मिलाने और उनके नाम फिर से रखने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के अन्य विभागों के परामर्श से कार्रवाई चालू है।

(2) वेतनमानों में सुधार करने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

हिप्पियों द्वारा पैदा किए गए खराब वातावरण के बारे में शिकायतें

1672. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिप्पियों द्वारा राजधानी तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में पैदा किये गये खराब वातावरण के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेलंगाना के बारे में उच्चस्तरीय पुर्नविलोकन समिति की बैठक

1673. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना के बारे में उच्चस्तरीय पुर्नविलोकन समिति की बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई थी ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित 8—सूत्रीय विकास कार्यक्रम के अनुसार की गई प्रगति के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) क्या दोनों प्रदेशों की सेवाओं का एकीकरण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग): 11 मई, 1971 को हुई अन्तिम पुनरीक्षण बैठक में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना को ध्यान में रखते हुए आठ सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन का पुनरीक्षण किया गया। सेवाओं के एकीकरण में की गई प्रगति 2-6-1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं। अनिर्णित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

1674. **पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले सरकार के निर्णय को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की शुरुआत 1969 में की गई, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को दो अनिवार्य विषयों—प्रस्ताव तथा सामान्यज्ञान में अपने प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त, संविधान की अष्टम-सूची में वर्णित किसी भी भाषा में लिखने का विकल्प दिया गया था ।

इसके आगे, वर्ष 1964 से सहायक ग्रेड की परीक्षा में बैठने के लिए, अंग्रेजी के अलावा प्रस्ताव तथा सामान्यज्ञान के प्रश्न-पत्रों को लिखने के लिए, हिन्दी के प्रयोग को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दी गई है, इसके साथ ही 1971 में होने वाली आशुलिपिक परीक्षा में उम्मीदवारों को सामान्यज्ञान के प्रश्नपत्र और आशुलिपि की परीक्षायें हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प भी होगा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि और अन्य परीक्षाओं के लिए भर्ती के सम्बन्ध में सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के इस विकल्प को अन्य विषयों में प्रयोग के लिए आगे बढ़ाने का प्रश्न, अब तक के प्राप्त अनुभव के आधार पर विचाराधीन है ।

पाकिस्तानी कच्चे पटसन की वसूली

1675. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय पटसन मिल के मालिक और व्यापारी बंगला देश में गड़बड़ी की स्थिति के बाद से सीमा क्षेत्र के पार से पाकिस्तानी कच्चा पटसन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपलब्ध स्टाक को बंगला देश पटसन उत्पादकों से सीधे खरीदने का प्रबन्ध करने का है ;

(ग) क्या भारतीय किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक भूमि पर पटसन की बुआई करें ;

(घ) क्या उत्पादकों के पास अगले मौसम में कच्चा पटसन बड़ी मात्रा में जमा हो जाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप कीमतें गिर जायेंगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ज्ञात हुआ है कि कतिपय पटसन मिलें सीमा के विभिन्न स्थलों पर स्थित अपने क्रेता अभिकर्ताओं के माध्यम से पूर्वी बंगाल से आने वाला पटसन खरीदती रही हैं ।

(ख) जी नहीं । राज्य व्यापार निगम इस मामले के सम्बन्ध में उद्योग से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

(ग) क्षेत्र का विस्तार तथा प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार करके कच्चे पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जोरदार उपाय किये जा रहे हैं ।

(घ) जी नहीं । पूर्व बंगाल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में पटसन के माल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कच्चे पटसन तथा मेस्टा के संपूर्ण घरेलू उत्पादन की जरूरत होगी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पटसन के निर्यात को बढ़ाना

1676. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की हाल की घटनाओं के परिणामस्वरूप विदेशी बाजारों में भारतीय पटसन से बनी वस्तुओं के साथ पाकिस्तानी पटसन निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो गई है ;

(ख) क्या युद्ध की परिस्थिति के कारण पाकिस्तान की पटसन से बनी वस्तुओं तथा कच्चे पटसन, दोनों के उत्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पटसन के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के विचार से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) कृषि मंत्रालय ने सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 1971-72 में पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किये हैं । जहां तक पटसन के माल का सम्बन्ध है, उद्योग ने भी उत्पादन की मासिक औसत 90,000 मे० टन से बढ़ाकर 1,10,000 मे० टन करने की योजना बनाई है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

1677. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कितने अधिकारियों ने विदेशों

का दौरा किया, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया, उनके दौरे पर कितना खर्च हुआ और गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में उनके दौरे के वर्तमान आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) उनके विदेशों के दौरे के परिणामस्वरूप कितना व्यापार बढ़ा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पांच अधिकारी व्यापारिक दौरों पर विदेश गये। उन्होंने निम्नलिखित देशों की यात्रा की :—चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगेरी, बुल्गारिया, सोवियत संघ, स्विटजरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य, कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका। इन दौरों पर लगभग 1,06,000 रु० (जिनमें 31,000 रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है) का व्यय हुआ जबकि 1969-70 तथा 1968-69 में क्रमशः 1,85,000 रु० तथा 1,58,000 रु० व्यय हुए थे।

(ख) वर्ष 1970-71 में इन व्यापारिक दौरों के फलस्वरूप लगभग 1.65 करोड़ रु० के निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुए।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से छोटे उद्यमकर्ताओं और निजी व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्यात

1678. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, छोटे उद्यमकर्ताओं और निजी व्यापार करने वाले व्यक्तियों के निर्यात कार्य को संगठित करने में सफल हो गया है ;

(ख) वास्तव में पेशकश की गई सहायता का ब्यौरा और स्वरूप क्या है ?

(ग) उन्होंने कितने मामलों में सहायता की है और किस-किस वस्तु का निर्यात किया गया ; और

(घ) इस प्रकार के कार्य से राज्य व्यापार निगम को कितना लाभ हो रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निगम उन्हें निम्नलिखित प्रकार से सहायता दे रहा है :—

(1) उनके उत्पादों का विभिन्न देशों को निर्यात करने की संभाव्यताओं का पता लगाना ;

(2) ऋण सुविधाएं देकर उनकी सहायता करना ;

(3) उत्पाद विकास तथा आकर्षक पैकिंग की व्यवस्था करने में उन्हें सहायता देना ;

(4) नौपरिवहन के मामलों में उनकी सहायता करना ; और

(5) उनके उत्पादों का विदेशों में विपणन करने में उन्हें सहायता देना।

(ग) निगम, बहुत से छोटे उद्यमकर्ताओं और निजी व्यापार करने वाले व्यक्तियों को उनके उत्पादों का निर्यात करने में सहायता दे रहा है । निर्यात की जाने वाली वस्तुएं निम्न प्रकार है :--

> ताजे फल, सब्जियां, औषध तथा भेषजें, स्नानागार की फिटिंग्स, डुप्लीकेटर्स, साइकिल के हिस्से, मानव-केशों के उत्पाद, चाय की पेटियां, काटन ऊन, फाऊन्टेन पेन, पंचिंग मशीनें, प्रेशर मशीनें, प्रेशर स्टोव, चश्मों के फ्रेम, खेल-कूद का सामान, चमड़े के जूते, जूतों के घटक, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, ऊनी तथा मिश्रित बुने हुए वस्त्र, ऊनी रूमाल तथा शाल आदि ।

(ख) निगम इस सेवाओं के लिए नाम मात्र सेवा-प्रभार लेता है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों तथा आन्तरिक लागतों जैसे कई उपादानों पर आधारित होता है ।

हल्दिया पत्तन वाले क्षेत्र में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

1679. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया क्षेत्र का निर्बाध व्यापार क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही से क्या आर्थिक लाभ होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): हल्दिया सहित विभिन्न पतनों पर निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के लिए सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं । सरकार का यह विचार है कि, अन्य निर्बाध क्षेत्रों की स्थापना से पहले कुछ समय तक कांडला पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र की प्रगति को देखना लाभकर होगा ।

रबड़ के भंडार के लिये वातानुकूलित गोदाम

1680. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ को दो वर्षों से अधिक समय तक रखने के लिए वातानुकूलित गोदाम बनाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): हाल में रबड़ बोर्ड को रबड़ के भंडारण के लिए वैज्ञानिक भांडागार बनाने के लिए सविस्तार योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

त्रिपुरा में नये डाकघर खोला जाना

1681. **श्री दशरथ देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में नये डाकघर खोलने के लिये कितनी याचिकाएं विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) त्रिपुरा में नए डाकघर खोलने के लिए 31-5-1971 को बीस अर्जियां विचाराधीन हैं। इनमें से 18 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 2 विभागीय उपडाकघर खोलने के लिए है।

(ख) और (ग): विस्थापितों के भारी तादाद में आने पर त्रिपुरा में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए किसी भी क्षेत्र से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रिपुरा के लिये डाक तथा तार विभाग का पृथक सर्किल बनाया जाना

1682. **श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलभ संचार साधनों की अनुपस्थिति में त्रिपुरा में डाक तथा तार विभाग के लिये आसाम सर्किल के अधीन, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, काम करना कठिन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के लिये एक पृथक सर्किल बनाने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में टेलीफोन धारकों से लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि

1683. **श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में टेलीफोन धारकों के लिये निर्धारित वार्षिक किराया और अन्य शुल्क क्या है ;

(ख) क्या हाल ही में किराये तथा शुल्क में वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनको कम करके पहले वाले स्तर पर लाने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों का किराया और काल प्रभार इस बात पर निर्भर करता है कि टेलीफोन केन्द्र प्रभावित प्रणाली वर्ग के अन्तर्गत आता है या समान दर प्रणाली वर्ग के अन्तर्गत। केवल त्रिपुरा के लिए अलग से कोई प्रभार निश्चित नहीं किये गए हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के अलावा सभी प्रभावित दर प्रणाली के टेलीफोन केन्द्रों के लिए केवल एक ही दर लागू है अर्थात् स्थानीय क्षेत्र में आने वाले टेलीफोनों के लिए 300 रुपये वार्षिक। ऐसी प्रणालियों में तीन महीनों की अवधि में 150 स्थानीय काल निःशुल्क करने की अनुमति है। इसके बाद भी 600 कालें 15 पैसे प्रति काल के हिसाब से चार्ज की जाती है और

उसके बाद की गई कालें 20 पैसे प्रति काल के हिसाब से चार्ज की जाती हैं। 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले समान दर के टेलीफोन केन्द्रों के संबंध में टेलीफोन का किराया 340 रुपये वार्षिक लिया जाता है और ऐसी प्रणालियों में स्थानीय कालों के लिए कोई अलग प्रभार नहीं लिया जाता।

(ख) तथा (ग): टेलीफोन के किराये में पिछली बार 1969 में संशोधन किया गया था और यह किराया अब भी लागू है। फिर भी, इस वर्ष से बजट प्रस्तावों में 340 रुपये के सामान दर किराये को बढ़ा कर 400 वार्षिक रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है तथा 10,000 लाइनों के उपस्कर की क्षमता से कम क्षमता वाली प्रत्येक प्रणाली में प्रभावित दर किराये की दर 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये वार्षिक करने का प्रस्ताव है।

उपग्रह के द्वारा विदेशों के साथ टेलीफोन से सम्पर्क

1684. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत का मई, 1971 तक उपग्रह के द्वारा सीधा टेलीफोन सेवा सम्पर्क था ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भविष्य में भारत द्वारा ऐसी सेवा आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) आस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान, कीन्या, कुवैत, मलयेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका तथा पश्चिम जर्मनी।

(ख) जिन देशों के बारे में विचार किया जा रहा है वे हैं--बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इण्डोनीसिया, इटली, हांककांग, लेबनान तथा थाइलैण्ड। समन्वय तथा परियात की मांगों के आधार पर इन आठ देशों में से चार देशों को चुना जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग की अपने सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तों के बारे में सिफारिशें

1685. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपने सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तों के बारे में उसकी सिफारिशों को न स्वीकार करने के विरुद्ध केन्द्र से शिकायत की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : आयोग द्वारा की गई सिफारिशें निम्न थीं :—

(i) आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन क्रमशः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

तथा न्यायाधीशों के वेतन के समान कर देना ही उचित होगा तथा इस समानता को पूर्वता अधिपत्र में स्थान निश्चित करते समय भी बनाए रखना चाहिए ।

(ii) पेंशन सभी गैर-सरकारी सदस्यों को मिलनी चाहिए और वह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जिन्होंने सदस्य के रूप में तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है । सरकारी सदस्यों को, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की भांति ही, आयोग में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए ।

(iii) सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियम रचना की क्रियाविधि की अपेक्षा उपयुक्त संसदीय कानून के द्वारा विनियमित किया जाए ।

सिफारिशों पर सावधानी से विचार किया गया किन्तु सरकार निम्न कारणों से इन्हें स्वीकार करने में समर्थ न हो सकी :—

वेतन :— संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 3,500 रुपये माहवार और अन्य सदस्य 3000 रुपये मासिक लेने के हकदार हैं इसके अतिरिक्त, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी या कोई अधिकारी जो आयोग में अपनी नियुक्ति होने की तिथि के समय भारत सरकार की सेवा में है, और उसकी नियुक्ति होने से पूर्व उस पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत, वह 1931 के पूर्व के वेतन दरों को लेने का हकदार होने के साथ-साथ आयोग में नियुक्त होने पर 500 रुपये माहवार अतिरिक्त निजी वेतन पाने का हकदार हैं । वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार की यह सामान्य नीति रही है कि यथासम्भव उच्च वेतनों को ऊपरी सीमा में पुनरीक्षित न किया जाय और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन की बढ़ोतरी के संबंध में इस समय विचार न किया जाय ।

पेंशन :— आयोग का एक सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं था, एक स्थानीय निकाय या अन्य किसी निकाय से पूर्ण रूप से या व्यापक रूप से अधिकार सम्पन्न या सरकार द्वारा नियन्त्रित था, अपने कार्यालय के पद से ऐसे सदस्य की हैसियत से पदच्युत होने पर, वह निम्न दरों पर पेंशन पाने का हकदार होगा :—

(i) अध्यक्ष के मामले में 6,600 रुपये प्रतिवर्ष, यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और

(ii) सदस्य के मामले में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष यदि उसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

सदस्य की हैसियत से पेंशन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह शर्त है कि सदस्य ने कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी न की हो और, जहां सदस्य की 3 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो किन्तु 6 वर्ष से कम हो जैसा पेंशन की राशि का निर्धारण इस फौर्मूले के अनुसार किया जायेगा कि पेंशन के लिए सेवा की पूरी अवधि को अधिकतम पेंशन की प्राप्त राशि से गुणा किया जायेगा और छः से विभाजित किया जायेगा ।

संसदीय विधान के द्वारा सेवा की शर्तों के विनियम रचना की क्रियाविधि की अपेक्षा विनियमित किया जाय : संविधान के अनुच्छेद 318 में राष्ट्रपति को आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में विनियमों को बनाने की शक्तियां दी गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम 1969 को तदनुसार 12 अक्तूबर, 1969 को अधिसूचित किया गया था।

हावड़ा के रेलवे पुलिस के उपअधीक्षक पर गोली चलाने की चेष्टा

1686. **श्री आर० कडनापल्ली :**
श्री पी० के० देव :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1971 को हावड़ा के रेलवे पुलिस के उपअधीक्षक पर गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख): पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में जांच-पड़ताल अभी की जा रही है।

ईसाई बनाया जाना

1687. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में कितने आदिवासियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को राज्य वार, ईसाई बनाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। जनगणना के समय उन अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के बारे में सूचना एकत्रित की गई है, जो ईसाई हैं, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के 1970 में ईसाई हो जाने के बारे में कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई है।

नेताजी जांच आयोग

1688. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नही, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर कब तक रख दिया जायगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1971 तक बढ़ाया जा रहा है और उस तिथि तक आयोग को अपनी जांच तथा रिपोर्ट पूरी कर लेने की आशा है ।

आयातकर्ताओं को कोटा लाइसेंस देने की अधिकतम सीमा

1689. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में आयातकर्ताओं को कोटा लाइसेंस देने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह सीमा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 की अवधि के लिए किसी एक सुस्थापित आयातक को दिये जाने वाले कोटा लाइसेंस के लिए चार लाख रु० की सीमा निर्धारित की गई है । फिर भी, यह प्रतिबन्ध, किताबों, औषधियों तथा दवाइयों और रबड़ से बने गर्भनिरोधक उपादानों पर लागू नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा की गयी विदेशों की यात्रा

1690. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष श्री पी० एल० टण्डन ने 1970 में विदेशों की कितनी बार यात्रा की, किन-किन देशों की यात्रा की, इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था और विमान किराया तथा विदेशी मुद्रा सहित सरकार का उन पर कितना व्यय आया ; और

(ख) निर्यात व्यापार के रूप में ऐसी यात्राओं से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष श्री पी० एल० टण्डन ने वर्ष 1970 के दौरान विदेशों की एक निजी यात्रा और राज्य व्यापार निगम के निर्यात व्यापार के संबन्ध में एक सरकारी यात्रा की । द्वितीय यात्रा के दौरान उन्होंने कीनिया, तंजानिया, जम्बिया, मलावी, उगान्डा, कांगो, नाइजीरिया, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, बेल्जियम, हालैंड, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ का दौरा किया । इन देशों की यात्रा का उद्देश्य, राज्य व्यापार निगम तथा इसके विदेशी कार्यालयों के लिए एक कार्यचालन योजना तैयार करने के उद्देश्य से उनकी अर्थव्यवस्थाओं तथा उनके राज्य व्यापार संबन्धी संस्थानों के वर्तमान व भविष्य के कार्य-कलापों का अध्ययन करना था । इस यात्रा पर 25,364 रु० व्यय हुए जिसमें 16,409 रु० विमान किराया और 8,954.90 रु० विदेशी मुद्रा व्यय शामिल है ।

(ख) इस यात्रा के फलस्वरूप, जिन देशों की यात्रा की गई उनके क्रेता अभिकरणों से सीधे संपर्क स्थापित हुए जिनसे यह आशा है कि उन देशों को भारतीय माल के निर्यातों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी ।

Wrong Delivery of Money Orders

1691. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of cases of wrong delivery of money orders throughout the country, which have been brought to the notice of Government during 1970 and the amount involved therein ;

(b) the total amount paid back to the senders as also the total number of pending cases ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken as also the nature of the action taken in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

Losses due to Subsidy on Post Cards

1692. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have sustained heavy losses by way of subsidy on Post Cards in the past

(b) if so, the amount of loss suffered during the years 1969-70 and 1970-71, respectively ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes.

(b) The estimated loss on account of inland post cards is as under :

1969-70	..	Rs. 7.01 crores
1970-71		Rs. 10.20 crores

(c) Notwithstanding the losses the Government is not contemplating any revision of rate of post card at present.

Visit by Pak. Nationals to Uttar Pradeh on Valid Passports

1693. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who came to Uttar Pradesh on valid passports since 1st January, 1968 ;

(b) the number of Pakistani nationals who went back to Pakistan before the expiry of the period of visa during this period ;

(c) the number of persons who had gone underground, deported to Pakistan during this period ; and

(d) the number of persons served with look-out notices and the estimated number of persons who are underground at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

महाजन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति पर मैसूर में उपद्रव

1694. **श्री पी० के० देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाजन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति कर मैसूर राज्य में कर्नाटक के कतिपय भागों में गम्भीर उपद्रव हुए हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से विचार-विमर्श किए बिना उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी थी ; और

(ग) क्या राज्य के मुख्य मन्त्री ने राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिसम्बर, 1970 में मैसूर के कुछ उत्तरी जिलों में दंगे हुए थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सामान्य एहतियाती उपायों के रूप में दक्षिण कमान द्वारा कुछ सैनिक अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर असैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए तैनात किया गया था। मैसूर के मुख्य मन्त्री को स्थिति से अवगत करा दिया गया था, जिन्होंने प्रधान मन्त्री और रक्षा मन्त्री को पत्र लिखा था।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का अपहरण करने के बारे मे खुफिया रिपोर्ट

1695. **श्री पी० के० देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पाकिस्तान की इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान का अपहरण करने की योजना के बारे में अपहरण की घटना से बहुत पहले ही निश्चित सूचना प्राप्त हो गई थी और केन्द्रीय कार्यकारी एजेंसियों ने इन रिपोर्टों की उपेक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने विमान अपहरण की घटना को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की थी और इस दिशा में उसकी असफलता के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) से (ग) : इस उद्देश्य हेतु गठित समिति द्वारा सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है।

खली के निर्यात में कमी

1696. **श्री पी० के० देव : क्या विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1971 के 'इकनामिक टाइम्स' में खली के निर्यात के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या खली के निर्यात में कमी के परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कितनी है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग): ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप के लिए अधिक भाड़ा दर तथा दर में बार-बार परिवर्तन होने के कारण, भारतीय निर्यातक को निर्यात क्रयादेश बुक करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर भारत ब्रिटेन कान्फ्रेंस लाइन्स को लिखा गया था। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णतः जागरूक है तथा इस मामले पर तत्काल विचार किया जा रहा है

पति और पत्नी की एक ही नगर में नियुक्ति

1697. **श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस आशय के आदेश या अनुदेश जारी किये हैं कि जब पति और पत्नी दोनों ही केन्द्र सरकार के कर्मचारी हों, तो उनकी नियुक्तियां यथा सम्भव एक ही नगर में की जानी चाहियें ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं श्रीमान्।

प्रत्येक मामले पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

विदेशों में खोली गई चाय बोर्ड की शाखाएं

1698. **श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड की शाखाएं खोलने के लिए विदेश स्थित विपणन विकास अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) वे किन-किन देशों में स्थित हैं ;

(ग) चाय बोर्ड की इन शाखाओं के खोलने पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) वर्ष 1969-70 में चाय के इस निर्यात संवर्धन के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) : ब्रिटेन, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब गणराज्य तथा आस्ट्रेलिया में तैनात पांच चाय संवर्धन निदेशक हैं जिनका कार्य भारतीय चाय का संवर्धन करना है ।

(ग) 1967-68, 1968-1969 तथा 1969-70 के तीन वर्षों के दौरान चाय संवर्धन निदेशकों के इन पांच कार्यालयों के कार्यचालन पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

(आंकड़े लाख रु० में)

	1967-68	1968-69	1969-70
(1) ब्रिटेन	10. 2	14. 6	18.4
(2) बेल्जियम	11. 1	11. 9	12.7
(3) सं० रा० अमरीका	2. 2	3. 1	5.6
(4) सं० अ० गणराज्य	2. 2	3. 1	2.9
(5) आस्ट्रेलिया....	9. 8	11. 5	12.3

(घ) निर्यात आंकड़ों के आधार पर निर्यात संवर्धन की सार्थकता का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि एक विशेष वर्ष के दौरान होने वाले निर्यात, स्टाक जमा करने तथा उन्हें निकालने संबंधी सामान्य आर्थिक प्रक्रिया तथा उत्पादन व अन्य देशों से पूर्तियों जैसी अल्पावधि बाजारी स्थितियों के परिणामस्वरूप आयातों में विभिन्नता के कारण घटते बढ़ते रहते हैं तथापि, चाय बोर्ड के पांचों विदेशी कार्यालयों द्वारा किये गये संवर्धन कार्यों के परिणामस्वरूप 1969-70 के दौरान यह देखा गया कि भारतीय चाय की क्वालिटी के बारे में विदेशी पैकरों और चाय वितरकों की जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिससे बहुत से विशुद्ध व प्रमुख भारतीय चाय मिश्रणों का विपणन हुआ । संयुक्त अरब गणराज्य ने उपभोक्ता पैकिटों में भारतीय चाय का नवम्बर, 1969 में प्रथम बार आयात किया । चाय मिश्रण में भारतीय चाय की प्रतिशतता को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देने संबंधी अपने विनिश्चय के फलस्वरूप मैसर्स जे० लायन्स एण्ड कम्पनी ने दिसम्बर, 1969 में ब्रिटेन में अपने सुप्रतिष्ठित पैक 'क्विक ब्रू' का डिजाइन भी बदला और उसका नाम बदल कर 'क्विक ब्रू इण्डियन ब्लैण्ड' रखा । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में खाद्य पदार्थ वितरक दो सुविख्यात फर्मों ने भारत में बनकर निर्यात हुए शत प्रतिशत भारतीय चाय के पैकों और इन्सटैंट चाय के एक ब्रांड का विपणन किया । यूरोप महाद्वीप के स्थानीय पैकरों द्वारा विपलित विशुद्ध भारतीय चाय के पैकों की बिक्री को नियमित रूप से बोर्ड द्वारा सक्रिय विज्ञापन सहायता दी जाती रही । आस्ट्रेलिया में चाय बोर्ड द्वारा प्रचार का उद्देश्य भारतीय चाय के बारे में जानकारी में वृद्धि करना रहा ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी नामों के प्रयोग को लोक प्रिय बनाना

*1699: **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी पत्र व्यवहार में हिन्दी नामों का प्रयोग लोकप्रिय बनाने के लिए अपने विभिन्न विभागों में कोई अनुदेश जारी किये हैं और

(ख) यदि हां, तो यह अनुदेश क्या हैं, और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । ऐसे अनुदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं ।

(ख) अब तक जारी किये गये अनुदेश संलग्न हैं । ऐसी स्थिति के होते हुए इस सम्बन्ध में हुई प्रगति को कोई परिमाणात्मक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 361/71]**

मारीशस को प्रसारण सुविधायें और फिल्म उद्योग की सहायता

1700. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मारीशस को फिल्म उद्योग और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) : आकाशवाणी, मारीशस प्रसारण निगम को विभिन्न प्रकार के प्रसारण/टेलीविजन कार्यक्रम सप्लाई कर रही है । मारीशस प्रसारण निगम की हिन्दी यूनिट के एक अधिकारी को आकाशवाणी में प्रशिक्षण दिया जाना है । एक अधिकारी को मारीशस प्रसारण निगम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है । जहां तक फिल्म उद्योग का सम्बन्ध है, निम्नलिखित प्रस्तावों की सम्बधित मन्त्रालयों द्वारा जांच की जा रही है :

(1) भारतीय व्यापारियों द्वारा मारीशस में स्टूडियो तथा फिल्म प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(2) संयुक्त फिल्म निर्माण योजनायें;

(3) मारीशस के व्यक्तियों को फिल्म प्रविधियों में प्रशिक्षण ;

(4) मारीशस में भारतीय फीचर फिल्मों के निर्यात में वृद्धि; और

(5) मारीशस में प्रदर्शन के लिए भारतीय फिल्मों के उप-शीर्षक फ्रैंच में देना ।

विश्व बाजार के लिए चाय की मात्रा के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक

1701. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में इस वर्ष में विश्व बाजार में चाय की मात्रा के बारे में निर्णय करने के लिए अप्रैल, 1971 में रोम में मुख्य चाय उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन की बैठक में यह विनिश्चय किया गया कि 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक के 15 महीनों की एक कोटा अवधि होनी चाहिए। 1971 के पंचांग वर्ष के लिए विश्व निर्यात कोटा 594.8 हजार मे० टन होगा जो कि उतना ही है जितना कि मारीशस में 1970 के प्रवन्ध में स्वीकृत हुआ था। सम्पूर्ण 15 महीनों की अवधि के निमित्त कोटे पर विनिश्चय सितम्बर, 1971 के उत्तरार्ध में होने वाले इस दल के समीक्षा सत्र में किया जायेगा।

R.M.S. Office at Sriganganagar

1702. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether great difficulties are being experienced in Dak distribution for want of a R.M.S. Office at Sriganganagar ;

(b) whether a proposal to open a R.M.S. Office is under consideration for the last ten years ;

(c) whether once the equipment for R.M.S. Office was brought to Sriganganagar but later on the same was returned ; and

(d) if not, the reasons for not opening an R.M.S. Office there ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir. The distribution of dak is not dependent upon the opening of a Sorting Mail Office at Sriganganagar.

(b) Yes Sir. The opening of a Sorting Mail Office has been approved, but it has not started functioning for want of a suitable building.

(c) Yes Sir.

(d) The opening of a Sorting Mail Office is held up for want of a suitable building near the Railway Station.

Opening of All India Radio Station at Sriganganagar

1703. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any suggestion to establish an All India Radio Station in Sriganganagar, has been received ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) A radio station is proposed to be established at Suratgarh in Ganganagar district.

पी० एण्ड टी० कालोनी, पटना में स्कूल भवन के निर्माण में विलम्ब

1704. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि '

(क) क्या पी० एण्ड टी० कालोनी, किदवईपुर, पटना में स्कूल भवन का, जिसका शिला-न्यास भूतपूर्व सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था, निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है यद्यपि इस परियोजना पर होने वाले खर्च के अनुमान को स्वीकार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और स्कूल भवन का निर्माण कब पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। भवन निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ख) प्रस्ताव तैयार करने और स्थान पर भवन निर्माणकार्य शुरू करने के बीच क्रियाविधि संबंधी कई आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं जैसे कि प्रारम्भिक ड्राइंग तैयार करना, प्रारम्भिक प्रावकलन बनाना, प्रशासनिक स्वीकृति देना और खर्च की मजूरी देना और कार्यचालन। विस्तृत ड्राइंग तैयार करना, अपेक्षित विज्ञापन देकर टेंडर आदि मंगाना। इन सब में काफी समय लग जाता है। सर्कल की मंजूरी की शक्तियों के अधीन, पोस्टमास्टर जनरल, पटना ने दिसम्बर 1970 में परियोजना और प्रारम्भिक प्रावकलन की मंजूरी दे दी थी। विस्तृत प्रावकलन की मंजूरी अधीक्षक इंजीनियर देता है। इन्होंने यह मंजूरी दे दी है। टेंडर मंगाने का नोटिस तैयार किया जा रहा है। इसलिए, इस मामले में ज्यादा देर नहीं हुई है।

(ग) इस कार्य के जुलाई, 1971 तक प्रारम्भ होने की और 1972 के अंत तक समाप्त होने कीसंभ ावना है।

बड़े व्यापारियों द्वारा पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग

1705. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापारी पोस्टकार्डों का उपयोग विज्ञापन देने और व्यापार सम्बन्धी हितों का प्रचार करने के लिए मुद्रित रूप में संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं तथा इस प्रकार पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिनका प्रयोग गरीब जनता द्वारा संदेश भेजने के सस्ते साधन के रूप में किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग के कार्मिक संघों ने यह सुझाव दिया है कि मुद्रित पोस्टकार्डों

के लिए अधिक मूल्य लिया जाये और इस प्रकार विभाग की होने वाली अकारण हानि से बचाया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। व्यापारी मुद्रित रूप में संदेश भेजने के लिए पोस्टकार्डों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि कार्मिक संघों से ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। बहरहाल अन्य स्रोतों से ऐसे सुझाव आए हैं।

(ग) पोस्टकार्डों पर मुद्रित रूप में संदेश भेजने पर पाबंदी लगाने के सुझाव की इससे पहले की जांच भी गई थी, किन्तु विधि मंत्रालय की यह राय थी कि मुद्रित रूप में संदेशों को भेजने पर पाबन्दी लगाने में संविधान के प्रावधानों के आड़े आने की संम्भावना है।

इस समय सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या ऐसे पोस्टकार्डों के लिए डाक-प्रभार की भिन्न दरें अपनाई जा सकती हैं जिन पर संदेश मुद्रित हों।

दौसा और गंगापुर (राजस्थान) में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

1706. **श्रीमती गायत्री देवी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर डिवीजन के दौसा और गंगापुर नगरों में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख): जी नहीं। दौसा और गंगापुर प्रत्येक इस समय 200 लाइनों का करचल एक्सचेंज है और इनके ट्रंक परियात बहुत कम है।

जयपुर और सवाई माधोपुर में नये टेलीफोन केन्द्र और डाकघर

1707. **श्रीमती गायत्री देवी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में 1971-72 में नए टेलीफोन केन्द्र तथा नए डाकघर स्थापित करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इन नए टेलीफोन केन्द्रों और डाकघरों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग 'क' का उत्तर 'ना' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) (ख) और (ग) : जी हां।

1971-72 वर्ष के दौरान जयपुर जिले में दो नए एक्सचेंज और 10 नए डाकघर और सवाई माधोपुर जिले में एक एक्सचेंज और 10 डाकघर खोले जाने की सम्भावना है।

ये एक्सचेंज जयपुर जिले में डूडों और पाओटा में और सवाई माधोपुर जिले में टोडा भीम में खोले जाने हैं।

उपर्युक्त दो जिलों में 1971-72 के दौरान किन-किन जगहों पर डाकघर खोले जाने की संभावना है, यह प्राप्त हुए प्रस्तावों की पड़ताल और स्वीकृत पर निर्भर करना है जो कि डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानकों पर पूरे उतरते हों।

आस्ट्रेलिया के चाय के निर्यात में कमी

1709. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 में आस्ट्रेलिया को भारतीय चाय के निर्यात में तेजी से कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई थी तथा इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 में आस्ट्रेलिया को भारत से चाय के निर्यात में मामूली सी गिरावट रही है।

(ख) आस्ट्रेलिया को चाय का निर्यात 1969 में 39 लाख किग्रा० था जिसमें 5 प्रतिशत गिरावट आने से वह 1970 में 37 लाख किग्रा० रह गया। यह कमी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्य उतार-चढ़ाव के कारण आई।

घटिया किस्म के सामान का निर्यात

1710. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम इस कारण घटिया किस्म का माल निर्यात कर रहे हैं कि उत्पादक किस्म नियंत्रण को असफल बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म के सामान का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तम किस्म की वस्तुओं का निर्यात हो, सरकार ने, निर्यात (गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत, वस्तुओं के निर्यात होने से पूर्व, प्रमुख वस्तुओं के गुण नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निरीक्षण के व्यापक कार्यक्रम द्वारा उपयुक्त कदम उठाये हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को एक और अवसर

1711. **श्री कमलमिश्र मधुकर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग ने राज्य सिविल सेवाओं के उन अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा की नियमित परीक्षा में बैठने का एक अवसर देने की सिफारिश की है जिन्होंने 6 वर्ष तक सेवा की है तथा जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं यद्यपि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियमित परीक्षा में दो बार बैठ चुके हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवाओं में (केन्द्रीय और राज्य) की विश्वविद्यालयों में तथा अन्यत्र कार्य कर रहे उन सभी प्रतिभावान व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियमित परीक्षा में बैठने के लिए एक अवसर देने का है जिन्होंने सेवा का एक वर्ष या दो वर्ष पूरे कर लिये हैं तथा 35 वर्ष से कम आयु के हैं ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में श्रेणी I गैर-तकनीकी सेवाओं में उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने 6 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी कर ली है और आयु 35 वर्ष से कम है, जो शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें अभी तक दिये गये अवसरों को बिना ध्यान में रखते हुए, सीधी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए केवल एक, और अन्तिम अवसर के रूप में देने की सिफारिश की है । यह सिफारिश उन पर लागू होती है, जो पहले से ही केन्द्र या राज्यों में सरकारी नौकरी में हैं । यह सिफारिश सरकार के पास विचाराधीन है ।

रूई निगम के निदेशक मण्डल के सदस्यों में परिवर्तन

1712. **श्री डी० एस० अफ़जलपुरकार :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रूई निगम के निदेशक मण्डल के सदस्यों में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चेयरमैन तथा अन्य प्रबन्धक निदेशकों सहित उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं तथा उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर में स्वचालित डायलिंग व्यवस्था

1713. **श्री डी० एस० अफजकपुरकार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के उन शहरों के क्या नाम हैं जहां पर स्वचालित डायलिंग व्यवस्था लागू करने के लिए सक्रियता से विचार हो रहा है ; और

(ख) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : 31 मार्च, 1971 को मैसूर राज्य में 56 करचल टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे थे। इनमें से निम्नलिखित एक्सचेंजों को चौथी योजना के दौरान स्वचालित स्थानीय डायलिंग प्रणाली में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है :

क्रमांक	एक्सचेंज का नाम	लाइनों की क्षमता	जिस वर्ष में स्वचालित बनाये जाने की सम्भावना है
1.	बागलकोट	400	1973
2.	बेलगाम	3,000	1974
3.	हवेरी	300	1974
4.	कारवार	300	1974
5.	सिरसी	300	1974

मैसूर के आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित होना

1714. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारणों में बिजली चले जाने तथा यांत्रिक खराबी के कारण बाधा उपस्थित होती है ;

(ख) यदि हां,, तो क्या इसके कार्यक्रमों के प्रसारण के समय अन्य केन्द्रों से होने वाले प्रसारणों से भी बाधा पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : आकाशवाणी का मैसूर केन्द्र केवल रिकार्डिंग सुविधाओं सहित एक स्टूडियो है। वहां पर जो कार्यक्रम रिकार्ड किये जाते हैं वे बंगलौर केन्द्र से प्रसारित किये जाते हैं, सीधे मैसूर से नहीं। अतएव, मैसूर केन्द्र से प्रसारणों में बाधा पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से युववाणी कार्यक्रम

1715. **श्री पी० आर० दास मुन्शी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारण होने वाला युववाणी कार्यक्रम नियमित रूप से एक विशेष समाज अथवा क्लब का कार्यक्रम बन गया है ;

(ख) क्या अन्य वर्गों अथवा क्लबों के प्रतिभाशाली युवकों को युववाणी कार्यक्रम में प्रसारण के लिए अवसर नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी से कार्यक्रमों के प्रसारण के मध्य होने वाले विराम से प्रसारण समय का व्यर्थ जाना

1716. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) दो प्रसारणों के मध्य विराम की औसत अवधि कितनी होती है ;

(ख) क्या हाल ही में दो प्रसारणों के मध्य के विराम की अवधि औसत अवधि से अधिक हो गई है जिसके कारण प्रसारण समय व्यर्थ जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विराम के अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दो से पाँच सेकेण्ड तक ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चमड़ा खाल और परिष्कृत चमड़ा निर्यात करने के लिए निगम की स्थापना

1717. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े, खाल और परिष्कृत चमड़े के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये और उसमें वृद्धि करने के लिए चमड़ा, खाल और परिष्कृत चमड़ा निर्यात सम्बन्धी एक पृथक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) तमिलनाडु के निर्यात-कर्ताओं को चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के बारे में क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) निर्यात संवंधन के मामले में एकदम निर्यात सहायता दी जाती है और ऐसा करते समय निर्यातों के उद्‌भव के राज्य के सम्बन्ध में पक्षपात नहीं किया जाता । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें चमड़े तथा चमड़े के माल के निर्यात बढ़ाने के लिए दी गई सहायता दर्शायी गयी है ।

विवरण

सरकार ने चमड़े तथा चमड़े के माल के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) इकाई मूल्य में वृद्धि हासिल करने के लिये कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों पर बकरियों की चमड़ियों के कोटे को छोड़कर, जिसे उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है और 1973-74 तक इस मद के अन्तर्गत होने वाले निर्यात भी एक दम बन्द कर दिए जाने की संभावना है, लगभग पूर्णतः रोक लगा दी गई है ।

(ख) कच्ची खालों और चमड़ियों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है । इससे देश में कच्ची खालों और चमड़ियों की पूर्ति बढ़ाने तथा बेहतर किस्म की चमड़ियों की खपत पर दबाव कम करने में सहायक होगी जिससे वे निर्यात के लिए मिल सकेंगी ।

(ग) मुर्ग दाड़ी की छाल, मुर्ग दाड़ी निस्सारण तथा कमाने से सम्बन्धित अन्य छाल का आयात भी खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन ले लिया गया हैं ।

(घ) चमड़ा उद्योग को प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में एक रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है । और अतः अब यह अपने पसन्द के स्रोतों से आवश्यक माल के आवंटन के मामले में प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार का पात्र बन गया है ।

(ङ) आयातित उद्‌भव के माल की कमी को पूरा करने के लिए ई-1 कमाये हुए चमड़े, कमाये हुए क्रोम चमड़े तथा तैयार चमड़े के सम्बन्ध में क्रमशः 3 प्रतिशत, 6 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति है । सामान तथा चमड़े के जूतों के मामले में 15 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति अनुमत है ।

(च) चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात पर शुल्क की वापसी की योजना को युक्तियुक्त बनाया गया है और वर्तमान सामान्य दर चमड़े के जूतों पर 4.5 प्रतिशत और चमड़े के सामान पर 10 प्रतिशत है ।

(छ) चमड़े के जूतों और उनके संघटकों तथा तैयार चमड़े और चमड़े के माल पर 1-2-1971 से चुकाये गये भाड़े 50 प्रतिशत तक रेल भाड़ा इमदाद दी जा रही है । परन्तु क्रमशः पोतपर्यन्त मूल्य के 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत तक सीमित है ।

तमिलनाडु में काफी बागान का विकास

1718. **श्री बी० नारायणम् :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में काफी बागानों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (1) काफी बोर्ड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु के ढंकनीकोत्ताई ताल्लुका की पर्वतीय श्रंखलाओं का सर्वेक्षण किया है और काफी की खेती के संबंध में इन श्रंखलाओं की अनुकूलता के बारे में एक तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

(2) काफी बोर्ड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तामिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों में काफी बागान शुरू करने की संभाव्यता के बारे में भी अपने तकनीकी विचार प्रकट किए हैं।

(3) बोर्ड के तकनीकी अधिकारी भी तामिलनाडु की यरकोद पहाड़ियों में काफी बागानों के विकास हेतु राज्य सरकार की योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रहे हैं।

काफी बोर्ड तामिलनाडु समेत समूचे देश में काफी बागानों के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है :

(क) लघु पंजीयित काफी जोतों में गहन काश्त करने हेतु दीर्घावधि ऋण प्रदान करने की योजना ;

(ख) सभी पंजीयित बागानों को देय, पुनर्रोपण हेतु दीर्घावधि ऋणों के प्रदान करने की योजना ;

(ग) 100 एकड़ तक के बागानों को देय, वार्षिक कार्यकारी पूंजी हेतु अल्पावधि ऋणों के प्रदान करने की योजना ; और

(घ) सभी पंजीयित बागानों पर लागू, किराया खरीद आधार पर उपस्करों व मशीनों की पूर्ति करने की योजना।

काफी के निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज

1719. **श्री पी० नारायणन्** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी के निर्यात हेतु नए बाजारों की खोज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अपेक्षित जानकारी-युक्त एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत से काफी निर्यात, अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। इस करार के अन्तर्गत, विश्व की आयात आवश्यकताओं के आधार पर प्रति वर्ष कोटा देशों को निर्यात करने हेतु वार्षिक कोटे निर्धारित किए जाते हैं। इस लिए इन देशों को काफी निर्यात, अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा भारत के संबन्ध में प्रत्येक काफी वर्ष (अक्तूबर/सितम्बर) हेतु निर्धारित वार्षिक कोटाओं की सीमा तक ही किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोटा देशों को भारत से काफी के निर्यातों के संबन्ध में एक सीमा निर्धारित है।

2. गैर-कोटा देशों को निर्यात, निर्धारित कोटाओं की सीमा से अधिक भी किए जा सकते हैं और ऐसे निर्यातों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा कोई विशिष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती हैं। गैर-कोटा देशों को, जो कि अपरम्परागत बाजार हैं और जिन्हें होने वाले निर्यातों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा निर्धारित सीमा लागू नहीं होती, काफी के निर्यातों हेतु व्यापार योजना सम्बन्धी व्यवस्थाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के फलस्वरूप इन देशों को भारत से काफी के निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

3. ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों को एक प्रतिनिधिमण्डल, इन मुक्त विदेशी मुद्रा बाजारों तथा कुछ गैर-कोटा देशों, जिनके साथ हम संभवतः काफी व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे सीधे निर्यातों में वृद्धि की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भेजने का प्रस्ताव है।

चमड़ा और खालों के निर्यातकों को निर्यात राज सहायता

1720. **श्री सामिनाथन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खालों और चमड़े के विश्व बाजार मूल्यों को प्रभावित करने हेतु चीन द्वारा अपनायी गई "अपूर्वानुपेय मूल्य और प्रमात्रा" पद्धति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) चमड़े और खालों के भारतीय निर्यातकों को दी जा रही निर्यात राज सहायता का क्या कार्यक्रम है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : चमड़ियों तथा खालों और तैयार चमड़े तथा चमड़े से निर्मित माल के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) दो निर्यात संवर्धन परिषदों (1) मद्रास में चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद तथा (2) कानपुर में तैयार चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित माल हेतु निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। ये दोनों परिषदें संवर्धनात्मक कार्य करती हैं जैसे की विदेशी बाजारों का दौरा करने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल और बिक्री तथा अध्ययन दल भेजना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार संबंधी जानकारी का वितरण करना तथा नये निर्यातकों का मार्गदर्शन करना।

(2) इस उद्योग के लिए अपेक्षित मूल कच्चे माल का, जैसे कि कच्ची खालों तथा चमड़ियें और रंगाई की छालों तथा आसव का निर्यात सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत करने दिया जाता है।

(3) चमड़ा तथा चमड़े का सामान 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से एक है, अतः इस उद्योग के एकक वास्तविक खपत के आधार पर आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

(4) चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यातों के आधार पर, उन निर्यातित उत्पादों में लगे हुए आयातित माल प्रतिपूर्ति करने के लिए आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(5) ब्लू क्रोम कमाई हुई बकरी की चमड़ियों तथा बनस्पति द्वारा कमाये हुए चपड़े के निर्यात पर शुल्क की वापसी की व्यवस्था है ।

ट्रंक कालों के मीटर खराब होने के कारण दिल्ली और बम्बई के बीच हुई टेलीफोन कालों के बढ़े हुए बिलों का दिया जाना

1721. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली और बम्बई के कध्य ट्रंक काल के मीटर में गलत दर्ज होने के कारण उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ टेलीफोन बिल देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

1722. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए कलकत्ता निगम से भूमि प्राप्त की गई है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या परियोजना त्याग दी जायेगी और कलकत्ता के बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाई जायेगी; और

(ग) इस परियोजना का योजना अनुमान क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कलकत्ता निगम के साथ बातचीत चालू है । भूमि का कब्जा अभी तक नहीं लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 190 लाख 59 हजार रुपए ।

इंडियन काउन्सिल आफ इन्स्टिट्यूशन आफ रबर (लन्दन) की कलकत्ता में हुई बैठक

1723. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काउन्सिल आफ इंस्ट्टियूशन आफ रबर (लन्दन) की हाल में ही नेशनल टैस्ट हाउस कलकत्ता में एक वार्षिक आम बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक अन्य संश्लिष्ट रबर कारखाने की स्थापना करने और प्राकृतिक रबर का उत्पादन और विस्तारण करने संबंधी कठिनाइयों की चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या भारतीय रबर मिश्रण में नियंत्रण-तकनीकों पर एक गोष्ठी की थी ; और

(घ) क्या उक्त गोष्ठी में भाग लेने वाले टैक्नालोजीविज्ञों ने आशा व्यक्त की थी कि एक दशांक के पश्चात् भारत में प्रति व्यक्ति रबर की खपत यूरोप और उत्तर अमरीका से भी बहुत अधिक हो जायेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : ऐसी जानकारी मिली है कि इंस्टिट्यूशन आफ दि रबड़ इंडस्ट्री (लन्दन) की भारतीय शाखा की एक बैठक हाल में कलकत्ता में हुई थी । तथापि, इस बैठक की कार्यवाही के बारे में सरकार के पास ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

टाटा इंस्टीट्यूट आफ फेडामेन्टल रिसर्च बम्बई के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अनुसन्धान

1724. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंस्टीट्यूट आफ फैंडामेन्टल रिसर्च, बम्बई के निदेशक, प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन ने बताया है कि टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डी० लाल की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों के एक दल ने अब तक अज्ञात अत्तिभारी तत्वों के अस्तित्व का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ऐसे तत्वों का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया है ; और

(ग) निकट भविष्य में इस संबंध में और क्या अध्ययन किये जायेंगे ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां । अपोलो यात्रियों द्वारा चन्द्रमा की चट्टानों तथा उल्कापिंडों के जो नमूने लाये गये थे, टाटा मूल अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर डी० लाल तथा उनके साथियों ने उनकी जांच करने पर जो परिणाम प्राप्त किये उनसे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि अतीत में ऐसे मूलतत्व विद्यमान थे जो यूरेनियम से भी ज्यादा भारी थे तथा जिसका चार्ज लगभग 115 तथा द्रव्यमान 300 था ।

(ख) जी, नहीं । अभी तक नहीं ।

(ग) उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिये एक बड़े नमूने की और अधिक बारीकी से जांच की जा रही है ।

पंजाब को वित्तीय सहायता

1725. **श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे फि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी योजनाओं की क्रियान्वित के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता की राशि के बारे में कोई निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पंजाब सरकार ने राज्य की चौथी योजना के 325 करोड़ रुपये के परिव्यय को जैसा कि मूलतः प्रस्तावित है आर्थिक सहायता देने के लिए कम से कम 190 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना की है।

(ख) अनुमोदित चौथी योजना के 293.56 करोड़ रुपये के परिव्यय को आर्थिक सहायता देने के लिए 101 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता नियत कर दी गयी है । राष्ट्रीय विकास परिषद की सीमित के द्वारा अनुमोदित समान रूप से व्यावहारिक मापदंड के आधार पर फार्मूले के अनुसार यह राशि निर्धारित की गयी है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

1726. **श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधायें देने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पंजाब सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों को कुछ सुबिधायें दी हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में किसी संसद् सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु, जब भी राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए मंजूर किये जाने वाले किसी सीमान्त-क्षेत्र भत्ते की सुविधा को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू करने के सुझाव प्राप्त होते हैं तब उन पर विचार किया जाता है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ): जी हां, श्रीमान् । आदरणीय सदस्य द्वारा अपने दिनांक 30 मार्च, 1971 को वित्त मंत्री को दिये गये, पत्र के सुझाव उनके विचाराधीन हैं ।

Cases of Dacoity and Murder in Delhi

1727. **Shri Nathuram Ahirwar :**
Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that culprits in many cases of daccity and murder which took place in Delhi during the current year could not be traced out so far ;

(b) if so, the steps being taken by Government in the matter ; and

(c) the total number of persons murdered and also of those looted in broad daylight in Delhi and in the areas situated within a radius of 20 miles from Delhi between 1st January, 1971 to 15th May, 1971 and the number of cases out of them in which no clue has been found so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : According to the Delhi Administration, out of a total number of 46 cases of murder and 3 cases of dacoity, reported in Delhi during the current year (from 1.1.1971 to 15.5.1971), 14 cases of murder and 3 cases of dacoity are yet to be traced out. Efforts are being made to gather clues and to apprehend the culprits.

(c) Eighteen persons were murdered and 26 persons were robbed in Delhi in day time during this period. In 7 cases of murder and 6 cases of robbery, the culprits are yet to be apprehended.

Relevant information regarding areas of other States situated within the radius of 20 miles from Delhi is not readily available.

तमिलनाडु में स्वचालित केन्द्र

1728. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **संचार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में स्वचालित केन्द्रों में वृद्धि करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्रों की स्वचालित पद्धति की अन्तरगत लाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। वित्तीय और सामान संबंधी साधनों के उपलब्ध होने की बात को मद्देनजर रखते हुए देश में सभी स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों को विभिन्न चरणों में स्वचालित बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) 31 मार्च, 1971 को तमिलनाडु में 39 करचल टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे थे। आशा है कि इनमें से निम्नलिखित 10 एक्सचैंज 1974-75 तक स्वचालित बना दिए जाएंगे :

1. अरनी
2. धर्मपुरी
3. करैकल

4. रामनद
5. तिरुवनमल्लई
6. इरोडे
7. पांडिचेरी
8. तिरुपुर
9. तूतीकोरिन
10. वेल्लौर

तमिलनाडु में काजू के कारखानों को कच्चे काजू की कमी

1729. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में कच्चे माल काजू नहीं मिलने के कारण वहां काजू के कारखाने कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) क्या तूतीकोरिन पत्तन के बजाय कोचीन पत्तन से कच्चे काजू प्राप्त करने के बारे में कोई अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी इस संभावना के बारे में विचार किया गया था परन्तु यह पता चला कि तूतीकोरिन पत्तन पर मांग बहुत कम होने के कारण कोचीन पत्तन से, जहां पर जहाजों से सामान उतारा जाता है, कच्चे काजू को उठाने में अधिक किफायत है।

डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था से दिल्ली को मद्रास से जोड़ना

1730. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था से दिल्ली को मद्रास से शीघ्र ही जोड़ दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह संबंध कितना शीघ्र स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख): दिल्ली और मद्रास में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं। दिल्ली और मद्रास के ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों के जरिये दिल्ली और मद्रास के बीच डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का काम शीघ्र ही हाथ में लिये जाने की संभावना है। आशा है कि यह सेवा 1972-73 के समाप्त होने से पहले उपलब्ध हो जाएगी।

सैलम (तमिलनाडु) में टैलेक्स सेवा का आरम्भ

1731. **श्री मुरासोली मारन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सैलम में टैलेक्स सेवा सुविधायें आरम्भ करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : 20 मार्च, 1971 को सैलम में 50 लाइनों का एक टैलेक्स चालू किया गया था ।

बम्बई से बाहर की गई अन्य नगरों के लिए टेलीफोन कालों में असाधारण समय लगना

1732. **डा० कर्णी सिंह : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से अन्य नगरों को की जाने वाली साधारण तथा अवलिम्बनीय टेलीफोन कालों में लग रहे असाधारण समय के बारे में सरकार की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या कारण हैं ;

(ग) तत्क्षण मिलने वाली टेलीफोन कालों (लाइनिंग काल्स) के अत्यधिक शुल्क को ध्यान में रखते हुए तथा साधारण कालों में अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संसद् सदस्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों के सम्पादन के लिए शुल्क में रियायत देने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) : बम्बई को एक्सल के बल के जरिए अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली-कलकत्ता और पूना-बंगलौर-मद्रास मार्गों पर जुड़ा हुआ है । बम्बई के लिए पूना, सूरत और अहमदाबाद के साथ उपभोक्ता द्वारा सीधे डायल करने की सेवा भी उपलब्ध है । इन मार्गों पर कालें शीघ्र लग जाती हैं और इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है । बम्बई से नागपुर, कल्याण और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के स्थानों को की जाने वाली कालें देर से लगती हैं और इनके बारे में शिकायतें भी हैं क्योंकि ये स्थान खुली तार के परिपथों से जुड़े हैं और दोष और चोरी होने की संभावना रहती है । महत्वपूर्ण खुली तार की लाइनों को बदल कर यथासमय उनकी जगह कोएक्सल या माइक्रोवेव योजनाएं लगा दी जाएंगी ।

(ग) और (घ) : संसद् सदस्यों की छूट देने की सुविधाओं के प्रश्न की जांच करना संसद् सचिवालय का मामला है ।

बम्बई और दिल्ली के बीच स्थाई रूप से डायल घुमाकर सीधी टेलीफोन करने की व्यवस्था चालू किया जाना

1733. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन महानगरों के बीच - स्थाई रूप से डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक चालू हो जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अभी नहीं। इसका काम अभी वांछनीय स्तर तक नहीं पहुंचा है और आगे और परीक्षण और समायोजन करना आवश्यक पाया गया है।

(ख) यह तभी चालू की जाएगी जब इस मार्ग पर कार्य की पूर्णतः संतोषजनक पाया गया। आशा है कि यह काम तीन से चार महीने तक की अवधि में पूरा हो जायेगा।

Pak Spies Arrested in Madhya Pradesh

1734. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some Pakistani spy gangs have been arrested in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) if so, the particulars thereof and the number of persons out of them who have been convicted ; and

(c) the number of those out of them who have confessed their guilt ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :(a) to (c) : Facts are being ascertained.

All India Radio Stations in Madhya Pradesh

1735. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time by which the Gwalior, Jabalpur and Raipur Stations of All India Radio are likely to start functioning as full fledged Stations ;

(b) whether Government have decided to develop these into full-fledged Stations soon ;

(c) whether Government are setting up Radio Stations at Mandsaur Jagdalpur ;

(d) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to convert the Radio Stations already set up there into full-fledged ones and also to open new Radio Stations ; and

(e) if so, when such a request was made and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). The existing auxiliary centres at Gwalior and Raipur will become full-fledged stations in 1973-74. The auxiliary centre at Jabalpur is not being upgraded into a full-fledged station during the Fourth Plan. It is expected to be upgraded during the Fifth Plan.

(c) A radio station will be set up at Jagdalpur during the Fourth Plan. There is no proposal to establish one at Mandsaur.

(d) and (e): The information is given below :—

S. No.	Particulars of representation	Action taken
1.	Setting up a new radio station at Khajuraho in Bundelkhand area.	Bundelkhand region will be served by the station which is being set up at Chhattarpur.
2.	Setting up of one more Transmitter at Jabalpur for relaying Vividh Bharti Programme.	This could not be accepted as more Vividh Bharati centres are not being set up in the Fourth Plan. This demand will be considered when subsequent Plans are formulated.
3.	Setting up of radio station at Bilaspur.	Bilaspur area is receiving satisfactory service from Raipur station and, therefore, demand for setting up a station there cannot be accepted at this stage.
4.	Increase of the power of Raipur station.	The existing transmitter at Raipur covers adequately the area around Raipur. The other parts of Eastern Madhya Pradesh will be covered by new stations to be set up at Jagdalpur-Ambikapur and Rewa. These areas cannot be covered adequately by increasing the power of Raipur Station.

Provision of Automatic Exchanges in Industrial Cities of Madhya Pradesh

1736. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the Telephone Exchanges in Ujjain, Dewas and in other industrial cities of Madhya Pradesh into automatic exchanges ; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of Communcations (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) 1. Yes Sir. The Government propose to convert the telephone exchanges at all major industrial and business centres to automatic working all over the country including Madhya Pradesh.

2. However due to limitations of financial and material resources the above programme will be spread over next 15 to 20 years. For this purpose separate phased programmes are being drawn up in two disntict categories.

(a) Larger manual exchanges with capacities of over 500 lines.

(b) Smaller exchanges with capacities of 100 to 300 lines.

3. In accordance with these programmes following exchanges are likely to be converted to auto worknig in Madhya Pradesh during next few years.

(a) **Larger Exchanges**

(i)	Gwalior	by 1972
(ii)	Raipur	by 1974
(iii)	Jabalpur	by 1976
(iv)	Ujjain during fifth plan	
(v)	During-Bhillai-Khursipar during fifth plan	

(b) **Smaller Exchanges**

(i)	Rewa	by 1972
(ii)	Mandsaur	by 1974
(iii)	Itarsi	by 1974
(iv)	Dewas	by 1975
(v)	Chhindwara	by 1975
(vi)	Morena	by 1975
(vii)	Balaghat	by 1975
(viii)	Dameh	by 1975
(ix)	Mhow	by 1975
(x)	Khargone	by 1975

New Post Offices in Rural Areas of Madhya Pradesh

1737. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open new Post Offices in the rural areas of Madhya Pradesh by the end of this year ; and

(b) if so, the number thereof, District-wise ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) It is proposed to open 166 extra departmental branch post Offices and 12 sub-Post Offices in the rural areas of Madhya Pradesh by the end of the year 1971-72.

(b) Number of Post Offices proposed to be opened in the rural areas of Madhya Pradesh during the year 1971-72, district-wise :—

Name of District		Number of Post Offices proposed to be opened	
		Extra departmental branch post offices	Sub-Post offices
1. Morena	..	6	..
2. Bhind	..	5	1
3. Gwalior	..	5	..
4. Datia	..	4	..
5. Shivpuri	..	6	..
6. Guna	..	4	..
7. Tikamgarh	..	2	..
8. Chhatarpur	..	2	1
9. Panna	..	2	1
10. Satna	..	2	..
11. Rewa	..	5	..
12. Shahdol	..	2	..
13. Sidhi	..	1	1
14. Mandsaur	..	6	..
15. Ratlam	..	2	..
16. Ujjain	..	4	..
17. Jhabua	..	2	..
18. Dhar	..	4	1
19. Indore	..	3	..
20. Dewas	..	4	..
21. Khargone	..	7	..
22. Khandwa	..	..	..
23. Shajapur	..	7	..
24. Rajgarh	..	7	..
25. Vidisha	..	4	..
26. Sehore	..	2	1
27. Raisen	..	1	..
28. Hoshangabad	..	..	..
29. Betul	..	3	..
30. Sagar	..	2	..
31. Damoh	..	1	..
32. Jabalpur	..	9	..
33. Narsimhapur	..	4	1
34. Mandla	..	1	..
35. Chhindwara	..	5	..
36. Seoni	..	7	..
37. Balaghat	..	4	..
38. Surguja	..	2	..
39. Bilaspur	..	3	4
40. Raigarh	..	1	..
41. Drug	..	11	..
42. Raipur	..	12	1
43. Bastar	..	2	..

Direct Trunk Lines between Bhopal and Dewas

1738. **Shri Phool Chand Varma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are no direct trunk lines between Bhopal and Dewas in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to provide direct trunk lines by the end of the year 1971 ?

The Minister of Communications (**Shri H. N. Bahuguna**) **:** (a) There is no direct-line between Bhopal and Dewas.

(b) In the absence of adequate number of channels between Indore and Dewas the question of a direct trunk line between Dewas and Bhopal has not been considered.

(c) If the traffic justifies, a direct Bhopal-Dewas trunk will be provided by the end of 1972.

समाचार सेवा के लिए सरकार द्वारा प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को भुगतान

1739. **श्री पैनुली :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को उसकी समाचार सेवा के लिये कितनी धनराशि देती है ;

(ख) इस भुगतान का मन्त्रालयवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस भुगतान का क्या आधार है ; और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा की जाने वाली समाचार सेवा इसे मिलने वाली राशि के अनुरूप है इसकी समाचार सेवा का सांविधिक मूल्यांकन किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राज्यों को ऋण देने की कसौटी

1740. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये ऋण देने के हेतु क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : सिद्धान्त यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक राज्य को चौथी पंचवर्षीय योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए कुल केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में मिलना चाहिए।

नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भवन की दीवारों पर माओ समर्थन नारे लिखना

1741 **श्री राजदेव सिंह :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भवन की दीवारों पर माओ समर्थक नारे लिखते कुछ विद्यार्थी रंगे हाथों पकड़े गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली में इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-12-1970 को एक विद्यार्थी पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध प्रारम्भ किया गया मामला विचारण के लिए न्यायालय में है। इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

डाक बीमा वस्तु

1742. **श्री एस० डी० सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान कितनी बीमा की गई वस्तुओं को बुक किया गया, बीमा की शुल्क क्या थी तथा उन पर कितना शुल्क लिया गया ;

(ख) इस प्रकार की एक बीमा की गई वस्तु को सम्भालने की औसत लागत क्या है ;

(ग) 1969-70 में कितनी वस्तुओं की हानि और जालसाजी का पता लगाया गया तथा उससे कुल कितने धन की हानि हुई ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में कितना मुआवजा दिया गया ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) (i) बुक की गई बीमा वस्तुओं की संख्या 6,195,000।

(ii) बीमा की रकम 2,28,81,00,000 रुपये।

(iii) वसूल किया गया शुल्क 90,17,000 रुपये।

(ख) 1 रुपया 15 पैसे जिसमें रजिस्ट्री सेवा की अनुमानित लागत 97.15 पैसे शामिल नहीं है जो कि बीमा के सभी मामलों में अनिवार्य है।

(ग) (i) मामलों की संख्या 2,200।

(ii) कुल घाटा 18,98,673 रुपये।

(घ) 6,19,820 रुपये।

मिश्री लाल जैन द्वारा जापान को 'क्रोम' अयस्क का निर्यात

1743. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्री लाल जैन नामक एक व्यापारी को उड़ीसा की खानों से जापान क्रोम-अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उस व्यक्ति द्वारा अपनी खाल से अब तक कितने अयस्क का निर्यात किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। कतिपय विशिष्टियों को छोड़कर, क्रोम अयस्क के निर्यात के लिए निर्बाध रूप में लाइसेंस दिये जाते हैं।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वास्तविक निर्यातों के आंकड़े निर्यातक-वार नहीं रखे जाते हैं।

डाकघरों के निरीक्षकों की कार्य की शर्तों के बारे में कार्य अध्ययन दल

1744. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाकघरों के निरीक्षकों के कार्य की शर्तों की जांच करने के लिये नई दिल्ली स्थित एक डाक तथा तार निदेशालय के कुशल कर्मचारियों के एक कार्य अध्ययन दल द्वारा सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। कार्य जांच ग्रुप ने डाकघर निरीक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा की जांच की है।

(ख) डाकघर निरीक्षकों के कार्य की मात्रा का निर्धारण करने के सम्बन्ध में डाक तार बोर्ड की कार्य जांच टीम ने अपनी सिफारिशें दी हैं।

(ग) डाक तार बोर्ड इन सिफारिशों की जांच कर रहा है।

उड़ीसा सर्किल में कार्यालय

1745. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि उड़ीसा सर्किल के डाकघरों के निरीक्षकों को क्वार्टर तथा कार्यालय के लिये स्थान नहीं दिये गये हैं तथा उनको मकान किराया भत्ते के रूप में केवल 15 रुपये दिये जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें कार्यालय के लिये स्थान तथा क्वार्टर देने का है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। उड़ीसा सर्कल में काफी संख्या में डाकघर निरीक्षकों को सरकारी क्वार्टर/कार्यालय के लिए स्थान नहीं दिया गया है।

जिन डाकघर निरीक्षकों को क्वार्टर नहीं दिए गए हैं उन्हें, यदि उस स्थान पर स्वीकृत हो तो मकान किराया भत्ता लेने की इजाजत दी गई है। जिन व्यक्तियों ने अपने भवनों में या रिहायश के उद्देश्य से लिये गए किराये के भवनों में अपने कार्यालय रखे हुए हैं, उन्हें उनके द्वारा अदा किये गए किराये का तिहाई प्रतिपूर्ति के तौर पर अदा किया जाता है जो कि अधिक से अधिक 15 रुपये प्रति मास दिया जाता है।

(ख) जी हां, जहां तक संभव हो।

Export of Agricultural Commodities

1746. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of agricultural commodities (barring foodgrains) which are exported presently to foreign countries ;

(b) the names of countries to which these commodities are exported ; and

(c) the names of commodities exported to Ceylon during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) : The information is set forth in the Government Publication of reference, viz., Monthly Statistics of Foreign Trade of India, Volume I, compiled and published by the Department of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta. This publication of reference is available in the Parliament House Library. Attention is invited to the items under Divisions 1 to 24 of the Indian Trade Classification collated therein, for commodity-wise and country-wise export statistics of all agricultural commodities.

Cash Doles to Handloom Weavers of Madhya Pradesh for setting up powerlooms

1747. **Shri K. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to give cash doles to handloom weavers of Madhya Pradesh for setting up power-looms ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Development of Madhya Pradesh

1748. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) Whether the Chief Minister of Madhya Pradesh has submitted a Memorandum for an all-round development of Madhya Pradesh, particularly regarding financial assistance for the development of roads in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Uranium Deposit Found in Madhya Pradesh

1749. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether uranium deposits have been located in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the places where these deposits have been located ;

(c) whether any estimate has been made in regard to the potential thereof ; and

(d) if so, the particulars thereof and the extent to which this discovery is likely to help in the development of atomic energy in the country ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Brodcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b): Yes Sir. Some occurrences of uranium have been found in Betul, Drug, Raigarh and Sarguja districts of Madhya Pradesh.

(c) & (d) : Investigations to prove the nature and extent of these occurrences are in progress and the extent to which these will be of help in the development of atomic energy can be assessed only after the investigations are completed.

भारत की जनसंख्या

1750. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 में की गई जन-गणना के अनुसार देश की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1961 और 1971 की अवधि में मृत्यु-दर की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) 546,955,945 (अस्थायी)

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य क्षेत्र के अस्थायी जनसंख्या आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1	आन्ध्र प्रदेश	43,394,951
2	आसाम	14'857,314
3	बिहार	56,387,296
4	गुजरात	26,660,929
5	हरियाणा	9,971,165
6	हिमाचल प्रदेश	3,424,332
7	जम्मू और काश्मीर	4,615,176
8	केरल	21,280,397
9	मध्य प्रदेश	41,449,729
10	महाराष्ट्र	50,295,081
11	मैसूर	29,224,046
12	नागालैंड	515,561
13	उड़ीसा	21,934,827
14	पंजाब	13,472,972
15	राजस्थान	25,724,142
16	तामिल नाडु	41,103,125
17	उत्तर प्रदेश	88,299,453
18	पश्चिम बंगाल	44,440,095
19	आन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	115,090
20	चण्डीगढ़	256,979
21	दादरा और नागर हवेली	74,165
22	दिल्ली	4,044,338
23	गोआ, दमन और दीव	857,180
24	लक्कादीव, मिनीकोय और आमिनदीवी द्वीपसमूह	31,798
25	मनीपुर	1,069,555
26	मेघालय	983,336
27	नेफा	444,744
28	पांडीचेरी	471,347
29	त्रिपुरा	1,556,822

(ग) 1961 और 1971 की अवधि में मृत्यु दर के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, अत: उस अवधि में मृत्यु दर से जनसंख्या की वृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती। सम्बद्ध सूचना 1971 जनगणना अनुसूचियों के पूर्णतः तैयार हो जाने पर उपलब्ध होगी।

(घ) शहरी केन्द्रों (1,777), ग्रामीण परिवार कल्याण योजना केन्द्रों (5100) और उप-केन्द्रों (29,933) और अन्य सेवा केन्द्रों (9,877) के वास्तविक कार्य के माध्यम से, जो नसबन्दी के स्वीकृत तथा अनुमोदित तरीकों, आई० यू० सी० डी० टीकों और परम्परागत गर्भनिरोधकों के प्रयोग से लोगों को परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध कर रहे हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रस्ताव है। कुछ नई योजनाएं, तो देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए स्वीकृत की गई हैं/स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार हैं :—

(i) प्रसवोत्तर कार्यक्रम को 59 अस्पतालों से बढ़ाकर 123 अस्पतालों में लागू करना जहां वार्षिक प्रसवों की संख्या 3000 से अधिक है और अस्पताल मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध हैं।

(ii) 1969-70 तक लिये गये 17 जिलों के अतिरिक्त 17 जिलों में गहन-जिला कार्य-क्रम का लागू करना। गहन परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए विशेषरूप से चुनी हुई प्रयोजनों के लिए अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है।

(iii) देश के अलाभकारी तथा कठिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं को लागू करना ; और

(iv) परिवार नियोजन तथा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण, तथा परि-रक्षण तथा पोषण अवयवों की व्यवस्था करना जिससे परिवार नियोजन अधिक स्वीकार्य बन सके।

Rise in Price of Cotton Yarn

1751. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the prices of cotton yarn have increased considerably during the last three or four months ;

(b) whether Government have received any representation from the Weavers Societies against the increase in the prices of cotton yarn ; and

(c) if so, 'the action being taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) : There has been no appreciable increase in cotton yarn prices during the last three months. Prices had, however, risen in the last quarter of 1970 and upward trend continued unabated till the end of January, 1971. Thereafter, prices started declining. In order to ensure availability of yarn at reasonable prices, Government introduced a scheme for creating cotton yarn pool for supply to the decentralised sector at regulated prices. The scheme continues to be in operation.

Telephone Test Operators Engaged in New Delhi on Daily Wages

1752. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether some Telephone Test Operators are working since a long time on daily wages in the Telephone Efficiency Cell of the General Manager of Telephones, New Delhi ; and

(b) if so, the reasons for non-regularisation of these employees by Government ?

The Minister of Commnications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir. However, certain Casual Mazdoors are employed to make test calls from ordinary telephone instruments. This work is distinct from that of operators employed on Test Boards in the exchanges.

(b) The question of regularisation as Telephone Operators therefore does not arise.

दरभंगा में डाकसेवा प्रशिक्षण संस्थान

1753. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा स्थित डाक प्रशिक्षण संस्थान में केवल गैर-तकनीशियनों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या तकनीशियनों को दरभंगा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) दरभंगा में जिस भवन में यह प्रशिक्षण दिया जाता है क्या वह कभी दरभंगा का राज महल था ;

(घ) क्या यह तकनीशियनों के प्रशिक्षण देने के लिये भी उपयुक्त स्थान है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार तकनीशियनों की सुविधाओं के लिये इस प्रकार का प्रशिक्षण कब तक आरम्भ करेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) : बिहार के इंजीनियरी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए डाक तार विभाग की इंजीनियरी शाखा का पटना में एक प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही स्थापित है । फिर भी दरभंगा के महाराजा के पूर्ववर्ती महल में स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र में आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा सर्कल के डाक कार्मिकों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है और वहां कोई स्थान फालतू नहीं है । इसलिए तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दरभंगा में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बिहार में सूक्ष्मतरंग टेलीफोन सेवा

1754. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन स्थानों में सूक्ष्म तरंग टेलीफोन सेवा लागू है ;

(ख) क्या उत्तरी-बिहार इस सेवा में बिल्कुल वंचित है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तरी बिहार में दरभंगा जैसे स्थानों में इस प्रकार की सेवा आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) सूक्ष्मतरंग टेलीफोन सेवा इस समय धानवाद, रांची और कटिहार में काम कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । मुजफ्फरपुर को पटना से जोड़ने वाली एक सूक्ष्मतरंग परियोजना पर कार्य किया जा रहा है । दरभंगा और समस्तीपुर के बीच सूक्ष्मतरंग संचार स्थापित करने के लिए परियोजना बना ली गई है । मौजूदा योजना में छपरा को पटना से सरणियों के एक यू० एच० एफ० लिंक से जोड़ना भी शामिल है ।

(घ) मुजफ्फरपुर-पटना सूक्ष्मतरंग प्रायोजना के इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । दरभंगा-समस्तीपुर और छपरा-पटना परियोजनाओं के चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूरा होने की संभावना है ।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा-आयोग

1755. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्री तीनों राज्यों के सीमा-विवादों का निपटारा करने के लिये एक सीमा-आयोग की नियुक्ति करने को सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब तक स्थापित किये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार का विचार क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने ऐसा एक आयोग नियुक्त करने का अपना विचार पहले ही घोषित कर दिया है परन्तु उसके विचारार्थ विषय संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद तय किये जाने हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में सेना नियुक्त करना

1756. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अनिश्चित अवधि तक के लिए सेना नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ग) सेना को वहां से कब हटाया जायेगा ;

(घ) अप्रैल, 1970 से अक्टूबर 1970 तक और मार्च, 1971 से मई, 1971 तक की अवधि के बीच पश्चिम बंगाल में सेना नियुक्त करने पर कुल कितना खर्च आया ; और

(ङ) क्या सेना केन्द्रीय सुरक्षा दल और पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से समाज विद्रोहियों को ढूंढने के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को तंग कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : सिविल सत्ता की सहायता के लिये सेना तथा संघ के अन्य सशस्त्र दलों को तैनात करने के प्रश्न का पुनरीक्षण निरंतर किया जाता है और संघ के सशस्त्र दलों को केवल वहां तैनात किया जाता है जहां इस प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता पड़ती है ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

केरल में नये डाक तथा तार घर खोले जाना

1757. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इस वर्ष नये डाक तथा तार घर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) नये डाक तथा तार घर कब तक और कहां-कहां पर खोले जायेंगे ; और

(ग) इनमें से कितने डाक तथा तार घर नगरीय क्षेत्रों में और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे ।

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) केरल राज्य में 1971-72 वर्ष के दौरान 70 नए डाकघर और 83 नए तार घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही इन सभी डाकघर और तारघरों के खुल जाने की संभावना है। खोले जाने वाले संभावित डाकघरों के स्थानों का निश्चय प्राप्त हुए उन प्रस्तावों की जांच और उनकी स्वीकृति के आधार पर होगा जो डाकघर खोलने के लिए निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार होंगे।

1971-72 वर्ष के दौरान भण्डार उपलब्ध होने की स्थिति से निम्नलिखित स्थानों पर तार-घर खोले जायेंगे :—

कडानाड	पिनारयी
चेम्बू	पालागाड
साउथ पायन गडी	विद्यानगर चांगाला
मंजूर	एडावन्ना
कल्लर	तटडस्ट्रीट कालीकट
पुरामट्यम	पोनमेरी
कारूवाटा	तिरुवम्बाडी
चेप्पाड	कालीकट युनिवर्सिटी एस० ओ०
मेडिकल कालेज पो० आ० अलेप्पी	वेल्लामुंडा
चेरियानाड	मेप्पायूर
परमठाट	निलम्बुर आर० एस० पी० आ०
पुन्नयारा	रामनथली
थुरावूर	उडमा और कलनाड
काकोडी	आनन्दाश्रम
कक्कायम	वल्लायिल
टेम्पल गेट टेल्लीचेरी	पाटाजी
एडारीकोडे	पुल्लीचीरा
तिरुरगाडी बाजार	नारंगनम
पय्योली	थेवलाकारा

करपारम्बा	अन्नामानाडा
पोजूथाना	लक्कीडी
अजरम्बलम	नेल्लाडु
ओंकालटेरी	कोडूमोन
मारीकुत्तू	पैयानामोन
एडाचेरी	वेल्लयानी
सक्कापारम्बा	अंदुम्बकुलम
काडाचिरा	एजूकीने
मंडलूर	चेठाकल
भुलावना	पप्पनम कोडे
ओथल्लूर	नवैकुलम
मन्नाथूर	कुजीकला
एलमडीओम	कुजूर
करीमन्नूर	भट्ठूर
पल्लीपोर्ट	वेल्ली कुलंगारा
पलापिल्ली	कुरियाचीरा
नाड़ाठारा	कांजीकोडे
कुम्बलम	एच० एम० टी० कालोनी
पालघाट इंजीनियरिंग कालेज	पुलापेट्टा
कुम्बालांगी	भानहापारा
कदमकुडी	एड़िक्की कालोनी
पुराना टुकारा	ठोडुपुजा
एरुनापेट्टी	

(ग) नगर और देहाती इलाकों में 1971-72 के दौरान खोलने के लिए प्रस्तावित डाकघर और तारघरों की संख्या नीचे दी गई है :—

	नगर	देहात
डाकघर	15	55
तारघर	12	71

बुरहानपुर तापती मिल्स लिमिटेड के बेरोजगार श्रमिक

1758. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बुरहानपुर तापती मिल्स लिमिटेड के लगभग तीन हजार श्रमिक गत कई दिनों से बेरोजगार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मिल में उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : बुरहानपुर तापती मिल्स लि०, का प्रबन्ध सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, की धारा 18क के अन्तर्गत, अधिकार में लिया जा चुका है। मिल ने 22 मई, 1971 से आंशिक रूप में कार्य पुनः शुरू कर दिया है और 560 कर्मचारी नौकरी पर लगाये जा चुके हैं। कर्मचारियों की संख्या शीघ्र ही 1500 तक बढ़ जाने की आशा है।

Review of Planning Programme

1759. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had stated in the last Conference of Indian Chambers of Commerce and Industry that the process of planning will have to be re-assessed and reviewed ; and

(b) if so, the progress so far made in this behalf and the results achieved in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Prime Minister in her inaugural speech at the 44th Annual Session of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry held on 10th April, 1971, had inter alia stated that "a reappraisal of the planning process will soon be undertaken."

(b) The review is in progress.

रबड़ बोर्ड के श्रमिकों द्वारा बोनस के लिए अभ्यावेदन

1760. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों से बोनस का मामला सुलझाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों से बोनस के विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के परिणामों पर बोर्ड की फरवरी, 1971 में हुई बैठक में विचार किया गया था और अध्यक्ष को कानूनी राय प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। कानूनी राय प्राप्त कर लेने के बाद बोर्ड की भावी बैठक में इस प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा। बोर्ड से प्रस्थापना प्राप्त होने के बाद सरकार निःसंदेह उस पर विचार करेगी।

अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारियों और अमरीकी दूतावास के कनिष्ठ राजनयिकों की गतिविधियां

1761. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल—बंगला देश सीमा के निकट भारत में अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारियों तथा अमरीकी दूतावास के राजनयिकों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) तनावपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में उनके विद्यमान रहने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग का पुनर्गठन

1762. **श्री के० लकप्पा :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या योजना मंत्रालय के बनाये जाने को ध्यान में रखते हुए योजना-आयोग का पहले वाला दर्जा बना रहेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किये गये हैं अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ग). योजना आयोग की सदस्यता में परिवर्तन हो सकता है । योजना आयोग के कार्यों में कोई बड़ा परिवर्तन करने की बात नहीं सोची गई है ।

(ख) जी, हां ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली से दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने का अवैध धन्धा करने वाले लोगों के गिरोह का पता लगाने का समाचार

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Communications to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported unearthing of a long-distance call racket in Delhi".

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The Department had been receiving complaints from the subscribers that they suspected unauthorised calls that were being made from their lines with the collusion of unscrupulous officials. On receipt of each individual complaint, the Department has been exercising due checks to detect whether any such mischief was being committed but no conclusive evidence was forthcoming to establish such mischief. However, on certain strong suspicions, some of the officials were transferred away from Delhi some time ago.

Recently, on receiving some information from a member of the public, the Department collected some more detailed information and with his assistance and with the assistance of the Anti-Corruption Department of the C. B. I. arranged to lay a trap on the 4th June, 1971. As a result of this, one lineman and one mazdoor were caught red-handed while offering a long distance call to Jaipur to the informant and interchanging two subscribers' lines for a call to Bombay. The Anti-Corruption Department has taken the two officials into custody and their cases are being further processed.

It may be mentioned that this mischief happens essentially due to the fact that some unscrupulous subscriber would tempt the lower grade staff into committing such unauthorised acts. The Department is actively trying to elicit cooperation of the public to root out such corrupt practices.

The Department is quite concerned about the possibility of such a mischief which may unnecessarily penalise an innocent subscriber. As a result of careful examination, a number of steps have been taken, e. g. the locking of the Meter Room and sealing of the meters. The Distribution Points from where the diversion can be conveniently made are being progressively raised to higher location on the post to make access to the lines more difficult. A large number of Distribution Points have already been raised and others are being progressively raised. An experiment is being tried with the locking of the Distribution Point Boxes.

Shri Shashi Bhushan : There is nothing wrong with the locking system of the telephone meters or with honest employees but blackmarketeers and other anti-social elements are defrauding the Government of revenues by conniving with a few employees in the department.

If honest officers try to take action against them, they are being threatened with dire censequences. Pressure is also being brought through the Unions to get such officers transferred.

These telephone lines are always open for the persons indulging in speculation business.

The Government should make enquiry against them through C. B. I. so that the honest officers may be able to do work. It should take strict measures to stop anti-social actitivities.

Shri H. N. Bahuguna : The Government have no method to know the intention of the telephone Callers. A lightening call costs eight times more than an ordinary call, and anybody who pays that amount is free to do so.

The Department cannot be pressurised by the unions against honest officers.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : इस सम्बन्ध में बिछाये गये जाल के लिये हम सरकार की सराहना करते हैं। यह कहना गलत है कि इस अवैध धन्धे के बारे में साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि उनके द्वारा न की गई कालें भी उनके बिलों में जोड़ दी गई हैं और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। इन शिकायतों को फाइल में नहीं रखा जाता है। जनता को केवल इस बारे में की गई कार्यवाही से सूचित किया जाता है।

ऐसी घटनाएं न केवल दिल्ली में हो रही हैं बल्कि समस्त भारत में हो रही हैं। गोरखपुर के टेलीफोन विभाग ने अनेक वर्ष पूर्व मुझे एक बिल भेजा था जिसमें एक टेलीफोन काल के 200 रुपये लगाये गये थे जो मैंने नहीं की थी।

इस प्रकार हजारों रुपये का दुर्विनियोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में कार्यवाही करेंगे और इस विभाग में चल रही धांधली को रोकेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी शिकायत मुझे लिखकर देते तो मैं इसकी जांच करवाता। इस बारे में हमें दो शिकायतें—एक जम्मू और काश्मीर से और दूसरी दिल्ली से प्राप्त हुई हैं। धांधली को रोकने और उपभोक्ताओं की ईमानदारी से सेवा करने के बारे में हमने निदेश दे दिये हैं। इस बारे में अनेक कार्यवाही की गई हैं और अनेक कार्यवाही करने का विचार है।

यदि इस बात की शिकायत की जाती है कि टेलीफोन बिल गलत हैं, तो इस बारे में जांच की जाती है और यदि वह गलती ठीक पाई जाती है तो उक्त धनराशि का हिसाब कर दिया जाता है। जहां तक प्रविष्टियों का प्रश्न है ये अब स्वतः ही होती हैं। मीटर स्वतः ही रीडिंग नोट करता है। अतः इस बारे में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। मुझे आशा है कि सभी के सहयोग से हम स्थिति का मुकाबला करने में सफल होंगे।

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : I praise the anti-Corruption Department in this matter which unearthed a long-distance call racket. Many complaints were made in this regard. But no action was taken by the concerned Department, the racket might have been unearthened earlier. I want to know whether an enquiry committee will be appointed in this matter. I also want to know whether Government will impose some ban on giving telephone connection to businessmen dealing in speculation.

Shri H. N. Bahuguna : We will do our best to stop this illegal practice. We will try to keep a watch on the businessmen dealing in speculation.

बांगला देश से आये शरणार्थियों के लिये राहत सामग्री के बारे में

Re : RELIEF MATERIAL FOR BANGLA DESH REFUGEES

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलीपुर) : बांगला देश से आये शरणार्थियों के लिये बड़ी मात्रा में विदेशों से प्राप्त सामग्री दमदम हवाई अड्डे पर पड़ी है । उसे अभी तक भेजा नहीं गया है । यद्यपि इस बारे में राहत और पुनर्वास मंत्रालय से अनेक बार अनुरोध किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह अजीब बात है कि उक्त सामग्री को वहां रखने के लिये स्थान नहीं है और यदि और सामग्री आती है तो उसे वहां नहीं रखा जा सकता । इसमें से कुछ सामग्री नष्ट भी हो गई है । हम लोगों को बताया जाता है कि सामग्री भेजने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है । इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए और सभा को वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया जाना चाहिये ।

डा० रानेन सेन : (बारासत) : यदि राहत सामग्रों को हवाई अड्डे से उठाया नहीं गया तो वह बेकार हो जायेंगी ।

हवाई अड्डे पर राहत सामग्री भरी पड़ी है लेकिन हवाई अड्डे के बाहर लोग बिना भोजन और दवाइयों के गुजारा कर रहे हैं । यह बहुत दुःख की स्थिति है । सरकार को इस बारे में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । हैजे से एक लाख से अधिक व्यक्ति पीड़ित हैं और इससे समस्त पश्चिम बंगाल प्रभावित है । सरकार ने इस बारे में लापरवाही से काम लिया है ।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यदि इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब हुआ है तो सरकार को इसका दुःख है । इस बारे में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार प्राप्त हुई समस्त सामग्री को भेज दिया गया है । केवल कूच बिहार के लिये भेजी गई सामग्री के बारे में सम्पर्क बनाने के लिये कहा गया है । उसे भी भेज दिया जायेगा । हमने यह स्पष्ट निदेश दिये हुए हैं कि राहत सामग्री को तुरन्त भेजा जाये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1970 तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1970 के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल, 1970 में अधियूचना संख्या एस० ओ० 1362 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका हिन्दी संस्करण जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 351/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 352/72]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 747 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का तीसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 748 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 353/71]

रबड़ (संशोधन) नियम, 1971, कहवा (संशोधन) नियम, 1971, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, इलायची बोर्ड, एरणाकुलम के प्रमाणित लेखे तथा कहवा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) रबड़ अधिनियम, 1147 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्यर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 430 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 354/71]

(2) कहवा अभिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कहवा (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 623 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 355/71]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) वस्त्र (बुनाई, कढ़ाई, तस्मा निर्माण और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 784 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वस्त्र मशीन (उत्पादन ओर वितरण) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 785 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 356/71]

(4) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, एर्णाकुलम के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 357/71]

(5) कहवा बोर्ड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 358/71]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सभा को सूचना देनी है :—

"कि लोक-सभा द्वारा 2 जून, 1971 को पास किये गये साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971 से राज्य सभा 7 जून, 1971 की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

सामान्य बजट— सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL—BUDGET—GENERAL DISCUSSION-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा करेगी। माननीय मंत्री इसका उत्तर कब देना चाहेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) मैं इसका उत्तर कल किसी समय 3 या 4 बजे के बीच दूंगा। मुझे इसमें 50 से 60 मिट तक लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शिवपूजन शास्त्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj) : This year's budget gave a new direction to the country and the Finance Minister deserves credit for it.

The budget has been prepared keeping in view the present economic condition of the country.

Our agricultural and industrial production has gone up considerably. If more fertilizers and tractors are made available to the farmers, the agricultural production can increase still further.

It is very strange that the prices of even those articles have gone up after the presentation of budget which have not been taxed. The businessmen in the country have the habit to create artificial scarcity of some commodities and then to increase their prices. Therefore, it is necessary that such atmosphere should be created in the country where such bad practices are discouraged.

The Finance Minister has taken great care to see that only those people are taxed who are in a position to pay more and the amount so realised may be spent on essential things.

The deficit budget is not a new phenomenon. We have been having deficit budget for so many years. But this year's deficit budget is less than the last year's deficit budget and the Government is trying its level best to reduce it gradually.

Much has been said regarding excise duty levied on maida. But in this connection it should not be forgotten that this amount is going to be spent for the welfare of the children.

श्री एस० एस० महापात्र (बालासोर) : इस बजट को समाजवादी बजट नहीं कहा जा सकता। इस बजट में कुछ मूल बाते हैं जो भविष्य में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समाजवाद का रूप दे सकती है। मेरा अपना विचार है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में समाजवादी बजट पेश करना बहुत कठिन कार्य है। जब तक हमारे देश में आंशिक रूप से तानाशाही व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक वितरण और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना कठिन है। श्रीमती इन्दिरा गांधी भी आंशिक अधिनायक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस बजट से देश को आशा बंध गई है कि यह बजट भविष्य में पेश किए जाने वाले बजटों का मार्गदर्शी होगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस सरकार से इससे अधिक आशा नहीं की जा सकती थी। सिगरेट कपड़े और पेट्रोल पर कर बढ़ाए जाने तथा तार और टेलीफोन शुल्क में वृद्धि किए जाने की आलोचना की गई है। परन्तु हमें इस देश में महान त्याग की भावना पैदा करनी होगी। महान त्याग के बिना कोई भी देश समाजवाद प्राप्त नहीं कर सकता।

हम जानते हैं कि मन्त्री विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीब जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए जैसाकि हम लोग कर रहे हैं। हमारी उपलब्धियों की 50 प्रतिशत राशि जनता को मिलनी चाहिए। अतः महानतम त्याग की भावना के बिना हम समाजवाद प्राप्त नहीं कर सकते।

इस बजट में धनवान किसानों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए था। भूमि और राष्ट्रीय धन का वितरण होना चाहिए। तभी सामान्य जनता महसूस करेगी कि कोई सरकार समाजवाद ला सकती है। यह सरकार एक न एक दिन मजदूरों और किसानों की सरकार होगी, तभी समाजवाद लाया जा सकेगा।

बंगला देश की समस्या के साथ निपटने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। बंगला देश का प्रश्न हमारी विदेश नीति के साथ सम्बद्ध है। यह मामला कई वर्षों तक चलेगा और 60 करोड़ रुपए की राशि बहुत कम रहेगी।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। यह राशि बहुत कम है। बेरोजगार व्यक्ति नक्सलवादी बन रहे हैं। उन्हें खाना और कपड़ा नहीं मिलता। जब उनके पिता भूखे मर रहे होंगे और उनकी मातायें उन्हें एक ग्रास खाना नहीं दे पाती तो उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी ? उनकी प्रतिक्रिया यही होगी कि वे नक्सलवादी बन जायेंगे। इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : I support this budget. In order to balance the economic advancement and financial condition, the burden has to be shared by the people in one form or the other in developing countries. We cannot make any progress without increasing capital investment in public sector. However, the Finance Minister has done plastic surgery with great skill in presenting this budget and we have to appreciate it.

If taxes are not imposed, how can we protect our freedom ? It is a very difficult task. In view of this, people should not mind in sharing of burden of taxes imposed on them. The Finance Minister has given some concessions in compound levy to those units where not more than four powerlooms are installed. This is really a welcome step. But it was hoped that those units would be eseempted from the central excise levy also so that poor weavers are benefited.

It has been observed that the branches of State Bank of India give a loan of Rs. 2200 to powerlooms in one State and only Rs. 750 to powerlooms in other . neighbouring State. I was told by the Managers of State Bank of India that they give loans keeping in view the circumstances. I would request the hon'ble Minister to take necessary steps to remove this sort of discrimination.

There cannot be any objection if luxury items are taxed but items like electric bulbs, soap, crockry glassware cannot be termed as luxury goods. The Finance Minister should, therefore, reconsider this matter.

We have made progress through deficit budgets. We have certainly achieved a break through in agriculture. A radical change has been brought about the entire system of agriculture. We are still trying to achieve self sufficiency. We would try to increase potentialities and production as well. But increase in production alone was not adequate. We have to increase administrative efficiency and bring about economy in administrative expenditure. Then alone our nation could move forward.

Although Madhya Pradesh is rich in natural resources, that State did not get sufficient financial aid from the Centre whereby those resources could be exploited fully. A food and agriculture expert of U. N. O. has said that Madhya Pradesh is so rich in forest wealth that its production can increase tenfold. In view of this I request the hon'ble Minister to give maximum financial assistance to Madhya Pradesh.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : No doubt an attempt has been made to bring some change in the existing society, but I feel this is an half-hearted attempt. We want to increase our income but adequate funds are being wanted. We cannot achieve success in public sector in the presence of mixed economy. In view of this we have to take bold and concrete steps to curb monopolies. The basic industry is in public sector whereas consumer industry is in private sector and therefore private sector earns profit. Moreover they indulge in all sorts of malpractices. The result is that public sector industries in our losses whereas private sector industries make huge profits. I view of this, we should manufacture consumer goods in public sector and only then we shall be able to curb monopolies. Big forms in agriculture section should be taxed.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर चार
मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Shri Satpal Kapur : We cannot achieve the goal of socialism with the present pace of progress. Radical changes have to be brought about in the society. We do not want to face the problems boldly but try to get rid of them by confusing the issues. Government will not be able to bring radical changes with the present set up of administration. This set up has to be charged because attitude of bureaucrats is standing in the way of progress.

It is said that public sector is incurring losses wheresas private sector is earning profits. Why? No one has enquired into the malpractices prevalent in public sector. Neither we have tried to know as to how the public sector industries make huge profits. I would like to suggest that judicial commission should be appointed to go into the working of private sector.

It is difficult to change the Sciety, remove poverty and run public sector profitably because of certain loopholes in the Constitution. We have therefore, to change the constitution basically.

In so far as taxation is concerned I would suggest that excise duty on maida and cheaper quality of cigarettes which are used by common man should be withdrawn.

The small-scale industries have made solid contribution to the prosperity of Punjab. Government have proposed to tax the small-scale industries having machinery worth Rs. 5000/-. This limit should be incseased Rs. 2½ lakh.

I would like to point out that small blacksmiths of Ludhiana do not get their iron quota at control rate although big capitalists are getting it. This discrimination should be enquired into.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) **:** I Welcome the budget presented by the hon. Minister. The taxation proposals of the budget have put little burden on the poor and more on the rich. I suggest that no more investment may be made on the development of Punjab which is already rich and have all the facilities for development. Investment should be made in the states lacking the facilities of electricity, water and irrigation.

Madhya Pradesh is dacoit infested area and common life and properity particularly those of women are not secure there. It seems that there is no rule of law in Madhya Pradesh. If you are unable to govern this dacoit-infested area, then how can you defend the freedom of India? I request the hon. Minister to create an army unit for there and also open a railway line between Sagar and Tikamgarh so that people could get employment. The Central Government should invest the funds in the states like Madhya Pradesh which lack the facilities of electricity, irrigation and tractors.

The development of Bundelkhand for the last 23 years has not been up to the expectations. Some law should be framed whereunder landless people could be allotted land, facilities and taccabi loans. Harijans and tribal people of Madhya Pradesh cannot develop with out these. Today our villages are not beads of corruption, and blackmarketing. You can see the state of affairs prevailing in the villages today. An increased grant may be given to the Sagar University. A medical college should also be opened there. An amount of Rs. 25 crores provided for education should exclusively be utilised for the education of girls. Harijan girls should be given free education and provided employment.

Bangla Desh refugees should be rehabilitated in Gwalior, Barauni and Chambal valley.

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं। यह प्रगतिशील बजट समाजवादी परिवर्तन सम्बन्धी हमारी घोषणा के अनुसार ही है। बंगला देश समस्या ने देश का बोझ अधिक कर दिया है। राष्ट्रीय संकट के समय समाज का गरीब वर्ग अमीर वर्ग की अपेक्षा अधिक योगदान देता चला आ रहा है। हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति मे भी गरीब लोग देश के बढ़े बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं।

देश में बेरोजगारी है जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। यदि हमें अधिक धन न मिले तो हम बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर सकते और उसके फलस्वरूप बेरोजगार नौजवानों के अन्दर असंतोष तथा बेचैनी बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम गरीब लोगों का सहयोग क्यों न लें जो इससे पीछे नहीं हटते।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मैदे से कर उठा लिया जाए क्योंकि गरीब लोग गांवों में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी रहते हैं जिन्हें चपाती बनाने की अपेक्षा डबल रोटी ही सस्ती पड़ती है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पेट्रोल से भी कर हटाया जावे क्योंकि इससे बस के किराए बढ़ जायेंगे जिसका गरीब वर्ग पर ही भार पड़ेगा।

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : जिन बसों में पैट्रोल नहीं, डीजल का उपयोग होता है।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : फिर भी शहरों में टैक्सी और स्कूटर चलाने वाले लोग अमीर नहीं होते। उन्हें पेट्रोल कर के कारण किराया बढ़ाना ही पड़ता है, नहीं तो उन्हें घाटा होता है।

आप सौन्दर्य प्रसाधनों पर कर लगा लें लेकिन प्रैशर कुकरों पर न लगायें क्योंकि इनका उपयोग सर्वसाधारण ही करते हैं। सिगरेट पीने वालों के प्रति वित्त मन्त्री महोदय ने चिन्ता व्यक्त की है, यह खुशी की बात है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगी कि शराबियों के प्रति भी वे ऐसी ही चिन्ता व्यक्त करें।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया, जो अपने आपको निराश अनुभव करते हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि दिल्ली के अध्यापकों की दशा सुधारने के प्रति भी कुछ ध्यान दें ताकि वे अपने आप को संतुष्ट अनुभव करें। प्रिंसिपलों का मूल वेतन 700 रुपए से आरम्भ होता है और स्नातकोत्तर अध्यापकों के वेतन की अधिकतम सीमा 600 रुपए है। अन्य सेवा शर्तों में भी काफी असमानता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : New budget does not ensure the increase in the pace of development nor it gives any relief to the poor. This budget is anti-development and does not encourage savings. There is no indication of bridging up disparities, in this budget.

Rs. 155 crores have been provided for this year of the Fourth Five Year Plan. If you go through the interim budget, you will be surprised to know that the Plan funds provided for under various heads has not been utilised. A sum of Rs. 1953 crores out of Rs. 2122 crores provided for public sector plans was spent. Similarly, funds provided for other items remained also unutilised. What are the reasons for this shortfall in utilisation of funds ?

The taxation proposals are likely to increase the burden of the common man. This budget is neither a step towards removing disparity nor does it give relief to the weaker section of the community. The reasons for rise in prices are the same today as they were last year. The net result of the budget proposals will be that the prices will increase by 8 to 10 percent.

Proposed taxes will prove to be a great burden on people. This burden could have been supported if it led to increase in rate of development, providing Employment opportunities and the development of neglected areas. It will be a burden on common man. Industrialists and big agriculturists are happy over this budget. People belonging to middle, depressed and backward classes are dissatisfied with this budget. Prices are likely to rise as a result of this budget and the Government will be confronted with the agitation of Central and State Government employees for enhancing their dearness allowance when the price index reaches 228 points which is at present at 225.

Rich peasantry is not contributing towards the prosperity of the nation. No effort has been made to tax the agricultural produce.

It is wrong to think that all industries are running into losses. Some industries are showing profits. People can purchase shares of such industries. Common people and employees of the industry can be encouraged to purchase shares. Then only there will be the public sector in the real sense.

I think entire taxation law needs to be reviewed. I agree with the suggestion of Dr. V. K. R. V. Rao regarding formation of Taxation Inquiry Commission.

Shri Y. B. Chavan : He said about Expenditure Commission, not Taxation Commission.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This Commission can consider that issue also. If you want, both commissions can be linked together....

Shri Y. B. Chavan : I am not accepting that too.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You are not accepting any of the suggestions. Why are you opposing my suggestions?

The direct taxes should not be to the extent which encourage dishonesty. Shri Salve has also thrown light on this point. There is too much of tax-evasion today. Income tax worth 7 crores of rupees is yet to be recovered.

Bhoothalingam Committee recommended that there should be no income tax up to an income of Rs. 7500/-. This recommendation should be accepted and tax collection machinery should be strengthened to ensure cent per cent collection.

Rs. 25 crores have been provided for educated unemployed, which is not sufficient. An amount of Rupee fifty crores provided for rural employment is also not sufficient. In fact we should provide employment on large scale both to the educated and uneducated unemployed but we have no resources and the State Governments are not prepared to remain within financial discipline. India is taking loan from foreign countries and the states are taking loans from the Central Government. I request the Central Government to declare financial emergency under Article 360 of the Constitution. Direction can be issued to the State Governments under this Article.

Deficit of Rs. 220 crores is likely to increase due to refugees from Bangla Desh which will lead to inflation, rise in prices and discontentment. A democratic solution to achieve economic and social objectives needs to be evolved by the ruling party now when it has obtained the massive mandate from the peole of India.

This house is anxious to know the true facts and circumstances which led to the scandal of Rs. 60 lacs fraudulently taken away by Shri Nagarwala and given to him by Shri Malhotra. Under which head this amount was withdrawn ? I hope the hon. Finance Minister will place the true picture before the house.

श्रीमती ज्योतिसना चन्दा (कछाड़) : बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जिसकी तीन दिशाएं पहाड़ों से घिरी हैं और चौथी सीमा बंगला देश को छूती है।

पाकिस्तान सेना के बर्बरतापूर्ण दमन से आतंकित होकर लाखों शरणार्थी सीमा पार करके भारत में आ गये हैं। सारा संसार इस नृशंस जनसंहार को एक मूकदर्शक की तरह देख रहा है। हमें शरणार्थियों को बसाने हेतु पाकिस्तान से जमीन की मांग करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग क्यों न करना पड़े।

अब मैं अपने क्षेत्र की संचार व्यवस्था पर आती हूं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि उत्तर सीमांत रेलवे के पहाड़ी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाए। रात में चलने वाली गाड़ियां शीघ्र ही पुनः चलायी जाएं क्योंकि अब नागा समस्या का उचित हल हो गया है।

बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रस्तावित कागज तथा चीनी के कारखाने शीघ्र स्थापित किए जाएं और साथ ही फल संरक्षण कारखाना भी वहां खोला जाए। प्रस्तावित बरक बांध को भी मनीपुर सरकार के परामर्श से शीघ्र बनाया जाए। मेरा जिला कछाड़ बंगाली-भाषी क्षेत्र है जो गौहाटी विश्वविद्यालय के अधींन आता है। वहां विश्वविद्यालय स्तर पर बंगाली को कोई मान्यता नहीं दी गई है।

कछाड़ में तीन वर्ष पहले एक मेडिकल कालेज खुला था। वहां न तो कोई अच्छा स्टाफ होता है और न ही इसके साथ कोई अच्छा अस्पताल सम्बद्ध है।

पिछले तीन वर्षों से एक इन्जीनियरिंग कालेज भी वहां खुलना था। कालेज तो अभी नहीं चला लेकिन इसके लिये प्रिन्सिपल तथा कुछ अध्यापकों की नियुक्त हो गई है जो कछाड़ से बाहर ठहरते हैं। क्या यह धन का अपव्यय नहीं ? मैं सरकार से इन सब बातों की ओर ध्यान देने का निवेदन करूंगी ।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मैंदे, खुदरा कपड़े तथा सिली सिलाई पोशाकों पर लगाये गये करों पर पुनः विचार करें, कर लगाने से गरीबी नहीं होगी। कर की चोरी रोकने वालों के विरुद्ध कोई उचित कदम उठाये जायें ताकि बजट का घाटा पूरा हो सके।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : वित्त मंत्री महोदय ने एक असम्भव कार्य को करने का यथासम्भव प्रयत्न किया है। विपक्ष द्वारा उनके बजट प्रस्तावों की अलोचना करना स्वाभाविक ही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने अपने दृष्टिकोणों से बजट की निंदा की है।

वास्तविकता यह है कि यह बजट देश की विकट आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में पेश किया गया है। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसकी समस्याएं तथा विभिन्नताएं भी बड़ी हैं । इसी पृष्ठभूमि

में हम प्रजातंत्रीय तरीकों द्वारा समाज के ढांचे को बदलना चाहते हैं हम जनमत का आदर करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं ।

वित्त मंत्री महोदय ने साधन जुटाने का जो महान प्रयास किया है, उसमें मेरे विचार विपक्षके किसी भी सदस्य को कमी नजर नहीं आयेगी । माननीय सदस्य विकास, उत्पादन वृद्धि अथवा बंगला देश शरणार्थियों सम्बन्धी दिये गये बचनों को पूरा करने के लिये योजना सीमा बढ़ाना चाहेंगे । डा० वी० के० आर० वी० राव ने भी कल यही कहा था । मेरे विचार में श्री इन्द्रजीत गुप्त भी ऐसा ही चाहेंगे । लेकिन जब वित्त मंत्री 177 करोड़ रुपये के साधन जुटाने सम्बन्धी प्रयत्न करते हैं तो माननीय सदस्य उन्हें कोसने लग जाते हैं ।

वित्त मंत्री महोदय ने गरीब लोगों पर बोझ लादने का प्रयत्न नहीं किया । कर की कोई भी ऐसी योजना नहीं हो सकती जिसके अनुसार सर्वसाधारण पर बोझ न पड़े । यदि बोझ को बराबर बराबर बांटा जाये, यदि सर्वसाधारण भी कम से कम बोझ उठाये और यदि धनी वर्ग अधिक बोझ उठाये और अधिक अदायगी करे तो मेरे विचार में निन्दा निराधार है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए कर प्रस्ताव उचित ही हैं ।

सम्पत्ति कर प्रस्तावों द्वारा सम्पत्ति पर सीमा लगा दी गयी है, जो कानून द्वारा सम्भव नहीं थी । अब 8 लाख से अधिक की सम्पत्ति लाभदायक नहीं क्योंकि उस पर कर बहुत अधिक है जो उसे अपनी सम्पत्ति में से देना पड़ेगा । मैं कहना चाहूंगा कि करों का मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि गरीबी हटाना इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है । लोगों का हमारे लिये यही आदेश है, मैं यह बात बिना भय के कह सकता हूं कि गरीबी रात भर में नहीं हट सकती । कई वर्षों के प्रयत्न द्वारा ही हम गरीबी पर विजय पा सकते हैं । लेकिन दिशा महत्वपूर्ण होती है । क्या हम ठीक दिशा में चल रहे हैं ? इस बजट द्वारा हमें सही दिशा मिली है । इसी दिशा में चलते चलते हम देश की सबसे बड़ी समस्या—गरीबी का सामना कर सकते हैं । इस समस्या के चार पहलू हैं ; बेरोजगारी, मूल्य स्तर, मूल्य स्थिरता, सामाजिक न्याय तथा विकास की दर जो परस्पर सम्बन्धित हैं ।

माननीय सदस्यों का यह निष्कर्ष ठीक ही है कि 5.5 प्रतिशत विकास द्वारा हम निकट भविष्य में सबको रोजगार नहीं दे सकते । इस विकास दर में हमें वृद्धि करनी होगी । यदि यह सरकार दृढ़ संकल्प करे तो हम इस विकास दर को बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत कर सकते हैं । सारी समस्याओं का यही एक मात्र हल है । बजट एक भारी बोझ उसी दशा में बनता है जब इसके मूलभूत उद्देश्यों को न अनुभव किया जाये, यदि विकास दर को अनुभव न किया जाये, यदि रोजगार में वृद्धि न हो, यदि मूल्य स्थिरता न हो और यदि सामाजिक न्याय न हो ।

मूल्य स्थिरता की बात लीजिये । मुद्रा वितरण, वार्षिक विकास दर तथा मूल्य वृद्धि में घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि आप इन सब बातों को जानते हैं तो आप आगामी वर्ष मूल्य वृद्धि की भविष्यवाणी कर सकते हैं । 1970-71 के दौरान मुद्रा वितरण में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विकास की दर 5.5 प्रतिशत रही और मूल्य वृद्धि 5.6 प्रतिशत हुई । इसीलिये मैं कहता हूं कि अधिक विकास दर के लिये मूल्य स्थिरता का होना जरूरी है ।

विकास में वृद्धि कैसे की जाये, इसके लिये मेरे दो सुझाव हैं। कुछ अन्य उपायों द्वारा भी साधन जुटाये जा सकते हैं। मैंने सुझाव दिया था कि आयात शुल्क 50 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन इन्होंने 30,40,60 तथा 100 प्रतिशत के चार सोपानों द्वारा यह शुल्क लगाया है। हमारे बैंकों में व्याज की दर 6 प्रतिशत है, जो बहुत कम है। यदि आप इस दर को दुगना कर दें तो प्रति वर्ष 300 अथवा 400 करोड़ रु० की आय हो सकती है जिसे आप योजना कर लगा कर विकास दर को वढ़ा सकते हैं। इस प्रकार विकास, रोजगार, मूल्य स्थिरता तथा सामाजिक न्याय सम्वन्धी सारे उद्देश्य पूरे ही जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (वेगुसराय) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्यों कि यह विपक्ष के लिये एक अच्छी भेंट है। यह बजट उन आशंकाओं की पुष्टि करता है जिनकी चेतावनी हमने मध्यावधि-चुनाव के दौरान दी थीं। बंगला देश, बैंक को धोखा देने का मामला तथा बजट ने इस सरकार की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है।

यद्यपि हम विभाजित हुऐ, फिर भी हमारे भाईचारे की भावना अव तक मौजूद है, इसीलिये इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, जो आंधी देश में आयी थी वह दिशा बदल रही है, श्रीलंका और इन्डोनेशिया की स्थिति दुर्भाग्यवश यदि हमारे देश के सामने भी आयी तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम स्थिति को रोकने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने एक विकट कार्य निभाया है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह एक ऐसा अयथार्थवादी बजट है जो मैंने अपने 20 वर्षीय संसदीय जीवन में नहीं देखा। जब तक पाकिस्तान का संकट मौजूद है उस समय तक हम तर्कपूर्ण बजट पेश नहीं कर सकते। वित्त मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इस समस्या को ढके रखने का प्रयत्न किया है, इसीलिये हम कहते हैं कि यह एक तर्कपूर्ण बजट नहीं है।

वंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये केवल 60 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। अनुमान है कि प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रु० व्यय हो रहा है जो प्रति वर्ष 720 अथवा 800 करोड़ रुपये होगा। सुरक्षा पर भी प्रति वर्ष हमारा इतना ही व्यय आता है। इसीलिये हम कहते हैं कि यह एक तर्कहीन वजट है।

हमें वताया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पुनः बनाई जायेगी। यदि ऐसा विचार है तो हम भी सरकार को अपना सहयोग देने के लिये तैयार है। यदि ऐसा होना है तो बजट भी पुनः बनाना होगा। इस वर्ष एक अंतरिम बजट आया, एक यह अयथार्थवादी बजट आया, फिर यथार्थ बजट आयेगा और फिर अनुपूरक वजट आयेगा। इस वर्ष वजटों की झाड़ी ही लग जायेगी।

गरीबी हटाने, समाजवाद तथा जनादेश के वारे में वहुत कुछ कहा जा चुका है। ऐसी आशा किसी को नहीं थी कि यह एक गरीबी विरोधी वजट होगा। जिस व्यक्ति ने "गरीबी छोड़ो" के नारे का सूत्रपात किया था वे अव केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इन्होंने कहा था कि वम्बई में भारत छोड़ों का नारा बुलन्द किया गया था और यही गरीबी छोड़ो का नारा बुलन्द किया जा रहा है। यदि "गरीबी छोड़ो" का नोटिस देने की इच्छा थी तो 30 नवम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री ने यह क्यों कहा था कि लोगों की बुनियादी जरूरतें 1975-76 तक पूरी नहीं की जा सकेगी। यह होने पर भी हमें कहा जाता है कि ये गरीबी हटाने के वारे में चिन्तित हैं।

चुनाव के बाद प्रधान मंत्री ने कहा कि रात भर में गरीबी दूर करने के लिये उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। गरीबी घटिया विचारों द्वारा नहीं बल्कि इसकी समस्या को सामने से दूर होगी। इस बजट का मूलभूत तत्व यह है कि गरीब अधिक गरीब बनेंगे और अमीर अधिक अमीर, निगामित क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं किया गया बल्कि पिछले तीन वर्षों से किया जा रहा है।

यह बजट सर्वसाधारण की मांगों का समाधान नहीं करता। एक अच्छा बजट सर्वसाधारण की रोजगार, आय तथा उन्नत जीवन स्तर सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है, इस बजट में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती।

सत्तारूढ़ दल उन लोगों के परामर्श का लाभ भी नहीं उठाता जिन्हें विदेशों से भाषण देने के लिये बुलाया जाता है। कुछ महीने पहले नोबल लारेट प्रोफेसर टिनवर्न यहां आये और उन्होंने "परिपक्व समाजवाद" पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि परिपक्व समाजवाद में अन्ततः समाज ही व्यक्ति के कल्याण का जिम्मेवार होता है।

किसी को यह आशा कैसे हो सकती थी कि यह दल गरीबी हटाने की समस्या सुलझा कर कोई भलाई का काम कर सकेगा? क्या नेहरू के जमाने की अपेक्षा अब यह राजनीतिक संगठन वचनवद्धता की दृष्टि से श्रेष्ठतर है। यदि यह बात है तो हम सभी को इस पर प्रसन्नता होगी। परन्तु दिखाई यह देता है कि समाजवाद केवल शब्दों तक ही सीमित है समाज को शब्द-प्रयोग के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए? और इस दृष्टि से यह बजट हमें समाज की ओर ले जाने वाला नहीं है।

इस बजट में समाजवाद के बारे में काफी कुछ कहा गया है परन्तु स्पष्टतया दिखाई देता है कि यह बजट जन-विरोधी और साथ ही साथ समाज-विरोधी भी है।

थोड़े समय पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स में भाषण देते हुए कहा था कि हम पूंजीपतियों के शत्रु नहीं है मित्र हैं। हम यह नहीं चाहते कि प्रधान मंत्री पूंजीपतियों के शत्रु हो परन्तु जब तक उनकी सम्पत्ति का विघटन नहीं किया जायेगा तब तक मैं नहीं समझता की गरीबी कैसे दूर होगी?

जहां तक समाज को विशेष स्वरूप देने का सम्बन्ध है, इसके लिये बजट केवल आंशिक भूमिका ही अदा करता है। इसके लिए सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अन्य महत्त्व पूर्ण बातें प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। वह है प्रशासन। आपको प्रशासनिक ढांचा ऐसा बनाना चाहिए जो समाजवादी नीतियों को ठीक प्रकार से लागू कर सके।

भारत सरकार ने 1975-76 तक जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को पहले ही छोड़ दिया है दूसरे उन्होंने समाजवादी प्रगति के प्रमुख अंग योजना आयोग को प्रतिष्ठा, महत्त्व और प्रभाव की दृष्टि से गिरा दिया है। राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा योजना आयोग को एकदम प्रभाव ही, बना दिया गया है। इसने योजना आयोग के सभी कृत्य योजना मंत्रालय को सौंप दिये हैं।

योजना आयोग में अधिकारियों को बदलने की बात हो रही है। कुछ अधिकारियों को बदल भी दिया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा करने से इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।

सरकार ने जिस नीति की घोषणा की है उसने बड़े-बड़े व्यापार गृहों के लिये उद्योगों के द्वार खोल दिये हैं। यदि उद्योगों का केन्द्रीय भूत भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के पास चला जाता है सरकारी क्षेत्र के पास क्या बचेगा यह मैं नहीं समझ पाया।

कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि एकाधिकार आयोग को समाप्त करने के लिये सरकार ने यथा संभव प्रत्येक कार्य किया है परन्तु मालूम ऐसा हो रहा है कि यह आयोग उस पुलिस कर्मचारी जैसा हो गया है जो दूसरी ओर देख रहा हो। अतः इस एकाधिकार आयोग से हमने जिन संभावनाओं का अनुमान लगाया था, वे सब धूल में मिल गई हैं।

हाल ही में सरकार छोटे इस्पात संयंत्रों को स्वीकृति देते समय औद्योगिक नीति से स्पष्ट रूप से हटी है। मैं समझता हूं कि छोटे-छोटे कारखाने लगाने से भारतीय इस्पात के मूल्य बढ़ते जायेंगे इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारी नीति चीनी और कागज पर नियंत्रण समाप्त करने की है। यह ऐसा ही है कि कुछ करना है अतः करना है और अपनी प्रतिष्ठा बचाना है। मैं समझता हूं कि ऐसा इसी कारण से किया गया है।

सामाजिक प्रगति की एक बड़ी निर्णायक बात सरकारी और गैर-सरकारी निवेश के बीच अनुपात की है। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे सम्बन्धित पहली प्रवृत्ति बिल्कुल ही उलट गई है। ऐसा लगता है कि समाजवाद की गाड़ी उलटी दिशा में जा रही है। 1969-70 में सरकारी और गैर-सरकारी निवेश का अनुपात 53.2 और 46.3 का था। 1970-71 में यह अनुपात 51:49 रह गया है। स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में निवेश कम होता जा रहा है।

इस बारे में काफी कहा गया है कि गत वर्ष राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1969-70 में 6.5 प्रतिशत कृषि में वृद्धि पर 5.3 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है तो 5 प्रतिशत से कुछ अधिक कृषि में वृद्धि पर 5.5 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हो सकती है।

अतः मैं समझता हूं कि गत एक वर्ष में आर्थिक विकास की समूची प्रक्रिया को एक प्रकार का धक्का लगा है।

वित्त मंत्री ने उन सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य किया है जो उन्होंने बजट में घोषित किये हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने मूल्यों को न बढ़ने देने के सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने वही सब कुछ किया है जो वह कर सकते थे जिससे मूल्य बढ़े। उन्होंने 220 करोड़ रुपये तक के घाटे को पूरा बिना किये छोड़ दिया है। तत्पश्चात् उन्होंने मुद्रा स्फीति को बढ़ाने वाले कर लगाये हैं। उन्होंने दावा किया था कि वह केवल विलासिता और अर्द्ध विलासिता की वस्तुओं पर ही कर लगायेंगे।

लेकिन कोई ही ऐसी आवश्यक वस्तु होगी जिस पर कर नहीं लगाया गया हो। यदि हम बजट को केवल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान के बीच सन्तुलन की दृष्टि से देखते हैं तो मालूम हो जाता है कि यह प्रतिगामी है।

श्री एम० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : इस वर्ष के बजट में काफी हद तक जन साधारण की महत्वाकांक्षायें प्रतिबिम्बित हुई हैं।

इस बजट ने कराधान की दरों में वृद्धि करके धन दौलत की स्पष्ट विषमताओं को दूर करने का नया मार्ग ढूँढ़ा है।

[**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुये**
Shri N. K. P. Salve *in the Chair*]

बजट के 25 प्रतिशत से अधिक नियमित लाभों को कर से इस शर्त पर छूट दी जानी चाहिये थी कि इस लाभ को पुनः उद्योग में लगा दिया जायेगा जिससे रोजगार क्षमता और कुल राष्ट्रीय आय बढ़ जायेगी।

इसके अतिरिक्त बचत को प्रोत्साहन देने के लिये, धन-कर देने वाले व्यक्तियों को उस हालत में कर में कुछ छूट मिलनी चाहिए, जब वे सरकारी प्रतिभूतियों में अतिरिक्त 1 लाख रुपये तक लगाते हो।

हमें गरीबी का सामान करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के अभिप्राय से कृषि, औद्योगिक और खनिज उत्पादन को और अधिक सुधारने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। दुर्भाग्यवश हरित क्रान्ति का प्रभाव व्यापारिक फसलों पर नहीं पड़ा है।

यह बहुत हो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बजट निर्यात-प्रधान नहीं है। निर्यात शुल्क लगाये जाने के कारण अन्य विकासशील देशों के साथ मुकाबले में भारतीय तम्बाकू नहीं ठहर सकता है। विदेशी-मुद्रा कमाने के लिये निर्यात शुल्क समाप्त कर देना चाहिये। और इसके लिये तम्बाकू बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के एककों को दक्षतापूर्ण और मितव्ययिता से चलाया जाना चाहिये। जिससे उनमें लाभ हो सके केवल तभी हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

इस वर्ष निगमित क्षेत्र पर काफी बोझ डाला गया है जिससे उसके उत्पादन कार्य और वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा विशेष सुझाव है कि जहां तक विकास छूट को वापस लिये जाने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री को चाहिये कि सूचना की अवधि को मई, 1974 से मई 1976 तक बढ़ाने पर विचार करे ताकि इस समय सोची जा रहीं योजनाओं को पूरा किया जा सके और उन योजनाओं को विकास छूट का लाभ भी मिल सके। इससे निगमित क्षेत्र को अधिक कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और जो कुछ राजस्व के रूप में हानि होती है, उसे निगमित आप से काफी सीमा तक पूरा किया जा सके और परिणामतः निगमित करों के द्वारा अधिक प्राप्ति होगी।

सभा में प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत है कि मैदा पर कर लगाना ठीक नहीं है। इसे पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री को उन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाते समय विचार करना चाहिये था जिन वस्तुओं की सप्लाई कम है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर नहीं मिल रही हैं।

औपचारिक अथवा अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के द्वारा वस्तुओं की इस कमी की समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति ठीक नहीं है। हमने ऐसा करके अनजानें ही समाज के नैतिक ढांचे पर बुरा असर डाला है और इससे वास्तव में अधिकांश उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं की है। कदाचार हो रहे हैं। सरकार की मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में फिर से उच्च स्तरीय समीक्षा होनी चाहिए।

हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ग्रामीणों को पेय-जल की सुविधा भी प्राप्त नहीं है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई गांवों को पेय-जल की सुविधा नहीं मिली है। वित्त मंत्री को चाहिये कि वह विभिन्न राज्य वित्त मंत्रियों पर इस बात के लिये बल दें कि वे गांवों में पेय-जल की व्यवस्था करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। इस काम को निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बीनूकोंडा के निकट अग्निगुंडला में खनन परियोजना को बहुत शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रथम श्रेणी की ताँबा, जस्ता खान है और इससे विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है। वहां पर एक प्रगलन भट्ठी बनाने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में एक और तेलशोधक कारखाने की आवश्यकता है। आजकल हम उस क्षेत्र में पेट्रो-रासायनिक उद्योगों को विकसित और आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

गुन्टूर-मछरेला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना बहुत जरूरी है। नाडीकुडी को बेबीनगर लाइन से मिलाते हुए नया रेल सम्पर्क बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण पहले पूरा हो चुका है। इस लाइन के निर्माण कार्य को ईमानदारी से हाथ में लिया जाना चाहिये और शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नंदयाल) : बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कुछ मानदंड और मार्ग दर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। हमें देखना यह है कि क्या उन्होंने उनका बजट में ध्यान रखा है।

देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक समता लाने के लिये वित्त मंत्री को बढ़ाना होगा। क्या वित्त मंत्री ने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया है ?

आज हमारे देश को न केवल आन्तरिक दबावों का ही सामना करना पड़ रहा है अपितु उसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खतरा है। हमारे देश में 55 लाख के लगभग शरणार्थियों के आने से न केवल हमारी आर्थिक स्थिरता को अपितु हमारी राजनीतिक अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा

को भी खतरा पैदा हो गया है। बजट पर आलोचना करते समय आलोचकों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए।

हाल ही में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और उन्हें केन्द्रीय सरकार से अधिक वित्तीय आवंटन दिये जाने की मांग की गई है। राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन के द्वारा इस सम्बन्ध में हाल ही के कुमुक प्रस्ताव पर हल्के रूप से ही विचार नहीं किया जाना चाहिये। इस पर विचार करते समय केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के समूचे प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

शिक्षित नवयुवको के बेरोजगार की समस्या एक बड़ी समस्या है। इसे सुलझाने के लिये कुछ करोड़ रूपयों की राशि नियत करना ही पर्याप्त नहीं है। वित्त मंत्री को इस कठिन समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार की आवर्तक निधि बनानी चाहिये जिससे वह नवयुवकों को रोजगार मिलने के बाद इस निधि में अंशदान करने के लिये कह सकें।

जहां तक जोरदार कार्यक्रम लागू का सम्बन्ध है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास का कार्य अब हाथों में लिया जा रहा है। इस ग्रामीण विकास कार्यों में खादी का उत्पादन भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। आन्ध्र प्रदेश के हजारों परिवार, विशेषकर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के परिवार, बड़ी मात्रा में कताई और बुनाई के द्वारा अपनी आय बढ़ाते हैं।

कुछ समय पहले हमारे सिचाई और विद्युत मंत्री ने कहा था कि गंगा को कावेरी से मिलाने का कार्य आरंभ किया जाना चाहिये। सरकार को यह कार्य तुरन्त आरंभ करना चाहिये। इसमें करोड़ों रूपये खर्च होंगे परन्तु अन्ततोगत्वा यह समूचे देश के लिये वरदान सिद्ध होगी। इससे तकनीकी और गैर-तकनीकी लोगों को रोजगार मिलेगा।

पहले की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन कम है। कृषि सम्बन्धी उत्पादन आज भी वही है जो पहले था औद्योगिक विकास भी कृषि विकास जैसा होना चाहिये। शुष्क खेती के लिये भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। मैदा पर लगाया गया शुल्क हटाया जाना चाहिये।

Shri D. D. Bhatia (Amritsar): We find a glimpse of socialism in this Budget. Our country has been progressing but the way to socialism is long. The production in the country has not been satisfactory. The public sector undertakings are not up to the mark and the production in them is very low. We shall have to remove the shortcomings in the public sector. These shortcomings are mainly due to inefficiency at the administrative level. We shall have to see by appointing any commission that the public sector undertakings work satisfactorily.

So far as the direct taxation is concerned, the present exemption limit should be increased from Rs. 6000 to Rs. 10,000.

The hon. Minister has assured that the income-tax system would be simplified in ordet to facilitate the low income group persons. For this, the exemption limit should be extended. To-day the small-scale industrialists have to file from returns and they are harassed. They should be asked to file only one return.

The hon. Minister should reconsider the levy imposed on maida and coarse cloths.

Twenty per cent taxation on Air-India is not reasonable. It is such a public sector undertaking which has succeeded at the International level in spite of tough competition.

श्री सी० ई० भट्टाचार्य (गिरिडीह) : 40 वर्ष पहले की बात है कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि समाजवाद की लड़ाई प्रतिक्षण लड़कर जीती जाती है। यह बजट चाहें कैसा भी हो, यह उक्ति इस पर यथार्थ उतरती है। समाजवाद की लगभग आधी लड़ाई तो जीती जा चुकी है। यह संक्रमणकालीन बजट है जिसमें कि घाटे की अर्थव्यवस्था की प्रधानता तथा करों में वृद्धि हो सकती है। परन्तु सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमें यह भार अपने कंधों पर लेना ही होगा। उत्पादन शुल्कों को लगाने उनकी दरों में वृद्धि करने और उन्हें और अधिक वस्तुओं पर लगाने से कर प्रणाली को अपकर्षक नहीं माना जा सकता। मैदा और सम्भवत: मोटे कपड़े तथा साबुनों की कुछ किस्मों को छोड़कर इस बजट में अन्य जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है उसका अधिकांश भाग मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग के लोगों पर ही पड़ेगा। विलासिता का वस्तुओं के उपभोग में पिछले कुछ समय से वृद्धि हुई है। किन्तु ऐसे व्यय को रोकने के लिए यहां व्यय कर की व्यवस्था नहीं है। कालदर ने सुझाव दिया है कि 50,000 रुपये से अधिक पूंजी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब की लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इस सुझाव का भी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

करोड़ों रुपये के करों की चोरी का अनुमान लगाया गया है। परन्तु वास्तव में इससे भी अधिक का अनुभान है। फिर भी किसी भी प्रकार के सरकारी व्यय की वृद्धि के विरूद्ध वहुत आपत्तियां की गई हैं, जो उचित नहीं है। एक ऐसा सरकारी क्षेत्र भी है जिसमें सरकारी व्यय बढ़ाने से सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। कर की वसूली पर लगभग 48-50 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है जो कर वसूली का 1½ प्रतिशत से अधिक नहीं है। अत: कर वसूली कार्य पर अधिक व्यय करने से कर प्राप्ति की मात्रा में अधिक वृद्धि होगी।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य का सम्बन्ध है, इनका कार्य हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में सैकड़ों प्रकार के प्रोत्साहन प्रयोग किए जाते हैं और हम भी उनमें से किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके। हमें श्रमिक आन्दोलन की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए जिससे 79 सरकारी उपक्रमों में लाभ हो सके। यदि हम सही तरीके से कार्य करें तो स्थिति में प्रभावपूर्ण परिवर्तन आ सकता है।

छोटा नागपुर में बहुत कम उद्योग हैं। फिर भी हम वहां से 100 करोड़ रुपये के मूल्य का सूत निर्यात कर रहे हैं। यदि वहां प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया खर्च किया जाये तो इससे स्थिति पूर्णतया बदल जायेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मुझे सहयोग दें। बहुत सदस्य बोलने के लिए आतुर हैं और समय बहुत कम है। अत: माननीय सदस्य कम समय लें जिससे अन्य सदस्यों को वादविवाद में भाग लेने का समय मिल सके।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : एक सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण अथवा बजट अथवा वित्त विधेयक पर ही बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए अन्यथा अनेक सदस्यों को अपने भाषण से सदावंचित रहना पड़ेगा,। इससे पहले यह नियम था कि सदस्य उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय पर ही भाषण दे सकता था।

सभापति महोदय : इस विषय पर संसद् कार्य मंत्री से बात चीत करनी चाहिए।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): There is mixed reaction expressed by various hon. Members on the Budget. In view of the present circumstances prevailing in the country this is a well balanced budget. An attempt has been made in this budget to check concentration of wealth in a few hands; and for this purpose a ceiling on the salaries of employees of big industries, factories and companies has been imposed. While welcoming this step of Government, it is to be seen that which strata of people is relivsed as a result of taxation. People are not against taxation. But they want that their standard and economic conditions should be improved.

Expectations of the people were raised during the elections, that their problems would be solved. But the strata of the poor people in the country is not satisfied with this budget. Although some attempt has been made to fulfil those expectations but the provisions in the budget are contrary to those. Rather they do not even meet these expectations and they are totally unfulfilled. The corporate sector of the country has not been touched even. Now the people in the country want that the whole of the present economic structure should be changed. Majority of the people in the country is those of poor and they are prepared to pay taxes but at the same time they expect their economic condition to be improved.

Taxes worth Rs. 177 crores have been proposed in this budget which means per capita taxation of Rs. 3.50 in this country of the population of 55 crores of people. But there is no provision of increasing per capita income. There should be some such provision in this budget as to ensure check on concentration of wealth and industrial monopoly of industrialists.

There is more than enough capital in L.I.C. and banks. If this capital is invested in the public sector undertakings, common people could be benefited. But even after nationalisation of the Banks instead of investing money in the public sector, these banks have given loans to the big industrialists which result no benefit to the common man.

There has been large-scale concentration of industrial and economic power in the hands of big industrialists for the last 23 years. This should be checked, and this can only be done by way of expanding public sector enterprises.

Much has been said for levying tax on the big and rich agricultural sector. But in view of the imposition of ceilings on land holdings in various states in the country, there is no reason in taxing agricultural sector because after the land-ceilings there would be no big or rich agriculturists.

Rajasthan is one of the backward states which is affected by draughts very often. There is always acute shortage of drinking water. Drinking water is brought there from as long a distance as 40 miles. The Central Government should help the underdeveloped and backward states like Rajasthan. More resources should be made available for the development of these states.

There has been taxation on tobacco. But coarse or inferior quality of tobacco is grown in Rajasthan State. These farmers are required to pay tax at the rate at which those who grow good or fine quality of tobacco pay. The tax burden on tobacco growers in Rajasthan should be reduced so that some relief may be given to the growers of inferior quality of tobacco.

Regarding tax withdrawal on 'maida', there will be no relief to the consumer if the tax on this commodity is withdrawn. But the tax levied on petrol should be withdrawn, because poor people have been hit by this levy.

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : इस वजट मे आप लोगों को यह संकेत मिला है कि आय और सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी। परन्तु ऐसी बात नजर नहीं आती । कुछ

वस्तुओं पर कर लगाने से निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों में असन्तोष हो सकता है । हम विभिन्न मदों से बचकर बचत कर सकते हैं क्योंकि यदि हम बचत अथवा व्यय कम करें तो मैं समझता हूं कि भारी कर लगाने की कोई आवश्यकता ही न पड़े ।

हमारा सिवलि खर्चा 1947 से 50 करोड़ रुपये से बढ़कर इस समय 1,725 करोड़ रुपये हो गया है । यह खर्चा 50 गुणा से भी अधिक बढ़ गया है । यदि इस खर्चे में से 225 करोड़ रुपये कम कर दिये जायें, जो राशि सरकारी उच्च अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च की जाती है, तो और अधिक कर लगाने की आवश्यकता ही न पड़े । सिविल अथवा असैनिक खर्चे में यह कटौती करना समाजवादी देश में अत्यन्त आवश्यक है जहां पर कि किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए । हमें यह कटौती करनी ही चाहिए ।

दूसरे हम बहुत अधिक ऋण भार से दबे पड़े हैं । आज हमें 660 करोड़ रुपये तो केवल ब्याज के तौर पर ही देने हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है । हमें अपने खर्चे घटा कर कम से कम करने चाहियें ।

आयकर तथा अन्य करों की बकाया राशि लगभग 800 करोड़ रुपये पड़ी है, जिसकी अभी तक वसूली नही की गई है । क्योंकि कर वसूल करने की पद्धति दोषपूर्ण है । अतः कर वसूली के मामले में हमें इंगलैंड की नागरिक परिषद अथवा समिति की प्रचलित प्रथा का अनुसरण करना चाहिये । यह समिति कर वसूल करने में सहायता देती है । यदि यह सिद्धान्त अथवा प्रणाली इस देश में भी अपनाई जाये, तो 800 करोड़ रुपये की बकाया राशि एक वर्ष के भीतर वसूल की जा सकती है ।

बार के सदस्यों का संसद में एक फोरम बनाया जायेगा । अतः हम कर वसूल कराने में फोरम के सदस्यों की सहायता करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : क्या यह केवल बार के सदस्यों के लिए है ?

श्री एस० एम० मिश्र : और उनके लिए भी जो 'बार' के बारे में सोचते हैं ।

हमारे सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता है कि हमारे देश में लगभग 500 करोड़ रुपये के सोने का अवैध आयात किया जाता है । इससे तस्करव्यापारियों और चोर बाजार के व्यापारियों को लाभ होता है । माननीय वित्त मंत्री को स्वर्ण नियंत्रण आदेश रद्द कर देना चाहिए जिससे देश में बिना किसी अवरोध के सोने का आयात किया जा सके । और इस पर कर लगाया जा सके । इससे अवैध व्यक्तियों को लाभ नहीं होगा और विदेशी मुद्रा भी अवैध रूप से देश के बाहर नहीं जा सकेगी ।

तीसरे, हम मद्यनिषेध कानूनों पर वहुत धन व्यय कर रहे हैं । मद्यनिषेध कानून से लाखों लोगों को अपराधी बनाने और अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब के उपयोग से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु, का कारण बनने के बजाए हमें मद्यनिषेध कानून को समाप्त कर देना चाहिए । इससे 300 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं ।

विदेशों में स्थिति अपने मिशनों पर हम 30 करोड़ रुपये खर्च करते हैं । इन मिशनों में आई० सी० एस० अथवा आई० ए ० एस० अधिकारी कार्य करते हैं, जिनकी देश के प्रति कभी श्रद्धा नहीं हो सकती । अतः इन मिशनों पर होने वाले व्यय को कम करके अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सकता है ।

जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम को लागू करना चाहिए और उन व्यक्तियों पर कर लगाना चाहिए जिनके तीन से अधिक बच्चे हों ।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीमी) : हमारे देश में आज सबसे मुख्य समस्या बेरोजगारी की है और यह सन्तोष का विषय है कि माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय इस समस्या को ध्यान में रखा है । इस समस्या का समस्त देश में रचनात्मक आर्थिक कार्यों में युद्ध स्तर पर तीव्रता से वृद्धि करने से हल हो सकता है । वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में 155 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । ग्राम्य रोजगार के लिए नियत किये गये 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, रोजगार के अवसर बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की नीति का भी संकेत दिया गया है ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

परन्तु इस कार्य के लिए जितना धन आवंटित किया गया है वह कम है और इस कार्य के लिए और अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश के विपुल संसाधनों को केवल पड़ौसी देशों के सांझे में ही सफलता पूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है ।

आज लौह-अयस्क तथा अन्य अयस्कों का विदेशों को निर्यात किया जाता है क्योंकि हम इसका अच्छी तरह उपयोग करना नहीं चाहते । मैसूर राज्य के कुद्रेमुक क्षेत्र में भारी मात्रा में बढ़िया किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है । इसका अन्य देशों को निर्यात करने के बजाए सरकार को इसका पूरा लाभ उठाने के लिए तटीय मैसूर में एक इस्पात कारखाना स्थापित करना चाहिए ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की सरकार की जिम्मेदारी है । इस समय हिन्दुस्तान स्टील की कुल क्षमता का केवल 60 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा है, और हैवी इंजीनियरिंग की 25 प्रतिशत से भी कम क्षमता उपयोग में लाई जा रही है । सरकार को इनकी क्षमता के अल्प-उपयोग की जांच करनी चाहिए और इसके लिए लाभप्रद उपाय करने चाहिए ।

कृषि सुधार प्रयत्नों का भी उल्लेख किया गया है । परन्तु मत्स्य-पालन में सुधार करने के लिए किये जा रहे प्रयास सन्तोषजनक नहीं हैं । सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य पर समुचित रूप से ध्यान देना चाहिये और देश के लम्बे समुद्र तट के साथ मछली पकड़ने के छोटे-छोटे पत्तनों का निर्माण करना चाहिए ।

सरकार की कुछ परियोजनाओं की प्रगति बहुत असन्तोषजनक है। उदाहरणार्थ मंगलौर पत्तन पर 1964 में कार्य आरम्भ हुआ था और इस पर पहले ही करोड़ों रुपये लगाये जा चुके हैं। परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण तलकर्षण कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है। हम नहीं जानते कि इस कार्य के पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे। बताया गया है कि जब यह कार्य पूरा होगा उस समय तक यह पत्तन बेकार हो जायेगा अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डुबाव की गहराई 40 फुट और बढ़ाई जाए और यह कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जाए।

जहां तक करों का प्रश्न हैं, वास्तविक प्रगति तब तक नहीं हो सकती। जब तक कि लोग पूरा सहयोग न दें। विकासशील देश में कर तो लगाये ही जाते हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने पर सभा के सब कक्षों द्वारा गहरी चिन्ता प्रकट की गई है। लेखा-बाह्य धन को बाहर निकालने का केवल एक ही साधन है कि सौ रुपये और दस रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाए। परन्तु इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि निर्दोष व्यक्तियों को हानि न उठानी पड़े। इस बजट में बंगला देश से आये लाखों शरणार्थियों के लिए 60 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई हैं मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : बजट प्रस्ताव वास्तव में प्रगतिवादी हैं। बजट में व्यक्त की गई भावनाएं सराहनीय तथा अद्वितीय हैं। प्रस्तावित कर, जिनकी आलोचना की गई हैं, बहुत अधिक नहीं है, यद्यपि मैं उनका समर्थन नहीं करता, क्योंकि यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक परिवार को पहले की अपेक्षा प्रतिमास कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा।

आम लोगों को कर का भुगतान करने में आपत्ति नहीं है परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य है कि उच्चवर्ग तथा धनी वर्ग पर अधिक कर लगाये जाएं। वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में कर भार को उन वर्गों पर डालने का प्रयास किया है जो अधिक कर दे सकते हैं। यह प्रयास बहुत सराहनीय है, परन्तु मैं समझता हूं कि उन पर और अधिक भार डाला जा सकता है।

यह कल्याण कारी बजट है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि कल्याणकारी बजट समाजवादी बजट हो। परन्तु समाजवादी बजट में ऊंची अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। परन्तु आम व्यक्तियों को इस बजट से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने समाजवाद लाने के लिए नौकरशाही को माध्यम माना है। परन्तु वर्तमान नौकरशाही हमारे आदर्शों के साथ पूर्ण रूप से सम्बद्ध नहीं है। हमें इस प्रकार के तरीके अथवा साधन ढूंढनें होंगे जिससे नौकरशाही के दृष्टिकोण में सुधार हो सके और इस दिशा में उनका व्यवहार बदल सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मैं केवल यही चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को अन्य साधन ढूंढने चाहिए जैसे व्यय-कर, पूंजीकर आदि जिनसे राजस्व प्राप्त किया जा सके। विलास की सामग्री के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। सरकारी खर्च में बहुत कटौती की जानी चाहिए क्योंकि सरकारी व्यय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने यह वचन दिया है कि कर इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे मूल्यों की वृद्धि नियंत्रित की जा सके। परन्तु मूल्यों को नियंत्रण में रखने सम्बन्धी उपाय नहीं किए गये हैं।

लायसेंसों की नीलामी करने से एकाधिकार वादियों को समर्थन मिलेगा और ये लोग और अधिक धनवान और एकाधिकार वादी बन जायेंगे जबकि हम अपनी अर्थ व्यवस्था में एकाधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। अत: नीलामी की पद्धति को प्रश्रय नहीं देना चाहिए।

Shri Hari Kishore Singh (Pupari) : Sir, I support the proposal of direct taxes in this Budget. I agree with the views expresed by the hon. Minister of Finance that drastic changes in our economy and fundamental social standard could not be brought forward in this budget. Ordinarily this budget is a very progressive budget. This budget indicates our progress towards socialistic direction.

This is rather praiseworthy that there has been taxation on companies. But these companies, rather corporate sector should have been taxed more heavily. But I think that the taxation on petrol, maida and motor parts will not affect the poor and lower middle class of society. But as the hon. Finance Minister has claimed that heavy taxes have been proposed on ceiling on income and land holdings and the profits of the companies, I do not agree with these views of the hon. Minister, because much progress would not be attained in removing the economic disparity. The hon. Minister has himself stated that a sum of Rs. 14.5 crores has been allocated for removing economic disparity. The problem of economic disparity and providing social justice to the masses is a diabolic one and this cannot be solved unless heavy taxes are imposed on richer section of society. I think the hon. Minister is mistaken in this matter. The Government should tackle this problem more seriously as the allocation of Rs. 14.5 crores is not sufficient.

There is great disparity in our agricultural field. Economic and social disparity prevails in the rural areas, which has not been removed so far. A number of land reform legislations have been formulated and passed in our country but it is unfortunate that they have not been implemented with the result that an atmosphere of uncertainty hang over both big and small land owners which in turn will have an adverse effect on production. I am of the view that Government should consider this problem seriously and take immediate and concrete steps to implement the land reform legislation. State Governments are under the influence of landlords and they create obstacle in land reforms implementation. Therefore only Government of India can take concrete steps in this direction. I would suggest that Agriculture centres should be established at block level, which should distribute seeds to the farmers. which should provide loan facilities and fertilizers for good craps etc. to the farmers. The scheme of general insurance should be extended to the rural areas and crop insurance scheme should also be included in this scheme. The crop insurance scheme should be implemented so that relief can be given to the farmers in the event of damage to the crops. We will bring about socialism with the help of this budget and if effective steps are not taken in this regard people will be disappointed and then it will become quite difficult to change the economic and social pattern of the country in a democratic way.

डा० हरि प्रसाद शर्मा (अलवर) : सभापति महोदय, वर्तमान बजट का आज के संदर्भ में विशेष महत्व है। बजट सरकार की प्रगतिशील नीतियों का ठोस प्रमाण होता है। चूंकि पिछला चुनाव एक विशेष उद्देश्य को लेकर लड़ा गया था, इसलिए जनता को अब आशा है कि यह बजट उनकी इच्छाओं के अनुरूप होगा।

जनता के प्रति किए गए वायदे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ा दिया जाएगा दूसरा जनता के विभिन्न वर्गों में फैली असमानता को कम किया जाएगा तथा तीसरा बेरोजगारी दूर की जाएगी।

कुछ लोगों ने बजट को प्रतिगामी तथा जनता विरोधी माना है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

देश ने कुछ दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपनी असफलताओं को याद करते समय हमें अपनी उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान हम कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हुए हैं यद्यपि दालों तथा नकदी फसलों के सम्बन्ध में हमें उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई किन्तु यह कभी किसी भी प्रकार कृषि क्षेत्र में प्राप्त अन्य उपलब्धियों को काम नहीं करती।

पिछले चार-पांच वर्षों से वर्षा ठीक समय पर होती रही है। देश का कृषि उत्पादन वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। और आज हम निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हुए हैं तो कुछ अंश तक इस वर्षा के कारण हुए है। सरकार को वर्षा की अनिश्चितता का भी ध्यान रखना होगा।

आर्थिक विकास की दर संसाधनों की गतिशीलता पर भी निर्भर करती है। वित्तमंत्री ने इस सम्बन्ध में साहसपूर्ण कदम उठाए हैं।

बैंकों तथा सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कराधान मदों में वैयक्तिक आय करों में, निगमित करों तथा सम्पति करों में वृद्धि की गई है। इसके लिए मैं वित्तमन्त्री को बधाई देता हूं। बजट में स्वागत योग्य अनेक बातें हैं। बेनामी जोत तथा सम्पति अवमूल्यन के विरोध में उठाए गए कदम वस्तुत प्रशंसनीय हैं।

कुछ अन्य क्षेत्रों से भी संसाधन एकत्र किए जा सकते हैं जैसे कि कृषि से, मैं यह नहीं चाहता कि हर छोटे किसान पर कर लगाया जाए किन्तु जो लोग खेती द्वारा एक दो लाख रुपये कमा रहे हैं उन पर कर क्यों नहीं लगाया जा रहा। एक लाख रुपये की राशि कम नहीं होती। सरकार को अपनी पुरानी प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए और उन लोगों पर, जो अपने फार्मों से बहुत बड़ी आय अर्जित करते हैं, कर लगा देना चाहिए, क्यों कि कृषि क्षेत्र में 1 लाख की आय दुकानदारी व्यापार से अर्जित आय से भिन्न नहीं। ट्रैक्टरों पर थोड़ा कर लगाया गया है और यह ठीक है।

कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनसे सरकार अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ सरकारी उपक्रम हैं। मुझे समझ नही आता कि सरकार इस विषय में इतनी संवेदनशील क्यों है। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए और उसे इन उपक्रमों को, विशेषकर के उन उपक्रमों में जहाँ बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश है, चलाने के लिए एक आदर्श तकनीक अपनानी चाहिए। हिन्दुस्तान स्टील घाटे पर चल रहा है। 1968-69 में इस कम्पनी को 40 करोड़ का तथा 1969-70 में 11 करोड़ का घाटा हुआ। इतना अधिक विनियोग करने के परिणामस्वरूप भी हानि हो रही है।

जहाँ तक बकाया करों की वसूली का सवाल है इस सम्बन्ध में तनिक भी ढील नहीं दी जानी चाहिए और हर संभव उपायों से यह राशि वसूल की जाए क्योंकि 900 करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि है। कई बार कहा जाता है कि कर की राशि इस कारण नहीं वसूल की जा सकी क्योंकि कर निर्धारिती का उस राशि के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित कर दी जाए और यदि करदाता उस समय के भीतर कर की राशि का भुगतान नहीं करता, तो उस राशि पर पूरा ब्याज लगा दिया जाए। इस सम्बन्ध में ढील न बरती जाए।

पिछले वर्ष 400 करोड़ रुपया महंगाई भत्ते के रूप में दिया गया और अब भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान के पुनरीक्षण हेतु वेतन आयोग की नियुक्त की गई है। हमें आशा है कि इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने उपरान्त कर्मचारियों की आय में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। मैं वित्तमंत्री का ध्यान अपने राज्य राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने राजस्थान सरकार को नोटिस दिया है कि वह 30 जून तक 85 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट की राशि वापिस कर दे। मंत्री महोदय यह देखें कि यह धन किस प्रकार व्यय किया गया। इस धन का प्रयोग हजारों लोगों की जानें बचाने के लिए किया गया था। यदि मंत्री महोदय इस राशि को छोड़ दें, तो इस तरह वह जनता के साथ बड़ा न्याय करेंगे।

श्री सतीश चन्द्र (बरेली) : मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 10 जून 1971 20 ज्यष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, June 10, 1971/Jyaistha 20, 1893 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow—4-9-71—340.